# लोक-सभा
# वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५८, १९६१/१८८३ (शक)

[४ से ८ सितम्बर १९६१/१३ से १७ भाद्र १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

चौदहवां सत्र, १९६१/१८८३ (शक)

( खण्ड ५८ में अंक २१ से २५ तक हैं )

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची


पृष्ठ

**अंक २१**--सोमवार, ४ सितम्बर, १९६१/१३ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६४, ११६६ से ११७१ और ११७४ ३२७१--९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ३२९६--९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५८, ११६५, ११७२, ११७३, ११७५ से १२०९ ३२९८--३३१५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१५० से ३२९३, ३२९५ से ३३०२, ३३०४ से ३३३३ और ३३३५ से ३३४३ ३३१५--९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३९६

वित्तीय समितियां (१९६०-६१)- एक समीक्षा--

सभा-पटल पर रखी गयी ३३९७

राज्य सभा से सन्देश ३३९७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३३९७

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति--

कार्यवाही सारांश और बारहवां प्रतिवेदन ३३९७-९८

सभा का कार्य ३३९८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक ३३९८--३४१७

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ३३९८--३४०२

खंड ३ से २९ और १ ३४०२--०५

पारित करने का प्रस्ताव ३४०५--१७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ३४१७--२१

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक सम्मेलनों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३४२१--२३

दैनिक संक्षेपिका ३४२४--३४

**अंक २२**--मंगलवार, ५ सितम्बर, १९६१/१४ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२१० से १२१४, १२१६, १२१७, १२२० से १२२३, १२२५ से १२३१ ३४३५--६१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२१५, १२१८, १२१९, १२२४, १२३२ से १२४० ३४६१—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४४ से ३४६३ . ३४६७—३५१८

स्थगन प्रस्ताव . . ३५१८—२०

(१) मोसावाडी में तांबों की खानों का बन्द किया जाना ३५१८–१९

(२) तीस्ता नदी पर रस्सी के पुल का टूटना ३५१९–२०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३५२०–२१

पुनर्वास प्रतिकर दावों के आवेदन पत्रों का अस्वीकार किया जाना ३५२०–२१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५२१–२२

राज्य सभा से सन्देश . . . ३५२२, ५६–५७

अनुपस्थिति की अनुमति . ३५२२

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति ३५२३

सभा का कार्य ३५२४

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३५२४—३७

खंड २ से २६, २०क और १ ३५३४—३६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५३६–३७

गन्ना उपकर (वैधकरण) विधेयक ३५३७—५३

विचार करने का प्रस्ताव ३५३७—५१

खंड २ से ५ और १ . ३५५३

पारित करने का प्रस्ताव . ३५५३

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक . ३५५३—५६

विचार करने का प्रस्ताव ३५५३—५६

आयकर विधेयक, १९६१ . . . ३५५७

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया

लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३५५७—६२

दैनिक संक्षेपिका ३५६३—७०

पृष्ठ

**अंक २३—बुधवार, ६ सितम्बर, १९६१/१५ भाद्र, १८८३ (शक)**


प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४६, १२४७, १२४९, १२५० से १२५५, १२५७, १२५८ और १२६१ . . . ३५७१–९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४१,१२४२, १२४४, १२४८, १२५६, १२५९, १२६० और १२६२ से १२७० ३५९५–३६००

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६४ से ३५९४, ३५९६, ३५९७, ३५९९ से ३६१८, ३६१९क, ३६१९ख, ३६१९ग, ३६१९घ और ३६१९ङ ३६०१–६८

अतारांकित प्रश्न संख्य . . . . उत्तर में शुद्धि ३६६८

स्थगन प्रस्ताव—

नजफगढ़ झील से पानी का बह निकलना ३६६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ते के हवाई अड्डे पर डकोटा विमान की दुर्घटना ३६६९–७०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६७०

राज्य सभा से सन्देश . . . . ३६७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सदस्यों सम्बन्धी समिति—

नवास्सीवां प्रतिवेदन . ३६७१

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति—

चौथा प्रतिवेदन ३६७१

सदस्य का त्याग पत्र . ३६७१

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ३६७१–९२

खंड २ से २३ और १ ३६९२–९७

पारित करने का प्रस्ताव ३६९२–९७

खनिज रियायत निगम के बारे में प्रस्ताव ३६९८–३७०७

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३७०७–१३

दैनिक संक्षेपिका . . ३७१४–२२

पृष्ठ

**अंक २४ गुरुवार, ७ सितम्बर, १९६१/१६ भाद्र, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७१ से १२७६, १२७८ से १२८०, १२८२, १२८४ ३७२३–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७७, १२८१, १२८३, १२८५ से १३१८ ३७४७–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२० से ३७७६, और ३७७६क ३७६३–३८३२

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३८३२

गैर सरकारी क्षेत्र में इस्पात के कारखानों को कोयले और चूने के पत्थर के नियमित रूप से संभरण न होने के कारण कठिनाइयां ३८३२

कोयले की स्थिति के बारे में वक्तव्य ३८३३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८३३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ३८३४

कार्यवाही का सारांश ३८३४

याचिका सम्बन्धी समिति—

(१) कार्यवाही सारांश ३३३४

(२) तेरहवां प्रतिवेदन ३८३४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश ३८३४

प्राक्कलन समिति—

(१) कार्यवाही सारांश ३८३४

(२) एक सौ बयालीसवां प्रतिवेदन ३८३४

जमा धन बीमा निगम विधेयक ३८३५–५७

विचार करने का प्रस्ताव ३८३५–५५

खंड २ से ६ ३८५५–५७

कोयले के उत्पादन और संभरण के बारे में प्रस्ताव ३८५७–७६

बोनस आयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३८७६–८०

दैनिक संक्षेपिका ३८८१–९०

पृष्ठ

**अंक २५—शुक्रवार, ८ सितम्बर, १९६१/१७ भाद्र, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१९ से १३२८, १३३० से १३३६, १३४२-अ और १३३७ . . . ३८९१—३९१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ से ६ . . . ३९१९—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ और १३३८ से १३४५ . . . ३९३४—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७७ से ३८४४ और ३८४६ से ३८७४ . . . ३९३८—८५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . . ३९८५—९५

(१) कुछ खानों में दुर्घटनायें

(२) आई० सी० एस० अधिकारियों की उपलब्धियों में कथित कटौती

(३) फर्रुखाबाद में रेल गाड़ी को रोका जाना

(४) उड़ीसा के लिये तृतीय पंच वर्षीय योजना में किये गये आवंटन का पुनरीक्षण

(५) कुछ संघ राज्यों में नई राजनैतिक व्यवस्था

(६) हथकरघे कपड़े के लिये गोदी निरीक्षण प्रमाणपत्र

(७) लोहे की कतरन का निर्यात

(८) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक के बाद की छात्र-वृत्तियों का दिया जाना

(९) विज्ञान संवर्धन संस्था कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

(१०) राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) द्वारा पंचाट देने में विलम्ब

(११) दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान विद्यार्थी द्वारा कथित आत्महत्या

(१२) नौकरी से हटाये गये कुछ कर्मचारियों को फिर से बहाल न किया जाना और कर्मचारियों के संघों तथा फैडरेशनों को पुनः मान्यता देने में विलम्ब

(१३) उड़ीसा में बाढ़

(१४) कुछ सरकारी शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिष्ठान में विलयन

| | पृष्ठ |
|---|---|
| सभा पटल पर रखे गये पत्र . | ३९९५—९८ |
| सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति . . कार्यवाही-सारांश | ३९९८ |
| राज्य सभा से संदेश . . | ३९९८ |
| लोक लेखा समिति . . | ३९९९ |
| अड़तीसवां प्रतिवेदन | |
| तीस्ता नदी के पुल के टूटने के बारे में वक्तव्य | ३९९९ |
| सदस्य द्वारा वक्तव्य . . | ३९९९ |
| आयकर विधेयक . . | ३९९९—४००३ |
| राज्य सभा द्वारा किए गये संशोधन | |
| जमा धन बीमा निगम विधेयक | ४००३—०५ |
| खंड ६ से ५१ और १ | ४००३—०४ |
| पारित करने का प्रस्ताव | ३००४—०५ |
| यूरोपीय साझा बाजार के बारे में प्रस्ताव | ४००६—१६ |
| गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति नवासीवां प्रतिवेदन | ४०१६ |
| अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में संकल्प . . . | ४०१६—३४ |
| नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा रासबिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प . . . | ४०३५–३६ |
| दैनिक संक्षेपिका . . . | ४०३७–४६ |
| चौदहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप . | ४०४७–४९ |

# लोक-सभा

बुधवार, ६ सितम्बर, १९६१

१५ भाद्र, १८८३ (शक)

---

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन**

+

†*१२४३. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
**श्री कुन्हन :**
**श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री सरजू पाण्डेय :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन के प्रश्न की जांच पड़ताल करने के लिये डा० बी० सी० राय के सभापतित्व में नियुक्त की गई समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** यह समिति लगभग ३ वर्ष पूर्व नियुक्त की गई थी । क्या सरकार यह बता सकती है कि उसका प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होगा ?

†**श्री करमरकर :** यह मुझे स्वयं नहीं मालूम है । परन्तु मुझे आशा है कि समिति का प्रतिवेदन कभी न कभी प्राप्त अवश्य होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में



1219 (Ai) L.S.D.—1.

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : चूंकि प्रतिवेदन पेश किए जाने में बहुत देर हो गई है इसलिये क्या सरकार इस समिति का पुनर्गठन करने जा रही है ?

†**श्री करमरकर** : एक अन्य समिति, अर्थात् डा० मुदालियर समिति, ने भी इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया था। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस समिति की ओर से समस्त प्राप्त सूचना मुदालियर समिति को दे दी गई थी। हो सकता है कि इस समिति को हम शीघ्र ही समाप्त कर दें।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या इस उत्तर का यह तात्पर्य है कि मुदालियर समिति ने इस समिति का अवक्रमण किया है ?

†**श्री करमरकर** : दोनों समितियां सहवर्ती थीं। परन्तु मुदालियर समिति के निर्देश पद अधिक व्यापक थे। उसे अधिक व्यापक क्षेत्र की जांच करनी होगी। जिन विषयों पर उसे विचार करना है उनमें स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन भी एक है। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस प्रश्न में निर्दिष्ट समिति के एक सदस्य जनरल चौधरी ने समस्त सूचना मुदालियर समिति को दे दी थी। संभवत: इस समिति के लिये इस विषय पर विचार करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि अन्य समिति विस्तृत प्रतिवेदन पेश करेगी।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच है कि इस समिति के सभापति अन्य मामलों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण इस समिति के कार्य में अधिक समय नहीं लगा सके ?

†**श्री करमरकर** : यह ठीक है कि वह बहुत व्यस्त आदमी हैं और मैंने उनको नियुक्त करके गलती की है क्योंकि उनके लिये अपने कार्य के अतिरिक्त यह कार्य करना कठिन है।

†**श्री नंजप्प** : समिति की कितनी बैठकें हो चुकी हैं ?

†**श्री करमरकर** : मुझे कोई जानकारी नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि उसकी कम से कम एक बैठक अवश्य हो चुकी होगी। परन्तु मुदालियर समिति के कारण इस समिति का कार्य बेकार हो गया है। मैं इस समिति से किसी प्रतिवेदन की आशा नहीं करता हूं। क्योंकि मुदालियर समिति ने इस मामले के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विचार किया है।

†**श्री गोरे** : मैं वास्तव में कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। परन्तु हम देखते हैं कि समितियों के सभापति बहुत व्यस्त आदमी हुआ करते हैं और इसलिये समितियां अपने प्रतिवेदन पेश नहीं कर पाई हैं। क्या आप ऐसा निदेश नहीं दे सकते कि ऐसे व्यक्ति ही नियुक्त किए जायें जो कुछ समय दे सकें ?

†**श्री करमरकर** : ऐसा हमारे मंत्रालय से संबंधित अन्य किसी समिति में नहीं हुआ है। परन्तु इस मामले में हम डा० विधान चन्द्र राय का पथ प्रदर्शन चाहते थे। जहां तक अन्य मंत्रालयों का संबंध है इस मामले का निर्देश उचित समय पर उचित तरीके से किया जा सकता है। परन्तु मेरे मंत्रालय से संबंधित यही एक समिति ऐसी है जिस में सभापति के लिये समय देना कठिन रहा है। मैं जानता था कि वह बड़े आदमी हैं और समय नहीं निकाल सकेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इतना ही कह सकता हूं कि संसद् को इन समितियों से कार्य के संबंध में शीघ्रता करने के लिए कहने का हक है। यदि कोई अनुभवी एवं वयोवृद्ध व्यक्ति किसी विषय के

---

†मूल अंग्रेजी में

जानकार हैं और वह अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो उन्हें सदस्य बनाया जा सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को सभापति। वह अपने विचार दे सकते हैं। यदि वह अनुपस्थित भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः उनको सभापति नहीं बनाया जाना चाहिए। माननीय मंत्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह ठीक है कि ऐसे लोगों की मांग रहती है यद्यपि उनके पास समय नहीं होता है। इस में कोई कमजोरी की बात नहीं है। वे शीघ्रता करने का यथासंभव प्रयत्न करते हैं। परन्तु, जैसा कि माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है, यदि उनके पास समय नहीं हो तो वह क्या कर सकते हैं? इसलिए नौजवानों को ही सभापति बनाया जाना चाहिए और वयोवृद्ध व्यक्तियों को यह नहीं समझना चाहिए कि उनके लिए दूसरों के सभापतित्व में काम करना अशोभनीय है।

†**श्री करमरकर** : हम आपका आदेश स्वीकार करते हैं। परन्तु मैं ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करूंगा जिसके पास समय न हो। और जो समिति का कार्य न कर सके उन पर यह भार लादना बेकार है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि नियोजक और नियोजित व्यक्ति यह महसूस करते हैं कि यह नियुक्ति ठीक नहीं है तो मंत्री जी उन से यह कह सकते हैं कि अपना पद किसी अन्य व्यक्ति को दे दें।

†**श्री करमरकर** : अब चूंकि मुदालियर समिति समस्त प्रश्न पर विचार कर रही है इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्य के लिए मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मुदालियर समिति के निर्देश पद क्या हैं? क्या यह प्रश्न उस समिति को विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया है?

†**श्री करमरकर** : मुदालियर समिति को चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रश्न निर्दिष्ट किए गए हैं। वास्तव में भोर समिति[1] के बाद, जिसने १२ वर्ष पूर्व प्रतिवेदन दिया था, मुदालियर समिति ही चिकित्सा शिक्षा--अवर स्नातक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर--चिकित्सा व्यवसाय, स्वास्थ्य संबंधी कार्यों, सब प्रकार के संक्रामक रोगों और स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित समस्त प्रकार के प्रश्नों पर विचार कर रही है। हम उसके विस्तृत प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

## अखिल भारतीय डाक तथा तार सेवा आयोग

†*१२४५. **श्रीमती इला पाल चौधरी** :
**श्री दी० चं० शर्मा** :
**श्री अरविन्द घोषाल** :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अलग अखिल भारतीय डाक तथा तार सेवा आयोग बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Bhore Committee.

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) प्रस्तावित डाक तथा तार भर्ती संगठन डाक तथा तार सेवाओं में कुछ अराजपत्रित संवर्गों और पदों के लिए भर्ती करेगा।

(ग) प्रस्ताव की एक विशेष कार्य अधिकारी द्वारा जांच की गई थी और उसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या इस समिति के स्थापित हो जाने पर भर्ती प्रणालियों में प्रचलित मनमानी दूर हो जाएगी ? भर्ती किए गए लोगों के वेतनक्रमों की जांच कैसे की जाएगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : विशेष अधिकारी इसी प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया था ताकि विभिन्न सर्किलों में भर्ती के संबंध में की जाने वाली मनमानी इस समिति के साथ समाप्त हो जाए। वेतन क्रमों का इस से कोई संबंध नहीं है। वेतन क्रम वास्तव में संबंधित विभागों द्वारा निश्चित किए जाते हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार की नीति विभिन्न मंत्रालयों में भर्ती की प्रक्रिया के विघटन की नहीं है ? संघ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय अभिकरण था। यदि विभिन्न मंत्रालय पृथक व्यवस्था कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह भारत सरकार की सुविचारित नीति है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : माननीय सदस्य ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि समस्त मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना मैं ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता था। परन्तु उनका यह सोचना गलत है कि संघ लोक सेवा आयोग का कार्य बन्द हो जाएगा। वह गजटेड पदों की नियुक्तियां फिर भी करेगा।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या डाक तथा तार अधिकारियों के लिए समस्त देश के लिए एक केन्द्रीय लोक सेवा आयोग होगा अथवा प्रादेशिक आयोग होंगे ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : अभी केवल एक ही होगा।

†**श्री च० द० पांडे** : रेलवे में विभिन्न संवर्ग हैं। नीचे के संवर्गों के लिए समस्त देश में रेलवे लोक सेवा आयोग हैं। इसी प्रकार डाक तथा तार के लिए जब एक आयोग स्थापित किया जाएगा तो नीचे के पदों पर भर्ती के लिए अन्य आयोग भी होंगे। क्या सरकार यह वांछनीय समझती है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : हम इस मामले में एक प्रयोग कर रहे हैं। यदि यह आवश्यक समझा जाएगा तो उसका विस्तार किया जाएगा। माननीय सदस्य को यह भी जानना चाहिए कि हमारे कर्मचारियों की संख्या रेलवे कर्मचारियों से कम है।

†**श्री सूरकार** : सेवा आयोग किस वेतन-क्रम के पदों के लिए भर्ती करता है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : समस्त अराजपत्रित पदों के लिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

## दिल्ली में गैर-सरकारी बस सेवा

†*१२४६. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली के कुछ मार्गों पर दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों के अतिरिक्त निजी बस मालिकों को अपनी बसें चलाने की अनुमति देने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

### विवरण

दिल्ली परिवहन प्राधिकार ने गैर-सरकारी संचालकों को निम्नलिखित मार्गों पर अपनी बसें चलाने की अनुमति देने का निर्णय किया है और इन मार्गों के लिये परमिट देने के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये हैं :

१. दिल्ली . . . माजरा दबास
२. दिल्ली . . . . मदनपुर दबास
३. दिल्ली . . . . ककरोला
४. दिल्ली . . . झरोदा
५. दिल्ली . . . घोगा
६. दिल्ली . . . . सीरासपुर
७. दिल्ली . . . . सीकरपुर
८. दिल्ली केंट . . . ओखल
९. दिल्ली . . . . रावत
१०. दिल्ली . . . . रिठाल।

†**श्री आसर** : क्या उन मार्गों पर गैर-सरकारी बसों के चलाए जाने की अनुमति दी जाएगी जिनपर दिल्ली परिवहन की बसों की अपर्याप्त सेवा है ?

†**श्री राज बहादुर** : राज्य परिवहन प्राधिकार ने विवरण में बताए गए दस ग्रामीण मार्गों पर उनकी अनुमति देने का निर्णय किया है। दिल्ली परिवहन के मार्गों पर उनकी अनुमति देने का विचार नहीं है।

†**श्री आसर** : क्या यह सच है कि निगम ने दो वर्ष पूर्व गैर-सरकारी बसों की अनुमति देने के आशय का संकल्प पारित किया था ? मैं जानना चाहता हूं कि यह निर्णय करने में इतनी देर क्यों लगी ?

†**श्री राज बहादुर** : दिल्ली परिवहन समिति के सभापति के समाचार पत्रों में प्रकाशित वक्तव्य के अनुसार ३७ मार्गों पर गैर-सरकारी बसें चल रही हैं। ये बारह मार्ग उसमें और जुड़ जायेंगे। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस संकल्प का निर्देश कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वाजपेयी :** ऐसा क्यों है कि दिल्ली परिवहन समिति के सभापति द्वारा बताई गयी मार्गों की संख्या उससे भिन्न है जो माननीय मंत्री ने बताई है।

†**श्री राज बहादुर :** मैं ने कहा है कि समाचारपत्रों में प्रकाशित खबर के अनुसार बारह ग्रामीण मार्ग और खोले जाने वाले हैं। दिल्ली परिवहन समिति के सभापति ने यही वक्तव्य दिया है। परन्तु मैंने सूची में इन में से दस ही मार्ग दिये हैं।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** मैं जानना चाहता हूं कि पीछे निकट भूतकाल में क्या कोई ऐसा अवसर आया है जब कि दिल्ली नगर में प्राइवेट बसिस को चलाने की अनुमति दी गई थी, यदि हां, तो उसका क्या अनुभव सरकार को रहा ?

**श्री राज बहादुर :** एक अवसर पर जबकि डी० टी० यू० के कुछ एम्पलायीज़ की हड़ताल की बात थी, उस समय प्राइवेट बसिस चलाये जाने की अनुमति दी गयी थी और उन लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किया था। उसके लिए उनकी प्रशंसा भी की गई थी।

†**श्री तंगामणि :** क्या विवरण में बताए गए दस मार्गों पर दिल्ली परिवहन की बसें भी चलेंगी।

†**श्री राज बहादुर :** ये ग्रामीण मार्ग हैं दिल्ली परिवहन का संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत उनके लिए परमिट के लिये प्रार्थनापत्र देने का विचार नहीं है।

†**श्री बलराज मधोक :** चूंकि कुछ मार्गों के गैर-सरकारी क्षेत्र को दिए जाने की बहुत मांग है और क्योंकि दिल्ली परिवहन की बसें पर्याप्त नहीं हैं, क्या आप दिल्ली परिवहन के मार्गों पर गैर-सरकारी संचालकों को भी अपनी बसें चलाने की अनुमति देने का विचार करेंगे ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं। माननीय सदस्य जिस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं उस दल ने निगम में यह प्रश्न रखा था और वह संकल्प मंजूर नहीं किया गया था।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** दिल्ली नगर में भीड़ को देखते हुए और यात्रियों की संख्या मे उत्तरोत्तर हो रही वृद्धि को देखते हुए क्या डी० टी० यू० ने इस प्रकार का कोई निश्चय किया है कि बसिस की संख्या को अधिक बढ़ाया जाए या जैसे समाचारपत्रों में पीछे समाचार प्रकाशित हुआ है, दुमंजिली बसिस चलाई जायें ? यदि हां, तो कब और कितनी बसिस बढ़ाई जा रही हैं ?

**श्री राज बहादुर :** इस समय ६८२ बसिस हैं और जो करेंट फाइनेंशयल ईयर है यानी मार्च १९६२ तक, उसके दौरान में इन बसिस की संख्या ७७१ हो जाएगी। इससे भी आगे बसिस की तादाद को बढ़ाने का प्रोग्राम है। इसमें डबल डैकर होंगी या नहीं, यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह बराबर हमारी कोशिश है कि बसिस की संख्या बढ़ाई जाए।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

## चाय का निर्यात

+

†*१२४७. { (श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों को निर्यात के लिए स्पष्ट रूप में अंकित चाय पर लागू करने के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय चाय बोर्ड और कलकत्ता निगम में हाल में कोई विवाद हो गया था,

(ख) यदि हां, तो विवाद किन बातों के बारे में है, और

(ग) क्या उसके बाद कोई समाधान निकाला गया है और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या डंठल वाली चाय की भारत के बाहर सूडान जैसे देशों और पूर्व अफ्रीकी पत्तनों में बहुत मांग है ?

†**श्री करमरकर** : हां, श्रीमान्। मुझे ज्ञात हुआ है कि सूडानी लोग ऐसी चाय पसंद करते हैं। मुख्य कठिनाई यह है कि डंठल वाली चाय खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत घटिया मानी जाती है और प्रश्न यह है कि उन नियमों को किस प्रकार लागू किया जाय ताकि निर्यात पर असर न पड़े। यह मामला विचाराधीन है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या कोई प्रतिमान निर्धारित किया गया है ? चाय में डंठलों का कितने प्रतिशत मिश्रण उसे प्रयोग में लाने के अयोग्य बना देगा ?

†**श्री करमरकर** : मेरे पास सही प्रतिमान नहीं है। वह गज़ट में प्रकाशित हुआ है। परन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि भारत में जितने डंठल मिलाने की अनुमति है वह उस मात्रा से बहुत कम है जितनी कि सूडानी लोग चाय में चाहते हैं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी**: क्या अभी हाल में कोई ऐसा मामला हुआ था जिसमें कलकत्ता निगम ने चाय निर्यातकों के एक पक्ष पर निर्यात के लिए घटिया चाय रखने के लिये मुकदमा दायर किया था और स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगम को इन आधारों पर वह प्राभियोजन छोड़ देने की सलाह दी थी ?

†**श्री करमरकर** : मुझे ऐसा कोई मामला याद नहीं है जिसमें हमने किसी को ऐसी सलाह दी हो। हम सामान्यत : नियमों को कठोर रूप से लागू करना चाहेंगे। यह निर्यात की चाय का प्रश्न एक समस्या है और हम उसका हल ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। उदाहरण के लिये चाय को निर्यात के लिये बाण्ड के अन्तर्गत रखने का प्रश्न है ताकि उसे भारत के बाजार अथवा अन्य बाजारों में न बेचा जा सके जहां उसकी आवश्यकता नहीं है। वह मामला विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त** : क्या नियमों के निर्यात को प्रभावित किए बिना, लागू किये जाने की समस्या पर कलकत्ता निगम अथवा चाय बोर्ड द्वारा कोई अभ्यावेदन किया गया है ?

†**श्री करमरकर** : स्वास्थ्य मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन नहीं किया गया है परन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को एक अभ्यावेदन भेजा गया है क्योंकि यह निर्यात से संबंधित मामला है। जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं, कानूनी राय यह थी कि भारत में उपभोग की जाने वाली चाय से संबंधित नियम बाहर भेजी जाने वाली चाय पर भी लागू होने चाहियें। सभा को समझना चाहिये कि यदि हम डंठल वाली चाय जो हमारी परीक्षा के अनुसार घटिया चाय है, की अनुमति दे देंगे तो ऐसे बहुत से चालाक लोग होंगे जो उसे निर्यात के लिए अंकित करके भारत में ही बेचेंगे। यह एक जटिल समस्या है। हम ऐसा हल निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे निर्यात निषिद्ध न हो और साथ ही हमारे लोगों को अच्छी चाय का संभरण होता रहे।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि चाय में डंठल रहने से स्वास्थ्य पर कोई हानिकर प्रभाव तो नहीं पड़ता है क्योंकि यह कहा जाता है कि उनका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और वह अधिक अच्छा पेय प्रदान करते हैं ?

†**श्री करमरकर** : यदि माननीय सदस्या सहमत हों तो मैं समिति से उनकी सलाह लेने के लिए कह सकता हूं। परन्तु जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं चाय में अधिक डंठल पसंद नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्या भी अपनी चाय में ज्यादा डंठल पसन्द नहीं करेंगी। यदि उनकी राय विशेषज्ञों की राय है तो मैं उसका फायदा उठाना चाहूंगा और हम उसके सम्बन्ध में सभा के बाहर चर्चा करेंगे।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि डंठल अपमिश्रण नहीं है वरन् चाय के अभिन्न भाग हैं ?

†**श्री करमरकर** : अभिन्न भाग अवश्य हैं परन्तु उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए ? हमने एक प्रतिमान निर्धारित किया है और हम उसका यथासंभव पालन करते हैं। सूडानी लोग डंठल वाली चाय पसंद करते हैं और हम भी यह नहीं चाहते कि हमारा निर्यात कम हो जाये। फिर हल कैसे निकाला जाये ? यही हमारी कठिनाई है। हम इसका भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि निर्यात वाली चाय निर्यात की जाये और भारत के अन्दर उपयोग में लाई जाने वाली चाय भारत में काम आये।

## दक्षिण-पूर्व रेलवे पर तांबे के तारों की चोरी

+

†*१२४९. { **श्री सुबोध हंसदा** :
**श्री स० चं० सामन्त** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे पर, विशेष कर खड़गपुर तथा चक्रधरपुर के बीच, तांबे के तारों की चोरी बढ़ गई है;

(ख) क्या पिछले तीन महीनों में किसी चोरी का पता लगा है; और

(ग) क्या इन चोरियों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि चोरी का पता लगाना कानून तथा व्यवस्था का प्रश्न है और वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ।

(ग) डाक तथा तार विभाग, जो लाइनों के तारों के संधारण के लिए जिम्मेदार है, ने सूचित किया है कि निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(१) राज्य सरकार से उपयुक्त स्थानों पर विशेष पुलिस चौकसीदल रखने की प्रार्थना की गई है ताकि चोरियों की सूचना मिलते ही वे चोरी के स्थानों की ओर रवाना हो सकें ?

(२) चोरी के क्षेत्रों में धीरे-धीरे तांबे के तार हटाकर तांबे से मढ़े तार लगाना ।

(३) इलेक्ट्रॉनिक फाल्ट लोकेटर्स का अधिक व्यापक प्रयोग ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इन तांबे के तारों की देखभाल करने के लिए यह सतर्कता समिति कब नियुक्त की गई है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हां, श्रीमान् । एक समय बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत खराब थी और उस पर नियंत्रण करने के लिए डाक तथा तार विभाग द्वारा एक विशेष डी० आई० जी०, पुलिस संस्थापन सहित, नियुक्त किया गया था ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : चूंकि इससे क्शन में तांबे के तारों की चोरी दैनिक चीज़ बन गई है, क्या सरकार इन तारों को ऊपर लगाने के बजाये जमीन के अन्दर लगाने के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इसका संधारण डाक तथा तार विभाग की जिम्मेदारी है, जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं । कोई भी उपाय करना या न करना उनके हाथ में है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : माननीय मंत्री ने कहा कि चोरों के कार्यों का पता राज्य सरकारें लगाएंगी । क्या मंत्रालय ने राज्य सरकारों को खड़गपुर और चक्रधरपुर के बीच कुछ चौकियां बनाने के लिए कहा है ताकि इन चीजों का पता लगाया जा सके ?

†**श्री शाहनवाज खां** : चोरी के प्रत्येक मामले की सूचना राज्य पुलिस को दी जाती है और उपयुक्त व्यवस्था करना उसका कार्य है । मैं समझता हूं कि लाइनों पर गश्त कराना उन्होंने इसी के सम्बन्ध में शुरू किया है ।

†**श्री रंगा** : श्रीमान्, आपने कुछ समय पूर्व रेलवे मंत्री से चोरियां रोकने के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने के लिए कहा था । क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने इसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों को निर्देश किया है और क्या यह सच नहीं है कि परिणाम बहुत संतोषजनक नहीं रहे हैं ? क्या यह भी सच नहीं है कि उन्होंने अध्यक्षपीठ और सभा को यह आश्वासन दिया था कि वह इन चोरियों को रोकने के लिए अपने और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे ?

†**रेलवे मंत्री श्री जगजीवन राम** : कार्यवाही की जा रही है । परन्तु संभवतः माननीय सदस्य ने उपमंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को सुना नहीं है । उन्होंने कहा है कि डाक तथा तार विभाग, जो इन तांबे के तारों और लाइनों की देखभाल करता है, ने तारों की निरन्तर चौकसी करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर व्यवस्था की है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इतना ही कहूंगा कि यह मामला किसी न किसी--रेलगाड़ियों में चोरियां, लोगों पर हमले आदि--के रूप में आता ही रहता है। कहा जाता है कि यह सब राज्य सरकारों का कार्य है। परन्तु समस्त देश के लाभ के लिए एक या दो राज्यों के करदाताओं को उन लाइनों की देखभाल करने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए ? मैं नहीं जानता कि डाक तथा तार विभाग अथवा रेलवे विभाग कोई अंशदान देता है या नहीं। बिहार के करदाता इस सब के लिए क्यों भुगतान करें ? मैं समझता हूं कि यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि डाक तथा तार विभाग अपनी अलग पुलिस रख सके। इसमें बहुत समय लगता है।

†**श्री जगजीवन राव** : मैं समझता हूं कि राज्य के अन्तर्गत एक दूसरा राज्य बनाना कभी भी व्यवहारिक नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि उन क्षेत्रों का, जिनमें से होकर विभिन्न राज्यों में रेलवे लाइन जाती है, एक पृथक राज्य बना कर उसकी कानून तथा व्यवस्था केन्द्र को सौंपना व्यवहारिक होगा। (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : फिर रेलवे पुलिस क्यों रखी गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। यह सुझाव दिया गया था कि पुलिस और चौकसी की व्यवस्था होनी चाहिए। परन्तु समस्त देश के लाभ के लिए केवल एक राज्य के करदाता को ही भुगतान करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं समझता हूं कि संविधान के निर्माण के समय इस पर विचार किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उसमें समय समय पर संशोधन नहीं किये गये हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : परिवर्तन किये गये हैं, यह ठीक है। परन्तु हमें इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि क्या रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए वह राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है जिसमें होकर वे गुजरते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु राज्य सरकारों और रेलवे के बीच वह व्यक्ति मारा जाता है जिसकी चोरी होती है और फिर उसकी सम्पत्ति कभी वापस नहीं मिलती।

†**श्री जगजीवन राम** : परन्तु संभवतः आपको यह नहीं मालूम है कि जब हम रेलवे पुलिस रखते हैं तो हम उतना राज्य सरकारों को भुगतान भी करते हैं। परन्तु इसकी व्यवस्था सम्बन्धित मंत्रालय के विभाग और राज्य सरकारो की बीच की जानी होती है। परन्तु मैं फिर से यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकारों से कानन तथा व्यवस्था ले लेना और राज्य के अन्तर्गत राज्य का निर्माण करना व्यवहारिक नहीं होगा।

†**श्री रंगा** : स्थानीय उपद्रवों में अनेक बार रेलवे ने गाड़ियों में अपने सुरक्षा कर्मचारी रखे हैं ताकि रेलवे की सम्पत्ति की चोरी न की जा सके।

†**श्री जगजीवन राम** : श्री रंगा को सुरक्षा और पुलिस कार्यवाही का अन्तर समझना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कहते हैं कि अपराध होने पर कार्यवाही करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है परन्तु उसके पूर्व सम्पत्ति का मालिक अपनी सम्पत्ति की रक्षा के लिए कोई भी उपाय कर सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम :** जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, हमारा एक रेलवे सुरक्षा दल है और हम सम्पत्ति की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं परन्तु जब कोई घटना हो जाती है तो वह हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर चली जाती है और राज्य पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है। हमें मामला उसी को दर्ज कराना होता है। हम स्वयं मामला दर्ज करके अपराधियों को दंडित नहीं कर सकते।

**समुद्री डाक**

†*१२५०. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्री डाक के वितरण में पिछले दो मास से विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समुद्री डाक के समय पर वितरण होने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) समुद्री डाक से प्राप्त विदेशी डाक की वस्तुओं के कस्टम अधिकारियों द्वारा मुक्त किये जाने के पश्चात् वितरण में कोई विलम्ब नहीं होता है।

(ख) और (ग) उत्पन्न नहीं होते।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** विमान डाक सुविधाओं की बढ़ती हुई लोकप्रियता का समुद्री डाक पर क्या प्रभाव पड़ा है और समुद्री डाक के थैलों की संख्या हाल के दिनों में बढ़ रही है अथवा घट रही है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** मेरे पास समुद्री डाक के थैलों के आंकड़े नहीं हैं। यदि वे विमान डाक से आयें तब भी उनकी कस्टम द्वारा जांच की जायेगी। जब कस्टम उन चीज़ों की जांच करके उन्हें मुक्त कर देता है तभी हम उनका वितरण कर पाते हैं।

**गाड़ी परीक्षकों (ट्रेन एग्जामिनर्स) की वरिष्ठता**

+

†*१२५१. **राजा महेन्द्र प्रताप :**
**चौ० रणवीर सिंह :**
**श्री गणपति राम :**
**श्री नरदेव स्नातक :**
**श्री रा० स० तिवारी :**

क्या **रेलवे** मंत्री राज्य सभा में ७ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६८९ के उत्तर में और लोक-सभा में ३ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४०८ के उत्तर में बताये गये गाड़ी परीक्षकों (ट्रेन एग्ज़ामिनर्स) की वरिष्ठता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों को उपरोक्त नीति के विरुद्ध मौखिक आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार घोषित नीति पर दृढ़ रहने का है या नहीं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री० स० मो० बनर्जी** : एक औचित्य प्रश्न है। प्रश्न की पहली कंडिका में लिखा है :

"क्या रेलवे मंत्री ७ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६८९ के उत्तर में राज्य सभा में बताये गये गाड़ी परीक्षकों (ट्रेन एग्ज़ामिनर्स) की वरिष्ठता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : "क्या हम राज्य सभा में पूछे गये प्रश्न का उल्लेख कर सकते हैं ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । पद्धति यह है कि दूसरी सभा के चालू सत्र की कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया जाता । यह पिछले सत्र का मामला है और पुरानी चीज़ है अतः अभिलेख की बात है और इसका उल्लेख किया जा सकता है। हमें यह पद्धति अपनानी चाहिये। जब कोई बात वहां चल रही हो तो हमे उन कार्यवाहियों का उल्लेख नहीं करना चाहिये। कार्यवाही प्रकाशित की जाती है, चाहे वे प्रकाशित हो गई हो, अब हम उनका उल्लेख नहीं करते। परन्तु यदि वे पुराने अभिलेख का विषय बन चुकी हों, तो कोई भी मा० सदस्य उनका उल्लेख कर सकता है। यदि कोई सदस्य उन कार्यवाहियों का उल्लेख किये बिना प्रश्न पूछना चाहता है, तो वह कर सकता है ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या सरकार को विदित है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के सब से कनिष्ठ गाड़ी परीक्षक स्थायी बन चुके हैं और उनसे वरिष्ठ लोगों की उपेक्षा की गई है जो सभी अपेक्षित शर्तें पूरी करते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह बात सबके बारे में है ?

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : सरकार वरिष्ठ गाड़ी परीक्षकों को स्थायी बनाने में कितना समय लगायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : दो चीजें हैं। क्या माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि वहां ऐसा नियम है जिसके द्वारा केवल कनिष्ठ लोगों को वरिष्ठ लोगों के ऊपर पदोन्नत कर दिया गया है और स्थायी बनाया गया है ? यदि यह व्यक्तिगत मामला है तो माननीय सदस्य इसकी ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि यह साधारण आरोप है कि केवल कनिष्ठ लोगों को स्थायी बना दिया गया है और वरिष्ठ लोगों की उपेक्षा की गई है ?

†**श्री वाजपेयी** : ऐसे मामले हैं कि कनिष्ठ लोगों को स्थायी बनाया गया है और वरिष्ठ लोगों को छोड़ दिया गया है। अतः हम जानना चाहते हैं कि क्या इसके बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : उपयुक्तता का भी प्रश्न होता है। सिद्धान्त वरिष्ठता एवं उपयुक्तता का है। यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ है परन्तु उपयुक्त नहीं है, तो उपयुक्तता के नाते कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकार के सभी विभागों में ऐसे पद होते हैं जहां वरिष्ठता का कड़ा पालन एक विशिष्ट स्तर से ऊपर नहीं किया जाता । अन्य पदों के लिये वरिष्ठता एवं योग्यता का ध्यान रखा जाता है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** और उपयुक्तता का भी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अतः ऐसा सामान्य प्रश्न नहीं हो सकता ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** जो सिद्धान्त आपने अभी बताया है वह स्थायीकरण के बारे में लागू होता है । अतः यह कोई अचम्भे की बात नहीं है कि कुछ कनिष्ठ लोगों को स्थायी बना दिया गया हो और वरिष्ठ लोगों को स्थायी न बनाया गया हो । मैं किसी खास मामले में नहीं कह रहा परन्तु साधारणतया ऐसा हो सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि कोई व्यक्तिगत मामला है तो माननीय सदस्य माननीय मंत्री को उसके बारे में लिख सकते हैं ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** यदि आपके कर्मचारियों में कुछ असन्तोष है तो इससे बाद में अधिक कठिनाई पैदा हो सकती है । क्या वरिष्ठ गाड़ी परीक्षकों के स्थायीकरण के इस प्रश्न का यथा शीघ्र फैसला करना उत्तम नहीं होगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** दिल्ली डिवीजन में जनवरी, १९५८ में इन लोगों के लिये एक परीक्षा हुई थी । केवल ३ व्यक्ति उसमें बैठे और ५० लोगों ने उसका बहिष्कार किया । तत्पश्चात् एक हलचल के पश्चात् एक परीक्षा जून में हुई । स्वभावतः जो लोग पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उनको बाद में उत्तीर्ण होने वाले लोगों से वरिष्ठ रखा गया ।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच है कि १५०—२२५ रुपये के वेतन मान वाले उन गाड़ी परीक्षकों को, जो १०-२-५८ से पहले उपयुक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए थे, वरिष्ठ बनाया गया था, हालांकि उनसे भी वरिष्ठ लोग विद्यमान थे ? केवल दिल्ली डिवीजन में ही ऐसी बात नहीं है । क्या इस सिद्धान्त का समूची उत्तर रेलवे में पालन किया जाता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं इसका तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता । यदि माननीय मित्र विशिष्ट मामलों की सूचना देते हुए मुझे लिखें तो मैं उस पर विचार करूंगा ।

†**श्री तंगामणि :** पिछले अवसर पर, इसके बारे में विस्तृत प्रश्न हुआ था । मंत्री ने बताया था कि दिल्ली डिवीजन की विचित्र स्थिति के कारण यह सवाल पैदा हुआ था—कि सरकार ने उत्तर रेलवे में इस बात का फैसला किया है । जिन कुछ विचित्रताओं का माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है, क्या उनके कारण दिल्ली डिवीजन के मामले में संशोधन किया जाएगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैंने पिछली बार उत्तर दिया था, "कि उन लोगों को जो फरवरी, १९५८ से पहले उत्तीर्ण हुए थे, उन लोगों से वरिष्ठ रखने का फैसला, जो बाद में उत्तीर्ण हुए थे, उत्तर रेलवे के सभी डिवीजनों पर लागू होता है और दिल्ली डिवीजन के कर्मचारियों के मामले में कोई अपवाद नहीं किया गया ।" यह उत्तर ३ मई, १९६१ को दिया गया था ।

†**श्री त्यागी :** क्या यह किया गया अधिमानीय व्यवहार, उच्च पदों में अल्पसंख्यकों का अनुपात रखने की नीति के अनुसार है, यह केवल क्षमता के कारण कनिष्ठ लोगों को पदोन्नत किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम :** यहां अल्पसंख्यकों का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री त्यागी :** समूचा रेलवे कर्मचारी वर्ग इस विषय में क्रुद्ध है और इसलिये मैं मंत्री की स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहता था कि इस मामले से कोई साम्प्रदायिक सम्बन्ध नहीं है ।

†**एक माननीय सदस्य :** साम्प्रदायिक नहीं, बल्कि जाति ।

†**श्री त्यागी :** मैं माननीय मंत्री की सहायता के लिये आ रहा हूं ।

†**श्री जगजीवन राम :** इसमें किसी अल्पसंख्यक के लिये किसी आरक्षण का सवाल नहीं है ।

**भाखड़ा बांध**

†*१२५२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने संघ सरकार से भाखड़ा बांध के व्यय में अंशदान देने और उनमें पंजाब सरकार का दायित्व कम करने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का विषय क्या है और उस पर संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां ।

(ख) पंजाब सरकार ने योजना आयोग से अभ्यावेदन किया है कि भारत सरकार भाखड़ा नंगल परियोजना के सिंचाई अंश में "अनुत्पादक अन्तर" की राशि के बराबर पंजाब सरकार को "कल्याण सहायता" देने के प्रश्न पर विचार कर सकती है । उन्होंने यह भी सुझाव रखा है कि भाखड़ा नंगल परियोजना के सिंचाई अंश के लिये भारत सरकार द्वारा दिये गये ऋण पर प्रारम्भ से ३० प्रतिशत ब्याज लिया जाना चाहिये । ये प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन हैं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** गैर-विकास-अंश पर कितने प्रतिशत व्यय हुआ है, जिसके लिये पंजाब सरकार ने छूट मांगी है ?

†**श्री हाथी :** यह गैर-विकास-अंग नहीं बल्कि अनुत्पादक अंश है । उन्होंने यह सोचा कि सिंचाई की कुल लागत ८७.४१ करोड़ रुपये होगी और आय १.९० करोड़ रुपये होगी जो ५४ करोड़ रुपये की पूंजी का ब्याज होगी । इसलिये उन्होंने ३३ करोड़ रुपये को अनुत्पादक पूंजी माना है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या केन्द्रीय सरकार परीक्षण करके इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वास्तव में ८७.४ करोड़ रुपये परियोजना के अनुत्पादक भाग का व्यय है ?

†**श्री हाथी :** यह सारा अनुत्पादक नहीं है । उनके कथनानुसार भी यह सारी राशि अनुत्पादक नहीं है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या पंजाब सरकार ने अनुत्पादक अंश का अनुमान लगाया है ?

†**श्री हाथी :** जी हां, ३३ करोड़ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा :** काम के कौन बड़े सैक्शन अनुत्पादक करार दिये गये हैं ?

†**श्री हाथी :** किसी काम को अनुत्पादक मानने का सवाल नहीं है । उनका कहना है कि सिंचाई परियोजना की कुल लागत ८७ करोड़ रुपये होगी । उनकी आय १.९ करोड़ रुपये की होगी । यहां ५४ करोड़ रुपये की पूंजी का ब्याज मात्र इतना बनता है । इसलिये वे कहते हैं कि ३३ करोड़ रुपये से कोई ब्याज नहीं होगा । अतः वे उसे अनुत्पादक मानते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कितने प्रतिशत है ?

†श्री हाथी : ४ प्रतिशत की सामान्य दर ।

†**श्री रंगा :** क्या पंजाब सरकार ने उनके ऊपर इस ऋण के भार में कमी के लिये अपने दावे का समर्थन करने के हेतु, सुधार के शुल्क देय में कमी के बारे में सुझाव दिया है, जिसका उन्होंने हिसाब लगाया है ?

†**श्री हाथी :** सुधार शुल्क का प्रश्न पंजाब सरकार का है । उन्होंने ब्याज दर में कमी की प्रार्थना की है ।

†**श्री रंगा :** क्या उन्होंने उसका उस प्रतिकर के तौर पर सुझाव दिया है जो वे उत्पादकों को कुछ रियायत देंगे ?

†**श्री हाथी :** उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया ।

†**श्री महन्ती :** क्या भारत सरकार ने सभी नदी घाटी परियोजनाओं में अनुत्पादक धन विनियोजन पर ब्याज न लेने का प्रश्न सिद्धान्त के तौर पर स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री हाथी :** जी नहीं ।

†**श्री महन्ती :** चूंकि सभी राज्य सरकारों को इस मामले में दिलचस्पी है, इसके बारे में फैसला होने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री हाथी :** यह केवल पंजाब का सवाल नहीं है, अपितु यह सभी राज्यों के लिये लागू होगा । अतः इस पर अखिल भारतीय आधार पर विचार करना होगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** इस मामले पर केन्द्रीय सरकार कब तक फैसला कर लेगी ताकि पंजाब सरकार किसानों को कुछ रियायत दे सके ?

†**श्री हाथी :** इस मामले पर योजना आयोग विचार कर रहा है ।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या मैं जान सकता हूं कि भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना हैं ?

†**श्री हाथी :** बांध प्रायः पूरा हो चुका है । चौथा सैट कल या परसों लगाया जा चुका है । परन्तु चूंकि हम दाहिने किनारे पर भी नये सैट बढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ समय लग जाएगा ।

†**श्री महन्ती :** चूंकि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को अधिकांशतः इन बांधों का निर्माण कार्य सौंपा गया था, जिनमें भाखड़ा बांध भी शामिल है, यह अनुत्पादक व्यय कैसे हुआ ?

†**श्री हाथी :** मेरा उत्तर बहुत स्पष्ट था । ऐसी बात नहीं है कि कोई खास काम अनुत्पादक है । वे ऐसा समझते हैं कि मूल लागत ८७ करोड़ रुपये है, परन्तु कुल आय १·९ करोड़ रुपये होगी । यदि

---

†मूल अंग्रेजी में

वे ४ प्रतिशत की दर पर ब्याज आकें तो १.९ करोड़ रुपये की राशि ५४ करोड़ रुपये की पूंजी का ब्याज होगी। इसलिये वे कहते हैं कि ८७ करोड़ में से ५४ करोड़ निकाल कर ३३ करोड़ की राशि अनुत्पादक होती है। ऐसी बात नहीं कि कोई काम अनुत्पादक है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** परियोजना का विचार किये जाने से लेकर और केन्द्रीय सरकार तथा पंजाब और राजस्थान सरकारों के बीच ब्याज दर के बारे में करार होने के पश्चात् स्थिति में क्या अन्तर आया है ? तब से लेकर स्थिति में कितना अन्तर आया है और इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री हाथी:** दरों में विभिन्न समय पर अन्तर रहता था। परन्तु दूसरे वित्त आयोग द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के पश्चात् यह फैसला किया गया है कि १९५८ तक दिये गये ऋणों पर सिंचाई के लिये ब्याज दर ३ प्रतिशत और विद्युत् के लिये ४ प्रतिशत होनी चाहिये। दरें विभिन्न समयों पर भिन्न थीं भिन्न परन्तु अब यह फैसला किया गया है कि मार्च १९५८ तक सब ऋणों पर वह ब्याज होगी।

## खतरे की जंजीरें निकालना

†*१२५३. **श्री राम गरीब :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में खतरे की जंजीरें निकालना किसी संविधि द्वारा प्राधिकृत है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या खतरे की जंजीरें निकालने पर यात्रा करते हुए यात्रियों और कन्डक्टर गार्ड के बीच सम्पर्क रखने के लिये कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) रेलवे की खुली लाइनों के संचालन के सामान्य नियमों के नियम १११ (ग) में रेलवे प्रशासन द्वारा खतरे की जंजीरों को निकालने का उपबन्ध है। ये नियम भारतीय रेलवे अधिनियम १८९० की धारा ४७ के अन्तर्गत बनाये गये हैं।

(ख) नियम १११ और धारा ४७ के उद्धरण सभा पटल पर रखे गये हैं। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(ग) जब खतरे की जंजीरें निकाली जाती हैं, यात्रियों और गार्ड के बीच संसूचना का कोई दूसरा साधन नहीं होता जब गाड़ी चलती हो। तथापि, बटन दबाने की व्यवस्था के प्रयोग से, जो जब यात्रियों द्वारा दबाया जाएगा, गार्ड को और ड्राइवर को सुनने योग्य सिगनल देगा ताकि वे आवश्यकतानुसार गाड़ी को रोक सकें, यह प्रयोग किया जा रहा है।

†**श्री सिंहासन सिंह :** क्या यह तथ्य है कि रेलवे में खतरे की जंजीरों को खींचने से रोकने में रेलवे प्रशासन की असफलता के कारण खतरे की जंजीरों को निकाल दिया गया है और उनकी अपनी अकुशलता के कारण उन्होंने खतरे की जंजीरों को निकालने की नकारात्मक नीति अपनाई है जिससे लोगों को कष्ट भोगना पड़ रहा है ?

**श्री शाह नवाज खां :** हमने जंजीर खींचने के मामले की संख्या को कम करने के लिये प्रत्येक सम्भव उपाय किया है और उस संख्या में थोड़ी कमी भी हुई है। परन्तु फिर भी संख्या काफी है, और गाड़ी चलाने तथा माल ढोने के लिये हमें इसका अनिवार्यतः आश्रय लेना पड़ता है। मैं यह भी बता दं कि १९६० में ४९१५३ बार जंजीरें खेंची गई थीं और यदि ऐसा होता रहे तो गाड़ियां चल नहीं सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सिंहासन सिंह :** किस क्षेत्र में संख्या अधिक थी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । क्या श्री रामाराव के मामले का यहां फैसला किया जा रहा है ? आधे घंटे की चर्चा हो चुकी है । अगला प्रश्न लिया जाए ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** परन्तु प्रश्न की वैधता का सवाल है ।

†**श्री रंगा :** मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

†**श्री शाहनवाज खां :** अधिकतर गाड़ियों में हमने जंजीरें फिर लगा दी हैं । जहां कहीं हम इस फिर लगाने की थोडी सी भी सम्भावना देखते हैं, हम लगा देते हैं ?

†**श्री रंगा :** हमें अभी बताया गया था कि जब कभी आवश्यकता हो तो यात्री कुछ शोर या सिगनल के द्वारा रेलवे कर्मचारी या गार्ड को बता सकते हैं ।

†**श्री त्यागी :** उन्होंने बटन दबाने का जिक्र किया था ।

†**श्री रंगा :** हमें पता नहीं कि यह कहां है । क्या किसी यात्री के लिये सम्भव है कि वह रेलवे कर्मचारियों को अपनी बात सुना सके ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वे केवल प्रयोग कर रहे हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जैसा मैंने कहा, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं और प्रायः सभी डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में हमने दबाने वाले बटन लगा दिये हैं, शुरू में स्त्रियों के डिब्बों में लगाये हैं । यह बिजली की घंटी की तरह है, और बटन दबाने से गार्ड के डिब्बे में घंटी बजती है ।

†**श्री रंगा :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक त्रुटि दिखाई देती है, जिसे रेलवे मंत्री ने पहले स्वीकार किया था, कि उन लोगों को प्रतिकार देने के बारे में, जिन को सरकार की असफलता या खतरे की जंजीरों के न रखने की सरकार की आवश्यकता के परिणामस्वरूप बड़ी दुर्घटना के कारण कष्ट उठाना पड़ा हो, क्या सरकार प्रतिकर देने का उपबन्ध करने के हेतु रेलवे अधिनियम में संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की वांछनीयता का विचार कर रही है ?

†**श्री जगजीवन राम :** जी नहीं । जंजीर खींचना रेलवे दुर्घटना नहीं मानी जाती । प्रतिकर उस व्यक्तिको दिया जाता है जिसे रेलवे दुर्घटना के कारण हानि हो, और जो मामला माननीय सदस्य के मन में है, वह रेलवे दुर्घटना के कारण नहीं है ?

†**श्री रंगा :** यह बात विवादास्पद है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या इस नियम का मंत्रालय ने संविधानिक दृष्टिकोण से परीक्षण किया है ? इस सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के द्वारा इस का परीक्षण होना चाहिये ।

†**श्री जगजीवन राम :** इस उपबन्ध का संविधान से कोई ताल्लुक नहीं । यह रेलवे अधिनियम से उत्पन्न होता है और नियम रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं यह जानता हूं । चूंकि संविधान लागू हो चुका है, क्या यह नियम उसकी भावना के अनुसार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : खतरे की जंजीरों का उपबन्ध संविधान में दिये गये मूलभूत अधिकारों में से नहीं है। ये उपाय यात्रियों के लाभ के लिये समय समय पर किये जाते हैं।

†**श्री त्यागी** : स्त्रियों और पुरुषों के बीच भेदभाव क्यों है ?

†**डा० मा० श्री० अणे** : रेलगाड़ी से यात्रा करते समय रेलवे दुर्घटना से यथासम्भव पूर्णत: सुरक्षित रहने का यात्रियों का मूलभूत अधिकार है। इस दृष्टि से, खतरे की जंजीरें लगाना रेलवे प्रशासन का कर्तव्य है, जिसकी वह अवहेलना नहीं कर सकते।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं नहीं समझता कि यह मूलभूत अधिकार है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यहां मूलभूत अधिकारों का फैसला करने के लिये नहीं हूं।

## पंचायत राज

†*१२५४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पंचायत राज के गैर-सरकारी कर्मचारियों के वेतनों तथा भत्तों पर होने वाले राज्यों के व्यय के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या आयोग ने इस मामले में राज्य सरकारों या सामुदायिक विकास मंत्रालय को कोई परामर्श दिया है;

(घ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में अनुमानत: कितना व्यय होगा ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)**: (क) से (घ). पंचायत समितियों और जिला परिषदों के गैर-सरकारी पदाधिकारियों को मानदेय देने के प्रश्न पर सामुदायिक विकास सम्बन्धी केन्द्रीय समिति ने विचार किया था, जिसमें योजना आयोग का प्रतिनिधि भी था। समिति ने फैसला किया था कि वेतन के रूप में कुछ देना उचित नहीं होगा किन्तु यात्रा भत्ता आदि समेत मूल व्यय के तौर पर केवल एक नियत राशि दी जाए। इस प्रश्न पर सामुदायिक विकास तथा पंचायत राज के राज्य मन्त्रियों के जुलाई १९६१ के हैदराबाद सम्मेलन में अग्रेतर विचार किया गया था। योजना आयोग ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में फैसला किया गया कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सभापतियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि दिया जाए जिससे वे अपना मूल व्यय कर सकें या इसके बदले इकट्ठा भत्ता दे दिया जाए। तथापि इन भत्तों की मात्रा का निर्धारण राज्य सरकारों के द्वारा स्थानीय हालात को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है।

कुछ राज्यों ने पहले से इन लोगों को मानदेय/वेतन देने की व्यवस्था की है। उनसे कहा गया है कि वे इन लोगों को मानदेय/वेतन देने के स्थान पर इकट्ठा भत्ता देने की दृष्टि से हैदराबाद सम्मेलन की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर विचार करें। अन्य राज्यों से, जिन्होंने इन लोगों के लिये मानदेय/वेतन देने की व्यवस्था नहीं की है, उनसे कहा गया है कि वे उनको यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता अथवा उसके स्थान पर इकट्ठा भत्ता देने के लिये उचित कार्यवाही कर।

(ङ) तीसरी योजना अवधि में खर्च होने वाली अनुमानित राशि का अनुमान राज्य सरकारों के द्वारा उपरोक्त बात के ऊपर की गई कार्रवाई बताये जाने के पश्चात् ही लगाया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : किस राज्य सरकार ने इन स्थानीय निकायों के सभापतियों के लिये मानदेय मंजूर किया है, कितना मानदेय मंजूर किया गया है और सम्मेलन में किये गये निर्णय के विरुद्ध उन्होंने क्या युक्ति दी है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : राज्यों ने केन्द्रीय समिति के द्वारा प्रश्न पर विचार किये जाने से पूर्व निर्णय कर लिया था ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : कौन से राज्य हैं वे ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : राज्य हैं, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : उन राज्यों ने मानदेय मंजूर करने के पक्ष में क्या युक्ति दी है? क्या वे सभापति के काम को पूर्णकालिक कार्यकर्ता मानते हैं, यदि हां, तो यह बात कैसे पूरी की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति । माननीय सदस्यों को यह भ्रम है कि वे ही जनता के एक-मात्र प्रतिनिधि हैं । राज्य विधान मण्डल भी है । हम एक पैसा भी संचित निधि से नहीं खर्च करते । यदि हम खर्च करते हैं तो उसकी निगरानी प्राक्कलन समिति करती है और तब मैं यह अनेक प्रश्नों की अनुमति दे सकता हूं । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, वह यह प्रश्न अपने राज्य से जाकर पूछें । मैं भत्तों के ब्यौरे का प्रश्न यहां पूछने नहीं दूंगा । वे जो चाहें दे सकते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह राज्य सरकार के निर्णय के विरुद्ध है । जब सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय और योजना आयोग सामने आते हैं और राज्य सरकार द्वारा किये गये फैसले के विपऱ्ीत फैसला करते हैं तो मैं समझता हूं कि केवल संसद् में ही प्रश्न उठाया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : धन कौन देता है ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जो लोग धन देते हैं उनको धन न देने को कहा जाता है । उन को धन न देने की बात कौन कहता है? योजना आयोग और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय उन को न देने को कह रहे हैं । इसलिये उनसे प्रश्न पूछा गया है कि धन देने के लिये राज्य सरकारों ने क्या कारण बताये हैं । ये दो ही राज्य हैं जिन्होंने विकेन्द्रीकरण किया है । यदि केन्द्र उन राज्यों की बात सुनने को तैयार नहीं है और उनके ऊपर अपना फैसला थोपना चाहता है, तो मैं समझता हूं यही एक ऐसी सभा है जहां ये बातें उठाई जा सकती हैं ।

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : मुझे खेद है कि इस मामल में राज्यों और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई झगड़ा नहीं है । हैदराबाद सम्मेलन में सामुदायिक विकास और पंचायत के राज्य मंत्रियों ने यह निर्णय किया था, जो एकमत से था । यह केन्द्रीय सरकार का फैसला नहीं है, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ उन को अपने विचार व्यक्त कर सकती है । अभी तक कोई झगड़ा नहीं हुआ और यदि कभी होता है तो निश्चय ही हम संसद् में आयेंगे ।

†**श्री रंगा** : क्या यह एक ऐसी घटना नहीं है जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार पंचायतों, पंचायत समितियों और पंचायत परिषदों को तो बात ही क्या, राज्य सरकारों पर भी अपनी तथाकथित मंत्रणा थोपने के द्वारा उनकी स्वतंत्रता को कम करने का प्रयत्न कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री की बात सुनी है । निस्संदेह केन्द्र समय समय पर उनको सलाह देता है, यदि एक राज्य देता है, तो दूसरी राज्य सरकार को भी देना

---

†मूल अंग्रेजी में

पड़ता है । इसीलिये समय समय पर सम्मेलनों में इन बातों पर चर्चा करके यथासंभव एकमत से फसला कर लिया जाता है । उनको पालना या न पालना सरकारों का काम है । वे एकमत से सहमत होते हैं, तो उस एकमत निर्णय के बावजूद यह कहने का क्या लाभ है कि आप अवश्य दें । मैं यहां ब्यौरे में पड़ना नहीं चाहता । केन्द्र तो केवल सलाह दे सकता है और उस को मानना या न मानना राज्यों की इच्छा है क्योंकि वे स्वतंत्र शासी हैं । परन्तु यदि कोई राज्य धनी होने के कारण दे सकता है तो दूसरे निर्धन राज्य को क्यों उसे देने के लिये बाध्य किया जाता है। केन्द्रीय सरकार कुछ एकरूपता लाना चाहती है और केवल सलाह देती है ।

## सर्वेक्षण पोत "हल्दिया"

†*१२५५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ११ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बन्दरगाह के सहायक नदी सर्वेक्षकों ने अपने एक साथी के, जिसने नदी सर्वेक्षण पोत 'हेल्दिया' को चलाने से मना कर दिया था, मुअत्तिल किये जाने के विरोध में हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा पोत चलाने से इंकार किये जाने के क्या कारण थे ;

(ग) हड़ताल किन शर्तों पर तोड़ी गई ; और

(घ) क्या पोत में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (घ) आर० एस० वी० "हल्दिया" पर कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए हुगली नदी सर्वेक्षण संस्था ने कहा था। जितनी संभव होंगी उतनी सुविधायें अक्तूबर, १९६१ में जहाज की मरम्मत के समय उसमें कर दी जायेंगी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि हड़ताल नहीं हुई थी । क्या यह सच नहीं है कि कमांडर बोसवर्थ को इसलिए मुअत्तल किया गया था क्योंकि उन्होंने अन्य सर्वेक्षण जहाज सर्वेक्षणों के साथ मिलकर यह कहा था कि जब तक जहाज में इच्छित सुविधायें नहीं दी जायें तब तक वह जहाज नहीं चलायेंगे ?

†**श्री राज बहादुर**: मैं दोबारा बताता हूं कि हड़ताल नहीं हुई थी । बात यह है कि जब सर्वेक्षण जहाज "हल्दिया" का कमीशन किया गया था तो उसको श्री बोसवर्थ से चलाने को कहा गया । उन्होंने उसमें कुछ सुविधाओं की व्यवस्था करने को कहा और पता लगा कि संभवतया वह उसको चलाना नहीं चाहते थे । इसलिये उनको मुअत्तल कर दिया गया । परन्तु बाद में नदी सर्वेक्षकों द्वारा हड़ताल की सूचना दिए जाने पर, बातचीत हुई कि मालूम हुआ तो कोई ग़लतफहमी थी और श्री बोसवर्थ का विचार आदेशों का उल्लंघन करने का नहीं था । यह ग़लतफहमी दूर हो जाने पर मुअत्तली के आदेश वापस ले लिए गए और समझौता हो गया ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : हिन्दुस्तान शिपयार्ड से जब यह जहाज ३० लाख रुपये में लिया गया था उस समय इसकी पर्याप्त जांच क्यों नहीं की गई थी कि कमीशन करने से पहले उसमें कुछ रूपभेद करना आवश्यक था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** यह कहना ठीक नहीं है कि जांच नहीं की गई थी। तथ्य यह है कि चीफ़ सर्वेयर, एडमिरल बोस ने इस को प्रमाणपत्र दिया था। पोर्ट कमिश्नरों ने जहाज के बारे में उनकी सलाह ली थी और उन्होंने बताया था कि जहाज को इसी रूप में काम में लाया जा सकता है। उन्होंने कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करने का सुझाव दिया था जिनको कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह लायड वर्गीकरण में आता है और इसको समुद्र में चलाये जाने के योग्य होने के सभी प्रमाणपत्र प्राप्त हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सच नहीं है कि सुविधाओं की कमी रहने वाले क्वार्टरों तथा अधिकारी वर्ग के मकानों के संबंध में थी? इन सुविधाओं की व्यवस्था करने पर कितना धन अनुमानतः व्यय होता तथा इस व्यय का वहन पोर्ट कमिश्नर अथवा हिन्दुस्तान शिपयार्ड कौन करता?

†**श्री राज बहादुर:** सर्वेयर्स चाहते थे कि अतिरिक्त बाथरूम, केबिनों का वायुनुकूलन आदि हो जो नहीं किया गया था। इसीलिए कुछ ग़लतफहमी हुई। अब अतिरिक्त बाथरूम की व्यवस्था करना स्वीकार कर लिया गया है। परन्तु समुद्र में चलने योग्य न होने का इससे कोई संबंध नहीं है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** इन परिवर्तनों का व्यय कौन देगा।

†**श्री राज बहादुर :** पोर्ट कमिश्नर।

## अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†*१२५७. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमों के अनुसार अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का कर्मचारी तीन वर्षों की सेवा के बाद नौकरी के लिए बाहर प्रार्थना पत्र भेज सकता है ;

(ख) क्या उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के कोई प्रार्थनापत्र नियमों को ढीला करके आगे भेज जाते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के प्रार्थनापत्र अपवाद स्वरूप ही भेजे जाते हैं ; और

(घ) द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से कुल कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए और कितने प्रार्थना पत्र आगे नहीं भेजे गये?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५२]**

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के प्रार्थनापत्र बाहर न भेजने का क्या कारण है? मुझे मालूम होता है कि उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के प्रार्थनापत्र बाहर भेजने की अधिक प्रतिशतता है।

†**श्री करमरकर :** मैं यह जानकारी अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था से पूछूंगा क्योंकि इस संस्था की एक विधि के अनुसार वह एक स्वायत्तशासी संस्था है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था ने कोई नियम बनाये हैं जिनके अनुसार सभी प्रार्थनापत्रों को बाहर भेजने की व्यवस्था है ?

†**श्री करमरकर :** मुझे पूर्वसूचना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रख दें ।

†**श्री करमरकर :** मैं उनसे पूछूंगा यदि उन्होंने कोई नियम बनाये होंगे तो मैं उनको उनसे लेकर पुस्तकालय में रख दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** औद्योगिक, वाणिज्यिक, अथवा चिकित्सा सभी प्रकार के स्वायत्तशासी निगमों द्वारा बनाये गये नियमों की प्रतियां संसद सदस्यों के लाभार्थ पुस्तकालय में रखी जानी चाहिएं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के कितने प्रार्थनापत्र नियमों की छूद देकर बाहर भेजे गये ?

†**श्री करमरकर :** दूसरे वर्ग के कर्मचारियों से १९ प्रार्थना पत्र मिले थे जिसमें से १४ बाहर नहीं भेजे गए ?

†**श्री जोकीम आल्वा :** स्वायत्तशासी संस्था होने के कारण स्वास्थ्य मंत्री महत्वपूर्ण चिकित्सा विज्ञान संस्था के प्रशासन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं । क्या यह सच नहीं है कि द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में बड़ा असंतोष है क्योंकि द्वितीय श्रेणी के १९ प्रार्थनापत्रों में से १४, तृतीय श्रेणी के ५५ प्रार्थनापत्रों में से ३० बाहर नहीं भेज गये जब कि विदेशों में प्रशिक्षित डाक्टरों को यह अधिकार है कि वह अच्छे पदों पर बाहर जाने के लिए प्रार्थना पत्र भेज सकें ?

†**श्री करमरकर :** हमारा उनपर नियंत्रण संसद के अधिनियम के अनुसार ही हो सकता है। दूसरे संभवतया मेरे मित्र इस बात को समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी संस्था में नियुक्त हो जाता है तो बाहर अन्य पदों पर प्रार्थनापत्र भेजने के संबंध में उस पर कुछ नियंत्रण रहते हैं । क्या एक व्यक्ति के एक पद पर नियुक्त हो जाने पर एक वर्ष की अवधि में ही हमें उसके प्रार्थनापत्र को बाहर भेजने की अनुमति दे देनी चाहिए । अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का केवल यही कथन है कि अभ्यर्थियों को नियुक्त करे और फिर उन्हें बाहर जाने की अनुमति दे दे । मैं संस्था के द्वारा लिए गए निर्णय से पूर्णतः सहमत हूं ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** इस संस्था पर ५ करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं । हम चाहते हैं कि इसके संबंध में कुछ चर्चा सभा में हो ।

†**श्री करमरकर :** मैं आधे घंटे अथवा एक घंटे की चर्चा का स्वागत करूंगा ।

### कल्यान में रेलवे का नया अस्पताल

†*१२५८. **श्री तंगामणि :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ फरवरी, १९६१ को मध्य रेलवे के कल्यान में खोले गये नये अस्पताल में मजदूरों के इलाज और मजदूरों की स्त्रियों के प्रसव के मामलों के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विक्टोरिया टर्मिनस का एक मोटरमेन १३ जुलाई, १९६१ को इसी अस्पताल में "कारोनरी थ्राम्बासिस" से मर गया और चिकित्सा में लापरवाही की गई;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि इस काल में दो गर्भवती स्त्रियां और बच्चे लापरवाही के कारण मर गये; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस अस्पताल में गर्भवती स्त्रियों की चिकित्सा की जांच-पड़ताल करने का है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, नहीं। केवल एक गार्ड ने अपनी पत्नी के प्रसव के बारे में शिकायत की है।

(ख) जी हां। परन्तु चिकित्सा में लापरवाही का आरोप ग़लत है।

(ग) जी, हां। परन्तु लापरवाही के कारण नहीं मरे।

(घ) जी, नहीं।

†**श्री तंगामणि :** गार्ड की पत्नी श्रीमती नालप्पा मर गईं अथवा बच गईं।

†**श्री शाहनवाज खां** : वह मर गईं।

**तारांकित प्रश्न संख्या १२६१ के बारे में**

†**श्री हेम बरुआ :** मेरा निवेदन है कि तारांकित प्रश्न संख्या १२६१ का उत्तर दे दिया जाये। इसका नोटिस अल्पसूचना प्रश्न के रूप में दिया गया था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह एक युवती की हत्या के बारे में है। इस प्रश्न को तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकार किया गया है। मैंने आप को लिखा था कि इस प्रश्न को ले लिया जाये। क्या यह प्रार्थना स्वीकार की जा सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा; माननीय मंत्री।

**अमीनगांव स्टेशन पर युवती की लाश**

+

†*१२६१. { **श्री हेम बरुआ :**
**श्रीमती मफीदा अहमद :**

**क्या रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान असम तथा कलकत्ता के अखबारों में छपे इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि १२ अगस्त, १९६१ को असम के अमीनगांव रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे में एक लोहे के ट्रंक में बंद २०/२२ वर्ष की आयु की एक युवती की लाश पाई गई;

(ख) यदि हां, तो क्या शव परीक्षा द्वारा यह बात सुनिश्चित कर ली गई है कि यह एक क्रूर हत्या का मामला है; और

(ग) यदि हां, तो अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). जी, हां। लाश के सड़ जाने के कारण पोस्ट मार्टम के द्वारा मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं लगाया जा सका।

(ग) मृत के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**श्री हेम बरुआ :** लाश लोहे के ट्रंक में बन्द थी तथा ट्रंक प्रथम श्रेणी के रेलवे के डिब्बे में था। ट्रंक के साथ कोई व्यक्ति नहीं था। पति यात्रा नहीं कर रहा था। पठानकोट से यात्रा करने वाले एक सैनिक अधिकारी ने रेलवे गार्ड को बताया कि 'उनके डिब्बे में बिना देखभाल के एक ट्रंक पड़ा है' परन्तु गार्ड ने कोई परवाह नहीं की। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे गार्ड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** पुलिस सभी मामले की जांच कर रही है। रेलवे के डिब्बों में हजारों ट्रंक पड़े रहते हैं। रेलवे अधिकारी सभी ट्रंकों को खोल कर नहीं देखते।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का यह कहना है कि एक सैनिक अधिकारी ने रेलवे गार्ड अथवा अधिकारी का ध्यान इस ओर दिलाया था और कहा था कि वह उस ट्रंक को देखें क्योंकि वह संदेहास्पद स्थिति में था।

†**श्री शाहनवाज खां :** हमें इसकी जानकारी नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ :** लड़की के पति ने माल जंकशन पर इस ट्रंक को डिब्बे में रखा और चलता बना। सैनिक अधिकारी ने . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** मामले की जांच हो रही है। हमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिनका असर जांच पर पड़े।

†**श्री हेम बरुआ :** पूरा मामला समाचारपत्रों में छप चुका है। समाचारपत्र ने बताया है कि उनको यह समाचार रेलवे पुलिस ने दिया है।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** जब मामले की पुलिस जांच कर रही है तो मैं समाचारपत्रों के समाचार के आधार पर कोई बात नहीं बता सकता।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या माननीय मंत्री रेलवे पुलिस से इस बात की जांच करेंगे कि यह समाचार उनसे समाचारपत्र को किस प्रकार मिल गया ?

†**श्री जगजीवन राम :** मामला पुलिस के हाथ में है। वह मामले की पूरी तरह जांच करेंगे।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** मैं समझती हूं कि यदि महिलाओं के लिए अलग डिब्बा होता तो यह घटना नहीं घटी होती। क्या सरकार रेलगाड़ियों में महिलाओं के लिए प्रथम श्रेणी के डिब्बे लगाने के बारे में विचार कर रही है ?

†**श्री जगजीवन राम :** माननीय सदस्य ने प्रश्न पढ़े बिना ही यह प्रश्न पूछा है।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं जानना चाहता हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को समझना चाहिए कि मामला पुलिस के हाथ में है। इसलिए कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समाचारपत्र के समाचार का भी ध्यान रखा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## उड्डयन क्लब

†*१२४१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में और उड्डयन क्लब स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना में १५ नये उड्डयन क्लब स्थापित करने की व्यवस्था है ।

## अन्तर्देशीय प्रयोग के लिए 'सुपर कांस्ट्लेशन" विमान

†*१२४२. **सरदार इकबाल सिंह :**
**श्री राम कृष्ण गुप्त :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल द्वारा 'बोइंग' विमान खरीदे जाने के फलस्वरूप फालतू हो गये 'सुपर कांस्ट्लेशन' विमानों को भारत में अन्तर्देशीय मार्गों पर चलाने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन की आवश्यकताओं से अधिक हो जाने पर सुपर कांस्ट्लेशन विमानों को इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा अन्तर्देशीय प्रयोग के प्रश्न की जांच कर ली गई है परन्तु उन्होंने निर्णय किया है कि इन विमानों का प्रयोग लाभदायक नहीं होगा । परन्तु इंटरनेशनल एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा इन विमानों को किराये पर देने के प्रश्न पर अभी भी विचार किया जा रहा है ।

## केरल में रेल-डिब्बा बनाने का कारखाना

†*१२४४. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार का छोटी लाइन के डिब्बे बनाने का कारखाना क्विलोन में स्थापित कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**वैगन तोड़ने वालों और रेलवे संरक्षण पुलिस में मुठभेड़**

†*१२४८. **श्री मुहम्द इलियास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ जून, १९६१ को कांकिनाड़ा रेलवे यार्ड पर वैगन तोड़ने वालों और रेलवे संरक्षण पुलिस में मुठभेड़ हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुल कितने वैगन तोड़ने वाले व्यक्ति पकड़े गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १२-६-६१ को ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी परन्तु वैगन तोड़ने वालों तथा रेलवे संरक्षण पुलिस में ११-६-६१ को लगभग १३.०० बजे नैहारी यार्ड में मुठभेड़ हुई थी ।

(ख) उस स्थान पर कोई गिरफ्तार नहीं किया गया परन्तु आस पास के स्थानों पर छापा मारने पर १७ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

**कोयले के स्थान पर भट्टी के तेल का प्रयोग**

†*१२५६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे क्षेत्रों में जो कोयला क्षेत्रों से बहुत दूर हैं कोयले के स्थान पर भट्टी का तेल प्रयोग किये जाने की संभावना की जांच पड़ताल की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

**कोयले की कमी के कारण रेलगाड़ियों का चलाना बंद किया जाना**

†*१२५९. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला की कमी के कारण अगस्त, १९६१ के प्रथम सप्ताह में दक्षिण रेलवे के ओलवक्कोट डिवीजन में कुछ मालगाड़ियों को बन्द करना पड़ा था;

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार इस की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है;

(घ) दक्षिण रेलवे पर प्रति मास कितना कोयला प्रयोग होता है; और

(ङ) रेलवे के पास किसी भी दिन कितना कोयला स्टाक में होता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

## इंडोनेशिया को असैनिक विमान चालक

†*१२६०. **श्री अजराज सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडोनेशिया की सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि इंडोनेशिया में असैनिक विमान चालकों के कुछ पद खाली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इंडोनेशिया की सरकार को सूचित किया है कि भारत असैनिक विमान चालक वहां भेज सकता है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) इंडोनेशियान सरकार ने इंडोनेशियन एवियेशन एकेडैमी में कियमेक, तथा डकोटा विमानों का प्रशिक्षण देने के लिए कोलम्बो योजना के अधीन अनुभवी प्रशिक्षकों की सेवायें मांगी हैं।

(ख) कोलम्बो योजना की शर्तों के अधीन इंडोनेशिया में काम करने के लिये दोनों निगमों में नियुक्त अनुभवी विमान प्रशिक्षकों में से कोई भी इंडोनेशिया जाने को तैयार नहीं है।

## कोनार बान्ध

†*१२६२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**सरदार इकबाल सिंह :**
**श्री अ० मु० तारिक :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोनार बांध पर हुए कार्यों के लिये मैसर्स पटेल एण्ड कम्पनी को किये गये अधिक भुगतान संबंधी मध्यस्थ निर्णय की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). मध्यस्थ निर्णय में भारत सरकार पक्ष नहीं था परन्तु बताया गया है कि मामले पर दामोदर घाटी निगम विचार कर रहा है।

## अमरीका में पर्यटन प्रचार

†*१२६३. **श्री वी० चं० शर्मा :**
**श्री राम कृष्ण गुप्त :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह २८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिये कि अमरीका में जो पर्यटन प्रचार किया जा रहा है वह पर्याप्त और प्रभावोत्पादक है या नहीं, एक अनुसंधान परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्था ने अपनी अनुसंधान योजना प्रस्तुत कर दी है। संस्था से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

## सौराष्ट्र मेल की दुर्घटना

†*१२६४. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे पर विरार और सफाला के बीच १० जून, १९६१ को सौराष्ट्र मेल के साथ एक दुर्घटना हो गई थी और पांच स्त्रियां रेलगाड़ी के नीचे आकर मर गईं थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). पश्चिम रेलवे की बड़ी लाइन के विरार और सफाला स्टेशनों के बीच १० जून, १९६१ को लगभग ६·४५ बजे दहीसार पुल के निकट पांच औरतें ६ अप सौराष्ट्र मेल रेलगाड़ी के नीचे आकर मर गईं थीं। यह पटरी पर चल रही थीं।

## राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३७ पर पुल

†*१२६५. **श्रीमती मकीदा अहमद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न सख्या ५८४ के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३७ के प्रस्तावित उप-मार्ग पर नये पुल का निर्माण कब आरम्भ होने की संभावना है ;

(ख) क्या अब तक कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) धन की कमी के कारण राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३७ के प्रस्तावित उप-मार्ग तथा उस पर एक नये पुल के निर्माण कार्य को तीसरी पंचवर्षीय योजना म शामिल नहीं किया जा सका।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## भारत में औसत आयु

†*१२६६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का यह निष्कर्ष निकालने का क्या आधार है कि भारत में औसत आयु बढ़कर ४७ वर्ष हो गई है ;

(ख) स्त्री और पुरुषों के बारे में अलग अलग स्थिति क्या है ; और

(ग) बाल मृत्यु की स्थिति में कितना सुधार हुआ है और उसका औसत आयु पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## अमरीका से आयात किये गये गेहूं का टर्की भेजा जाना

†*१२६७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने आयात किये गये गेहू की बहुत बड़ी मात्रा हाल में टर्की भेज दी है ;

(ख) यदि हां, तो १९६१ में अब तक कुल कितना गेहूं टर्की भेजा गया है ;

(ग) यह कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या १९६० में गेहूं टर्की भेजा गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो कितने टन गेहूं भेजा गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि उप-मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (ग). प्राकृतिक संकटों के कारण खाद्यान्नों की कमी हो जाने के कारण तुर्की की सरकार ने पिछले महीने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि अमरीकी पीएल–४८० के गेहूं का ९०,००० टन का ऋण दिया जाये और उसको समुद्र से ही तुर्की की ओर भेज दिया जाये। भारत सरकार ने तुर्की की सरकार को सहायता देना स्वीकार कर लिया है परन्तु अमरीका की सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। अमरीका तथा तुर्की की सरकारों की अनुमति से लगभग उन्नीस हजार छः सौ टन गेहूं तुर्की को भेज दिया गया था। तुर्की सरकार यदि चाहेगी तो और गेंहू भेज दिया जायेगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## विमान चालकों की नियुक्ति

†*१२६८. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये बेरोजगार विमान चालकों में से किये गये पिछले चुनाव में केवल उन विमान चालकों को चुना गया है जो कहीं न कहीं नौकरी कर रहे थें ;

(ख) सर्वथा बेरोजगार विमान चालकों को प्राथमिकता न देने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान चालक पिछले तीन वर्षों से अतिरिक्त समय में काम कर रहे हैं ;

(घ) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों ने पिछले तीन वर्षों में कितने घंटे अतिरिक्त समय काम किया ;

(ङ) अतिरिक्त समय भत्ता के रूप में उन्हें कितना भुगतान किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में इन विमान चालकों से अतिरिक्त समय में काम लेने के बजाय यदि और विमान चालक भर्ती किये जाते तो इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को पर्याप्त बचत होती ; और

(छ) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विचार विमान चालकों से प्रति रक्त समय तक काम कराने की पद्धति का त्याग करने और काम करने के लिये नये विमान चालक भर्ती करने का है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**:(क) से (छ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या ५४]**

## भारत में हृदय रोग

†*१२६९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**सरदार इकबाल सिंह :**
**श्री अ० मु० तारिक :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८६२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में बढ़ते हुए हृदय रोग के कारणों का सर्वेक्षण इस बीच पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कारण क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## दूसरा जहाज कारखाना बनाने का प्रस्ताव

†*१२७०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक नये नौवहन समवाय नई दिल्ली की जयन्ती शिपिंग कम्पनी ने भारत सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि वह कोचीन में भारत का दूसरा जहाज कारखाना और उसके साथ एक मरम्मत कारखाना, परियोजना की अनुमानित लागत के एक तिहाई से भी कम खर्च पर और ३–४ वर्ष के समय में बना सकता है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

## पंजाब में चीनी के कारखाने

†३४६४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री चुनी लाल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में चीनी के कारखाने स्थापित करने के लिये जुलाई, १९६० से पंजाब से कितने प्रार्थना पत्र आये हैं और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन पर क्या कार्यसाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) पांच जिनका ब्यौरा निम्न है :—

| संख्या | प्रार्थी का नाम | प्रस्तावित स्थान |
|---|---|---|
| १ | मैसर्स ओसवाल शुगर मिल्स, लुधियाना | . दोराहा, पंजाब |
| २ | मैसर्स दि करनाल काप्रेटिव शुगर मिल्स | . करनाल, जिला करनाल |
| ३ | मैसर्स पलवल काप्रेटिव शुगर मिल्स . | . पलवल, जिला गुड़गांव |
| ४ | मैसर्स तरन तारन काप्रेटिव शुगर मिल्स लि० | . तरन तारन, जिला अमृतसर |
| ५. | मैसर्स बेदी एण्ड को० प्राइवेट लि०, बैंगलौर फैक्टरी, मैसर्स करनाल शुगर मिल्स लि० | करनाल, जिला करनाल। |

(ख) देश चीनी का आवश्यकता से अधिक उत्पादन को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया है कि अभी चीनी में और किसी कारखाने के लिए लाइसेन्स न दिया जाये। अतः जब कभी नये कारखानों के लिए लाइसेन्स देने का निर्णय होगा, तब इन प्रार्थनाओं पर विचार किया जायगा।

## राज्यों में दूध बोर्ड

†३४६५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री चुनी लाल :**
**श्री पांगरकर :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में दूध के बोर्ड बनाने में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत के कृषि बोर्ड के पशुपालन विंग ने जुलाई, १९६१ में इस प्रश्न पर विचार किया था। विंग ने सिफारिश की है कि राज्यों में दूध बोर्ड बनाने पर केवल उस समय ही विचार करना चाहिये जब कि दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई सारी दूध योजनायें और डेरी परियोजनायें पूरी हो जायें ।

†मूल अंग्रेजी में

**दिल्ली में अनर्ह चिकित्सक**

†३४६६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री चुनी लाल :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी राज्य के चिकित्सा अधिनियम को दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में अशिक्षित चिकित्सकों को रोकने के लिए लागू करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

**फीरोजाबाद और माखनपुर स्टेशनों के बीच चलती रेल गाड़ी से फेंके गये यात्री**

†३४६७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री चुनी लाल :**

क्या **रेलवे** मंत्री ६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने १८ सितम्बर, १९६० को फीरोजाबाद और माखनपुर स्टेशनों के बीच चलती रेलगाड़ी से बाहर फेंके गये यात्रियों के मामलों की जांच पड़ताल की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). हां, श्रीमान् । पुलिस के भरसक प्रयत्न करने पर भी घटना का कोई पता नहीं लगा है ।

**नौवहन के लिए विदेशी मुद्रा**

†३४६८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री चुनी लाल :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २७ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच नौवहन उद्योग, जहाज बनाने और जहाजों की मरम्मत करने वाली फर्मों की आयात आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा नौवहन महानिदेशक के विवेक पर रखने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

---

¹Unqualified Medical Practitioners.

†मूल अंग्रेजी में

**फलों व सब्जियों के लिए गोदाम**

†३४६९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री चुनी लाल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २७ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फलों और सब्जियों के परिरक्षण के लिए एक गोदाम बनाने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: आवश्यक जांच पड़ताल हो गई है और स्थान चनने व प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

**महाराष्ट्र को नियत किया गया लोहा और इस्पात**

†३४७०. **श्री पांगरकर**: क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में महाराष्ट्र की कृषि आवश्यकताओं के लिए कितने लोहे और इस्पात की मांग की गई थी और कितना नियत किया गया ; और

(ख) उपरोक्त काल में वास्तव में कितनी मात्रा दी गई ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**महाराष्ट्र को चावल का संभरण**

†३४७१. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में अब तक सरकार को महाराष्ट्र सरकार से और अधिक चावल देने की प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). समय समय पर राज्य सरकारों से चावल देने के लिए प्राप्त होने वाली प्रार्थनाओं पर उनके साथ मिल कर विचार किया जाता है और उपयुक्त मात्रा देने की व्यवस्था की जाती है ।

महाराष्ट्र सरकार को १९६१ के लिए मूलतया दो लाख टन चावल नियत किया गया था परन्तु उस सरकार से अधिक मात्रा देने की प्रार्थना मिलने पर यह मात्रा बढ़ाकर २.५ लाख टन कर दी गई है ।

**मत्स्य पालन का विकास**

†३४७२. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में पश्चिमी बंगाल को मत्स्य पालन के विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया ; और

(ख) यह राशि किन योजनाओं पर व्यय की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालन के विकार की योजनाओं के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार को ७५.७४ लाख रु० आवंटित किये गये थे। कुल धन राशि में से केवल २४.७९ लाख रु० निम्न योजनाओं पर व्यय किये गये :

| | लाख |
|---|---|
| १. अन्तर्देशीय मत्स्य पालन का विकास . . . . | १३.४७ रु० |
| २. अनुसन्धान, सर्वेक्षण और प्रदर्शन . . . . | ७.३९ रु० |
| ३. तटीय तथा द्वाबे में मत्स्य पालन का विकास . . . | ३.९३ रु० |

## महाराष्ट्र में १९६०–६१ में खोले गये परिवार नियोजन केन्द्र

†३४७३. **श्री पांगरकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में महाराष्ट्र में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये; और

(ख) उपरोक्त काल में इन केन्द्रों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) १९६०–६१ में महाराष्ट्र में ३६ नगरों में और ६२ गांवों में परिवार नियोजन केन्द्र और ४ चलते परिवार यूनिट स्थापित किये गये।

(ख) इन केन्द्रों को ३.२६ लाख रु० की केन्द्रीय सहायता दी गई।

## महाराष्ट्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†३४७४. **श्री पांगरकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में महाराष्ट्र में किस किस स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं ; और

(ख) उसी काल में केन्द्रों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५५]**

## आयुर्वेद सम्बन्धी प्राचीन पाण्डुलिपि

†३४७५. **श्री पांगरकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २१ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुर्वेद सम्बन्धी प्राचीन पाण्डुलिपियां प्राप्त करने के और उन पर अनुसन्धान तथा जांच करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस कार्य के कब पूरा होने की आशा है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध पाण्डुलिपियों तथा पुस्तकों का संकलन और उनकी व्याख्या अभी हो रही है।

(ख) जैसा कि बताया जा चुका है कि यह एक दीर्घकालीन काम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

## गोविन्द शूगर मिल्स

३४७६. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला खीरी में स्थित गोविन्द शुगर मिल्स कब स्थापित की गई थी ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त मिल के क्षेत्र में रेलवे, तार अथवा टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**:(क) यह फैक्ट्री पहले, ऐरा शुगर मिल्स के नाम से १९२४ में स्थापित हुई थी और १९५२ में इसे मैसर्ज़ गोविन्द शुगर मिल्स लिमिटेड ने ले लिया था ।

(ख) रेलवे, तार अथवा टेलीफोन की अभी तक वहां कीई सुविधा नहीं है ।

(ग) ऐरा एक छोटा सा ग्राम है जो कि शारदा नदी के दूसरे पार, लखिमपुर, समीपवर्ती रेलवे स्टेशन से २२ मील की दूरी पर स्थित है । रेलवे लाईन वहां तक बढ़ाना मंहगा पड़ेगा । यह मिल टेलीफोन सम्बन्ध स्थापित करने के लिए लखिमपुर से प्रयत्न कर सकती है ।

## गन्ने और चीनी के मूल्य सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग

३४७७. **श्री खुशवक्त राय**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने और चीनी के मूल्य के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की एक सूची सभा-पटल पर रखी जायेगी कि उक्त आयोग ने इस जांच के सिलसिले में कहां-कहां का दौरा किया और किन-किन लोगों का साक्ष्य लिया ; और

(ग) उक्त आयोग ने विभिन्न स्थानों पर साक्ष्य लेते हुए अपनी ओर से जो परिचयात्मक भाषण दिये क्या उनकी भी प्रतिलिपियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म थामस)** : (क) जी हा ।

(ख) और (ग). यह आयोग के प्रतिवेदन के साथ सभा पटल पर उस समय रखी जायेंगी जब आयोग की सिफारिशों पर विचार हो कर निर्णय हो जायेगा ।

## उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें

३४७८. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने प्रति दिन कितना गन्ना मई और जून में खरीदा ;

(ख) इसी काल में प्रति दिन इन मिलों से कितने प्रतिशत चीनी प्राप्त हुई ; और

(ग) इसी काल में कुल कितनी चीनी तैयार हुई ?

**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) मई और जून १९६१ में उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा प्रति दिन पेरे गये गन्ने का ब्यौरा संलग्न विवरण २ में दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५६]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) संलग्न विवरण २ में मई और जून १९६१ में उत्तर प्रदेश की मिलों में चीनी की साप्ताहिक प्रतिशत प्राप्ति की औसत वर्णित है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५७]**

(ग) मई और जून १९६१ में उत्तर प्रदेश की मिलों द्वारा १.३१ लाख टन चीनी बनाई गई ।

**घटिया किस्म के बीज**

३४७९. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटिया किस्म के बीजों का कोई मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में सरकारी बीज विभाग खोलने के बारे में विचार कर रही है ?

**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां ।

(ख) खाद्य और अखाद्य फसलों के सुधरे हुए किस्मों के शुद्ध बीजों के सम्भरण के लिए भारत सरकार ने देश में बीज संवर्द्धन फार्मों की स्थापना की एक योजना बनाई है । सुधरे हुए बीजों के संवर्द्धन और वितरण की विधि भी मानकित कर दी गई है । केन्द्रीय सरकार के कृषि विशेषज्ञ विधि की कमी और खराबी को, यदि उसमें कोई हो, दूर करने के लिए समय-समय पर राज्यों के फार्मों का दौरा करते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

**कटक का माल गोदाम**

†३४८०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में मार्च १९६१ तक कटक के माल गोदाम के क्षेत्र में क्या सुधार किया गया ;

(ख) इन सुधार योजनाओं पर कुल कितना धन व्यय हुआ ;

(ग) १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में रेलवे को कटक के माल गोदाम के क्षेत्र से कितनी आय प्राप्त हुई ;

(घ) क्या १९६१-६२ में इस क्षेत्र के सुधार के लिए कोई राशि मंजूर की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) इमारत में निम्नलिखित वृद्धि और सुधार किये गये हैं :—

(१) लगभग १८,००० वर्ग फीट का बन्द गोदाम ।

(२) माल चढ़ाने और उतारने का ६५० फीट लम्बा एक छतवाला दुतरफा प्लेट-फार्म ।

(३) विस्फोटकों के लिए गोदाम, ढोरों के लिए छतवाला स्थान, मलकुण्ड, पाखाने और पेशाब खाने ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) नालियों, गाड़ी खड़ी करने के स्थानो, परिचालन क्षेत्र, जल संभरण और आग बझाने के प्रबन्धों में सुधार ।

(ख) ४·५० लाख रु० ।

(ग) १९५८–५९ ८८,९८,५१४ रु०
१९५९–६० ९१,९९,५१६ रु०
१९६०–६१ ९०,८८,३८३ रु०

(घ) और (ङ). हां, १०,००० रु० ।

## उड़ीसा में चीनी के नये कारखाने

†३४८१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उड़ीसा सरकार ने १९६१-६२ में राज्य में चीनी के तीन नये कारखाने खोलने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) क्या भारत सरकार उड़ीसा सरकार को १९६१-६२ में उड़ीसा में ये तीन नये कारखाने खोलने के लिये प्रोत्साहन दे रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या ये कारखाने सरकार, सहकारी समितियों या गैर-सरकारी फर्मों द्वारा खोले जायेंगे ;

(ङ) क्या इन कारखानों के लिए लाइसेंस देने की प्रार्थनायें सरकार को मिल गई हैं ; और

(च) इन तीन कारखानों को स्थापित करने के लिए किस-किस पार्टी ने प्रार्थना की है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (घ). उड़ीसा सरकार ने सूचना दी है कि इस वर्ष राज्य में **खुले कढ़ाव** पद्धति से चीनी बनाने के तीन कारखाने स्थापित करने का विचार है । वे इन कारखानों की स्थापना के रूप पर विचार कर रहे हैं । राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) और (च). भारत सरकार को कोई प्रार्थनापत्र नहीं मिला है क्योंकि **खुले कढ़ाव** वाले कारखानों की स्थापना के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है ।

## रेलवे में स्टेनोग्राफर

†३४८२. **पंडित मु० ब्वि० भार्गव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे वेतन आयोग ने जिन वेतन-क्रमों की सिफारिश की है और जिन्हें रेलवे बोर्ड ने स्वीकार किया है वे प्राधिकृत वेतन-क्रम क्या हैं ;

(१) रेलवे बोर्ड में कितने स्टेनोग्राफर काम कर रहे हैं और उनके वेतन-क्रम क्या हैं ;

(२) विभिन्न रेलवे खण्डों में कितने स्टेनोग्राफर काम करते हैं और उनके वेतन-क्रम क्या हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रेलवे बोर्ड तथा विभिन्न रेलवे खण्डों के स्टेनोग्राफरों को पदोन्नति के क्या अवसर हैं ; और

(ग) विभिन्न रेलवे खण्डों में विभागाध्यक्षों के साथ काम करने वाले स्टेनोग्राफरों के क्या वेतन-क्रम हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५८]**

## सहकारी कृषि

†३४८३. **श्री सम्पत** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए तामिल नाद को सहकारी कृषि का प्रयोग करने के लिए प्रारम्भिक परियोजनायें नियत कर दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कुल कितनी हैं और इन प्रारम्भिक परियोजना एककों की स्थापना के लिए तामिल नाद को कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ; और

(ग) ये एकक कहां स्थापित होंगे ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य में सहकारी कृषि की बारह प्रारम्भिक परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी । प्रत्येक परियोजना में दस समितियां होंगी । इन क्षेत्रों में सहकारी समितियों को सहायता देने के लिए राज्य की योजना में १४·५५ लाख रु० का उपबन्ध किया गया है । इन प्रारम्भिक परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में १०·५५ लाख रु० दिये जायेंगे ।

(ग) चाल वर्ष (१९६१–६२) में तीन प्रारम्भिक परियोजनायें निम्न जिलों में आरम्भ की जायेंगी :—

(१) मदुरै
(२) रामनाथपुरम ।
(३) तिरुनेलवेली

बाद के वर्षों में प्रारम्भिक परियोजनाओं के लिए जिलों का चुनाव प्रति वर्ष हुई प्रगति को ध्यान में रख कर राज्य सरकार करेगी ।

## नई लाइन डालने के लिए पटरियों की आवश्यकता

†३४८४. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
**श्री तंगामणि :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में पुरानी लाइनों की जगह नई लाइनें डालने और नई लाइनें बनाने के लिए इस समय पटरियों की कुल कितनी आवश्यकता है; और

(ख) उक्त मांग कैसे पूरी की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) तीसरी योजना में पटरियों की आवश्यकता का अनुमान १६·५० लाख टन लगाया गया है।

(ख) १९६१-६२ में ४·५० लाख टन की आवश्यकता में से १·६६ लाख टन की पूर्ति स्वदेशी उत्पादन से और २·८४ लाख टन की पूर्ति आवश्यकता आयात से की जा रही है। १९६२-६३ में भी कुछ आयात की आवश्यकता होगी। तीसरी योजना के शेष वर्षों में आशा है कि समूची आवश्यकता स्वदेशीय उत्पादन से पूरी होगी।

## राष्ट्रीय राजपथ

†३४८५. श्री मं० वें० कृष्ण राव: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मसूलीपटम को विजयवाड़ा–बम्बई राष्ट्रीय राजपथ से मिलाने के लिए एक राष्ट्रीय राजपथ बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) नहीं, श्रीमान्। मसूलीपटम और विजयवाड़ा के बीच राष्ट्रीय राजपथ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## चित्तरंजन का इंजन निर्माण कारखाना

†३४८६. श्री दलजीत सिंह: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में प्रशिक्षण के लिए प्रति वर्ष कितने विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं; और

(ख) छात्रवृत्ति का क्या ब्यौरा है और उसकी अवधि क्या होती है?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) निम्नलिखित श्रेणियों में १३१ शिशिक्षु हैं:—

(१) शिशिक्षु ड्राफ्टमेन—मशीनी इंजिनीयरी में योग्य डिप्लोमा—६;

(२) शिशिक्षु कारीगर श्रेणी 'ए'—१९;

(३) मध्यवर्ती स्तर पर प्रशिक्षण के लिए कुशल तथा अधिक कुशल श्रेणियों से लिये हुए शिशिक्षु कारीगर—६; और

(४) व्यवसाय शिशिक्षु—१००।

(ख) उपरोक्त श्रेणियों में छात्रवृत्ति का ब्यौरा और प्रशिक्षण की अवधि निम्न है:—

(१) ८०-५-९० रु० के क्रम ८० रु०+महंगाई भत्ता। प्रशिक्षण की अवधि २½ वर्ष;

(२) ५५-३-६७ रु० के क्रम में ५५ रु०+महंगाई भत्ता। प्रशिक्षण अवधि ५ वर्ष।

(३) वही वेतन-स्तर-सुविधायें जो उस श्रेणी में जिससे उम्मीदवार लिये जायें। प्रशिक्षण अवधि २½ वर्ष; और

(४) ३५-१-३९ रु० के क्रम में ३५ रु०+महंगाई भत्ता। प्रशिक्षण अवधि ३½ वर्ष।

---

†मूल अंग्रेजी में

## पंजाब में राष्ट्रीय राजपथों पर पुल

†३४८७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में पंजाब में राष्ट्रीय राजपथों पर कितने पुल बने और कितने आजकल बन रहे हैं; और

(ख) पंजाब में तीसरी पंच वर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजपथों पर बनने वाले नये पुलों के नाम क्या-क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) १९६०-६१ में कोई पुल पूरा नहीं हुआ । दिल्ली-मथुरा सड़क, राष्ट्रीय राजपथ संख्या २ पर गांची नाले पर एक पुल बनाया जा रहा है ।

(ख) राष्ट्रीय राजपथ संख्या १ पर व्यास नदी पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक पुल बनाया जायेगा ।

## फार्मों का वितरण

†३४८८. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी और गैर-सरकारी बड़े फार्मों को भूमिहीन व्यक्तियों में गैर-सरकारी मालिकों के लिए उपयुक्त प्रतिकर पर बांटने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख ) :** (क) और (ख). जहां तक सरकारी फार्मों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । राज्य सरकारों के फार्मों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी । जहां तक गैर-सरकारी बड़े फार्मों का सम्बन्ध है, अधिकतर राज्यों में जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने और उससे बची फालतू भूमि के वितरण के लिए विधान बन गया है । इसके मुख्य कारणों और ब्यौरे का तीसरी पंचवर्षीय योजना के अध्याय १४ में उल्लेख है ।

## आन्ध्र प्रदेश में सहकारी समितियां

†३४८९. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में अब तक कितनी सहकारी समितियां बनी हैं; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में कितनी सहकारी समितियां बनेंगी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० गूर्त्ति ) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## दिल्ली का चिड़ियाघर

†३४९०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में अब तक नयी दिल्ली के चिड़ियाघर पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ख) वर्ष १९६१ में अब तक टिकटों की बिक्री से कितनी आय हुई ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) १९६१ में जितना कुल व्यय हुआ वह इस प्रकार है :—

| | निर्माण कार्यों पर रुपये | अन्य मदों पर रुपये | कुल रुपये |
|---|---|---|---|
| १-१-१९६१ से ३१-३-१९६१ | २,७७,३४२·०० | १,२८,०१४·०० | ४,०५,३५६·०० |
| १-४-१९६१ से ३१-७-१९६१ | १,२०,०००·०० | १,५८,३६४·१५ | २,७८,३६४·१५ |
| कुल व्यय . . . | | | ६,८३,७२०·१५ |

(ख) वर्ष १९६१ में बेचे गये 'टिकटों' से प्राप्त कुल आय इस प्रकार है :—

| | गेट कलेक्शन्स | जॉय राइड्स | कुल |
|---|---|---|---|
| १-१-१९६१ से ३१-३-१९६१ . | ४५,१७५·५० रु० | १,५३१·४० रु० | ४६,७०६·९० रु० |
| १-४-१९६१ से ३१-७-१९६१ . | ३६,५९०·२२ रु० | १,६३०·९५ रु० | ३८,२२१·१७ रु० |
| कुल आय | | | ८४,९२८·०७ रु० |

## लुधियाना और खन्ना के बीच रेलगाड़ी में डकैती

†३४९१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १७ फरवरी, १९६१ को लुधियाना और खन्ना के बीच चलती गाड़ी में डकैती के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : कड़ी पुलिस जांच-पड़ताल के बावजूद मामले का कोई पता नहीं लगा है ।

## डाक तार कार्यालय

†३४९२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–६१ की अवधि में कितने नये डाकखाने/तारघर खोले गये; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रत्येक राज्य में कितने डाकघर खोले जाने वाले हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ५९ ।**]

---

†मूल अंग्रेजी में

**दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजपथ**

†३४९३. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और आगरा के बीच जो राष्ट्रीय राजपथ बनाया जा रहा है उसकी कुल लागत कितनी है; और

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) मरम्मत के कई काम जारी हैं जिनकी लागत लगभग १७३·६८ लाख रुपये को होने का अनुमान है ।

(ख) तीसरी योजना अवधि तक ।

**राजस्थान में टेलीफोन एक्स्चेन्ज**

†३४९४. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१–६२ में राजस्थान में, खासकर बीकानेर, चुरु और गंगानगर डिविजनों में, किन-किन जगहों पर नये टेलीफोन एक्स्चेन्ज खोलने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)**:

**गंगानगर जिले में**

१. हनुमानगढ नगर
२. बहादरा
३. नोहर
४. सादुल शहर

**चुरु जिले में**

१. सरदारशहर

**जिला बीकानेर**—कोई नहीं

**राजस्थान में अन्य स्थान**

१. नीम का थाना
२. सुमेरपुर

**राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन**

†३४९५. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जिलेवार कितने सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय हैं;

(ख) १९६१–६२ में राजस्थान में और कितने सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले जायेंगे; और

(ग) किन किन जगहों पर ये सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) से (ग). ब्योरा संलग्न विवरण में बताया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ६०।]**

---

†मूल अंग्रेजी में

**राजस्थान में पशुपालन योजनाएं**

†३४९६. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशुपालन योजनाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को दूसरी पंचवर्षीय योजना में हर साल किस प्रकार की सहायता दी है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में राज्य में इस दिशा में क्या क्या कार्य किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान को दी गयी वित्तीय सहायता की रकमें दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६१ ।]** इसके अलावा केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् ने गोसंवर्धन सप्ताह सभारोह तथा राज्य गोसंवर्धन परिषद् की स्थापना संबंधी खर्च के लिए २१,३०० रुपये का अनुदान दिया।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ६२]**

**खड़गपुर रेलवे वर्कशाप में आकस्मिक श्रमिक**

†३४९७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खड़गपुर रेलवे वर्कशाप में विभिन्न प्रकार के आकस्मिक मजदूरों को क्या दर दिये गये ;

(ख) ये दर निर्धारित करने का तरीका क्या है ;

(ग) क्या इसके लिए कोई नियम या नीतियां निर्धारित की गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां ) :** (क) दर इस प्रकार हैं:—

| | न्यूनतम मजूरी अधिनियम द्वारा प्रशासित कर्मचारी | न्यूनतम मजूरी अधिनियम द्वारा न प्रशासित कर्मचारी |
|---|---|---|
| | रुपये | रुपये |
| कुशल . . . . . | ८२ | ७१ |
| अर्ध कुशल . . . . | ५७ | ४९ |
| अकुशल . . . . . | ४५ | ३९ |
| महिला खलासी . . . . | ३७.५० | ३२.५० |

(ख) से (घ). न्यूनतम मजूरी अधिनियम द्वारा प्रशासित मजदूरों के संबंध में दर भारत सरकार द्वारा श्रम मंत्रालय में उस अधिनियम की धारा ३ के अनुसार तय किये जाते हैं। अन्य मजदूरों के मामले में ये दर उस विशिष्ट क्षेत्र के लिए या तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित या स्थानीय बाजारों की दरों पर आधारित होते हैं। उस हालत में जबकि इनमें से कोई दर उपलब्ध न हों

†मूल अंग्रेजी में

या मजदूरों को काम के क्षेत्र में बाहर से बुलाया जाता हो या खासकर रेलवे के लिए उस प्रकार के काम के लिए निर्दिष्ट दरों पर मजदूर न मिलते हों तब मजूरी की रोजाना दरें तय करने के लिए उसी श्रेणी के नियमित रेल कर्मचारियों के लिए अधिक से अधिक न्यूनतम वेतन-क्रम की दर को आधार माना जाता है। विशिष्टता प्राप्त मजदूरों के लिए रेलवे प्रशासन ने विशेष दर रखे हैं।

**†दिल्ली में गेहूं और चावल की कीमतें**

†३४९८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में दिल्ली में गेहूं और चावल की कीमतें बढ़ गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस ):** (क) गेहूं और चावल की कीमतों में केवल मौसमी वृद्धि हुई है और अब कीमतें प्रायः स्थिर हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**फलों की खपत**

†३४९९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति फलों की खपत पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में खपत के स्तर की अपेक्षा बढ़ गयी है और यदि हां, तो कितना प्रतिशत; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख) :** (क) विभिन्न प्रकार के फलों की खपत का अनुमान लगाने के लिए अभी तक भारत में कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। चूंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में और अतिरिक्त क्षेत्र में फलों की खेती की गयी है और पुराने बागों में सुधार भी किया गया है, इसलिए यह मानना ठीक होगा कि उस अवधि में फलों का उत्पादन और उपभोग भी बढ़ गया है ।

(ख) तीसरी योजना में शामिल, फल उत्पादन विकास योजनाओं का ब्योरा बताने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ६३ ]**

**अमृतसर में पंजीकृत भारिक**

†३५०० **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर स्टेशन पर कितने पंजीकृत भारिक हैं ;

(ख) पिछले दो सालों में उनसे प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शिकायतों के कारण दूर करने के लिए सरकार ने जो कार्यवाही की उसका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां ) :** (क) २९०।

(ख) और (ग). केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें सामान लाने ले जाने की मजूरी १९ नये पैसे से २५ नये पैसे कर देने की मांग की गयी थी। इस प्रार्थना की छान बीन की गयी थी और मजूरी २० नये पैसे तक बढ़ा दी गयी थी क्योंकि उसे और अधिक बढ़ाने के लिए कोई औचित्य नहीं था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## परिवहन निगम की स्थापना

†३५०१. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला लाने ले जाने के लिए एक परिवहन निगम स्थापित करने का प्रस्ताव किस दशा में है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: प्रस्ताव पर अभी विचार हो रहा है।

## देश में चरागाह क्षेत्र

**३५०२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि देश में चरागाहों का क्षेत्र धीरे-धीरे कम होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने राज्य सरकारों को इस संबंध में क्या परामर्श दिया है; और

(ग) संघ राज्य-क्षेत्रों के संबंध में सरकार ने यदि कोई योजना बनाई है, तो वह क्या है ?

**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वे० कृष्णप्पा)** : (क) जी, नहीं। उपलब्ध अंकों के अनुसार स्थायी चरागाह और अन्य चराई भूमि का क्षेत्र जो १९५२–५३ में २१३ लाख एकड़ था, बढ़कर १९५८–५९ में ३२४ लाख एकड़ ( अस्थायी अनुमान ) हो गया है ।

(ख) चरागाह भूमियों के क्षेत्र में प्रतिवेदित बढ़ोत्तरी के होने पर भी, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों आदि को आमतौर पर सलाह दी है कि उच्च पौष्टिक मूल्य की काफी हरी और सूखी घास को उपलब्ध करने के विचार से प्राप्य बिना काश्तवाली बेकार भूमियों और बन चराई क्षेत्रों को वर्तमान ढंग से विकसित करना चाहिये ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने केवल संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई पृथक योजना नहीं बनाई है। सन् १९५६ में केन्द्रीय वित्तीय सहायता से पशुग्राम योजना के एक भाग के रूप में दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने के लिए उसने एक आदर्श खाद्य और चारा विकास योजना बनाई थी और उसे राज्य सरकारों आदि को परिचारित किया था। यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक स्वतंत्र योजना के रूप में शामिल कर ली गई है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में मनीपुर और त्रिपुरा में अलग अलग एक-एक प्रदर्शन स्थल स्थापित किया गया। हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने भी ११५६ एकड़ चरागाह भूमि को आंशिक रूप में विकसित किया। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा और पांडिचेरी में खाद्य और चारा, चरागाह सुधार एवं ईंधन भंडार और भूमि संरक्षण के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में ६·८५ लाख रुपयों का उपबन्ध है ।

## नई दिल्ली पर छोटी लाइन (मीटर गेज) का स्टेशन

†**३५०३. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री २५ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी लाइन की सवारी गाड़ियों के लिये नयी दिल्ली पर एक नया छोटी लाइन का स्टेशन बनाने की योजना पर सरकार ने इस बीच विचार किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख) : सरकार अभी इस मामले पर विचार कर रही है ।

**दिल्ली में मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिये अस्पताल**

†३५०४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए दिल्ली में एक अस्पताल खोलने की योजना किस दशा में है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

**औषधियों का निर्माण**

†३५०५. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों पर जो संस्था के नाम से औषधियां तैयार करते हैं, रोक लगाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) स्वत: को संस्थाओं के नाम देकर औषधियां तैयार करने वाले व्यक्तियों पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**राष्ट्रीय राजपथ विस्तार योजना**

†३५०६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८६४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन आयोजन तथा समन्वय संबंधी समिति की अंतिम रिपोर्ट सरकार को मिल गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य शर्तें क्या हैं; और

(ग) राष्ट्रीय राजपथ विस्तार योजना के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†परिवहन **तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग): प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

**नवादा रेलवे स्टेशन के निकट स्लीपरों का जलना**

†३५०७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में नवादा रेलवे स्टेशन के पास स्लीपरों के स्टाक में २६ म १९६१ को जो आग लग गयी थी क्या उसके बारे में जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) समिति के निष्कर्ष संलग्न हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गया-क्यूब सैक्शन—पूर्व रेलवे में आग के बारे में जांच समिति के निष्कर्ष

१. २६/२७-३-१९६१ की आधी रात को नवादा में परमानेन्ट वे इन्स्पेक्टर्स स्टोर्स यार्ड के बाहर रखे गये स्लीपर्स स्टैक्स में आग लग गई ।

२. आग की लपेट में २७४२ स्लीपर आ गये थे जिनमें से कुल २५७७ स्लीपर पूरी तरह जल गये, १३५ स्लीपर बचा लिये गये और ३० स्लीपर जली हुई हालत में निकाले गये ।

३. गुजरते हुये इंजन से जलती हुई चिनगारी की वजह से आग नहीं लगी ।

४. किसी अज्ञात व्यक्ति की शरारत के कारण आग लगी ।

५. आग बुझाने के लिये घटना स्थल पर उपलब्ध सभी साधनों से रेलवे कर्मचारियों ने सभी संभव प्रयत्न किये ।

६. श्री आर० के० प्रसाद, परमानेन्ट वे इन्स्पेक्टर उपेक्षा के लिये जिम्मेदार हैं क्योंकि उसने इंडियन रेलवेज़ वे एण्ड वर्क्स मैन्युअल के पैरा ६४८क में दी गई हिदायतों के अनुसार स्लीपर नहीं रखवाये थे । वह इस बात के लिये भी जिम्मेदार था कि उसने दो में से केवल एक ही चौकीदार रखा था जब कि दानापुर के डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने दो के लिये मंजूरी दे दी थी, और उसने स्लीपर स्टैक्स की उचित निगरानी के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जब एक चौकीदार २५-३-१९६१ को बीमार हो गया था जिसके फलस्वरूप २५, २६ और २७ मार्च, १९६१ को स्लीपर स्टैक के लिये ड्यूटी पर कोई चौकीदार नहीं था और इसी कारण शरारत संभव हो सकी । फिर वह उस रात को मुख्यालय से अनधिकृत रूप से ग़ैर हाजिर भी था ।

## नदी बोर्ड

†३५०८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की सात प्रमुख नदियों पर नदी घाटी परियोजनाओं की छानबीन और प्रत्येक बेसिन के आयोजन का काम संभालने के लिये नदी बोर्डों की स्थापना करने की दिशा में अब तक किस प्रकार की प्रगति हुई है और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यह काम संभवतः कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस विषय में पत्र व्यवहार चल रहा है । कुछ राज्यों से अभी जवाब नहीं मिला है और आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक यह मामला तय हो जायगा ।

## रेलवे में संग्रहालय

†३५०९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री ४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण रेलव केन्द्रों में और अधिक रेलवे संगृहालय खोलने की योजना अंतिम रूप से तैयार हो गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सैं० वैं० रामस्वामी) : (क) और (ख). रेलवे संग्रहालय खोलने की योजना अभी प्रयोगात्मक दशा में है। उत्तर रेलवे में अमृतसर में एक संग्रहालय के अलावा, उत्तर पूर्व रेलवे में गोरखपुर में १४-४-१९६१ को एक और संग्रहालय खोला गया है।

## दूसरे देशों में भारतीय पर्यटकों को सुविधाएं

†३५१०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे देशों में (प्रत्येक देश में ) भारतीय पर्यटकों को किस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं और उनका ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या उन्हें विमान, रेल और बस किरायों में उन्हें रियायत दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ( प्रत्यक देश में )?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). दुनिया के विभिन्न देश विदेशी मुद्रा कमाने के साधन के तौर पर पर्यटक यातायात का जो महत्व समझते हैं उसके अनुसार पर्यटकों को रियायतें देते हैं। यजमान देश सामान्यतया किसी विशिष्ट देश के नागरिकों को कोई विशेष रियायतें नहीं देता। सिवाय उस दशा में जब कि दोनों देशों के बीच कोई करार हुआ हो। अमरीकी पर्यटकों के मामले में जिनसे विभिन्न देशों, नाटो देश, कैरिबियन क्षेत्र और पैसिफिक क्षेत्र को काफी आमदनी होती है, वीसा औपचारिकता समाप्त कर दी गई है या वह काफ़ी हद तक आसान कर दी गई है। भारतीय नागरिकों के मामले में जर्मन गणराज्य संघ ने वीसा समाप्त कर दिया है। इसके अलावा भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के नाते भारतीय नागरिकों को किसी दूसरे राष्ट्रमंडलीय देश में प्रवेश करने के लिये वीसा रखने की जरूरत नहीं होती।

रेल और बस किरायों में और कभी कभी होटलों में स्थान के बारे में रियायतें कई देशों में भद्दे मौसम में पर्यटकों को प्रोत्साहन के तौर पर दी जाती हैं। कुछ देश पर्यटकों के लिये विनिमय की विशेष दरें रखते हैं। या उनके द्वारा की गई खरीद के लिये विशेष छूट देते हैं। ऐसे देशों में रूस, कुछ पूर्व योरोपीय देश, ग्रीस, संयुक्त-अरब गणराज्य और इजरायल हैं ।

## दिल्ली में डीलक्स भोजन गाड़ी कर्मचारी

†३५११. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री २८ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०८० के उत्तर के सम्बन्धों में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में डीलक्स भोजन गाड़ी कर्मचारियों के निवास की व्यवस्था के लिय क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : डीलक्स गाड़ियों के साथ चलने वाले दक्षिण रेलवे कर्मचारियों के लिये नई दिल्ली स्टेशन पर दो कमरे दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

**गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली**

†३५१२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**सरदार इकबाल सिंह :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २८ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के प्राधिकारियों की अनुदानों और अन्य आवश्यक सहायता के लिये प्रार्थना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) आवश्यक सूचना निम्न प्रकार है :

(१) सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली के प्रसूति वार्ड के लिये उपकरण की खरीद के लिये ७५,००० रुपया का अनावर्तक अनुदान मंजूर किया गया है ।

(२) अस्पताल की उपकरण की खरीद और कर्मचारियों के नियोजन के लिये १४,४३० रुपये के अनुदान की प्रार्थना और राजेन्द्रनगर में एक परिवार नियोजन की स्थापना दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

(३) अस्पताल की एक स्टरलाईज़र के आयात के लिये लाईसेंस जारी किए जाने की प्रार्थना की जांच की जा रही है ।

**गहरे समुद्र में मछली पकड़ना**

†३५१३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्रीमती इला पालचौधरी :**
**सरदार इकबाल सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २८ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल की खाड़ी में गहरे पानी में मछली पकड़ने की परियोजना में सहयोग के लिये एक गैर-सरकारी अमरीकी फर्म के साथ बातचीत पूर्ण हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० व० कृष्णप्पा)** : (क) अमरीकी फर्म और भारतीय फर्म के बीच बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**भारतगढ़ स्टेशन के निकट एक दम्पति की मृत्यु**

†३५१४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री दलजीत सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री २८ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१०३ के उत्तर के सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरतगढ़ स्टेशन के निकट एक दम्पत्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में पुलिस की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । उस मामले में पुलिस की जांच पूरी हो गई है और अभी तक चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

**चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की तीसरी श्रेणी में पदोन्नति**

†३५१५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की तीसरी श्रेणी में पदोन्नति के लिये कोई परीक्षा ली जाती है ;

(ख) यदि नहीं, तो प्रवरण का आधार क्या है ;

(ग) पिछले दो वर्षों में चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारियों की तीसरी श्रेणी में पदोन्नति जोनवार की गई; और

(घ) चौथी श्रेणी में मैट्रिकुलेटों, इन्टरमीजिएटों और ग्रैजुएटों की संख्या जोनवार कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : संभवतः "तीसरी श्रेणी" और "चौथी श्रेणी" का तात्पर्य रेलवे के "तीसरे वर्ग" और "चौथे वर्ग" की सेवाओं से है । प्रश्न के भाग (क) से (घ) के उत्तर निम्न प्रकार हैं :

(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) उपरोक्त (क) की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

**काश्मीर से इमारती लकड़ी**

†३५१६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान चेनाव नदी में काश्मीर के बन की इमारती लकड़ी के बह जाने के कारण उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिये सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा इस कारण अभी तक कितना प्रतिकर भुगतान किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जो इमारती लकड़ी अथवा अन्य सम्पत्ति नदियों में बह कर पाकिस्तान चली गई है वह उनके मालिकों को वापस करने के प्रश्न के संबंध में सिन्धु जल करार, १९६० के अनुच्छेद ४ (२) के अनुसरण में सिन्धु जल के पाकिस्तानी आयक्त को लिखा गया है । मामले के अंतिम निर्णय में कुछ समय लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**दूसरी योजना में गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य**

†३५१७. **श्री कोडियान** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या वह लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो इस कमी के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) दूसरी योजना में दस हज़ार गावों में बिजली लगाने की योजना है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**केरलमें दूसरी योजना के दौरान समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने की योजनायें**

†३५१८. **श्री कुन्हन :**
**श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने की योजनाओं के लिये मंजूर की गई राशियों का पूर्णोपयोग किया है ;

(ख) कितनी राशि मंजूर की गई थी और कितनी काम में लाई गई है ;

(ग) किन किन स्थानों में कार्य समाप्त हो गया है । और किन किन स्थानों में कार्य समाप्त नहीं हुआ है ;

(घ) कार्य की सामान्य प्रगति कैसी रही है; और

(ङ) क्या केरल सरकार ने समुद्र से भूमि के कटाव के नियंत्रण के लिये कोई व्यापक योजना पेश की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). दूसरी योजना अवधि के लिये मंजूर किया गया व्यय १८५ लाख रुपये था जो पूरी तरह खर्च हो गया ।

(ग) विस्तृत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६४]**

(घ) सामान्यतः कार्य की प्रगति सन्तोषजनक रही है । दूसरी योजना अवधि में प्रारंभ किये गये अधिकांश कार्य समाप्त हो गए हैं और शेष तीसरी योजना में जारी रहेंगे ।

(ङ) केरल सरकार ने अभी तक अपनी व्यापक योजना पेश नहीं की है परन्तु उन्होंने तीसरी योजना अवधि में प्रारंम्भ किए जाने वाले समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने के कायक्रम की रूप रेखा भजी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**केरल में राष्ट्रीय राजपथ**

†५१९ **श्री कुन्हन :**
**श्री कोडियान :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजपथों के लिय कितनी राशि आवण्टित की गई थी ;

(ख) उसमें से कितनी राशि वास्तव में व्यय की गई ; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर )** : (क) १२६.५९ लाख रुपये ।

(ख) ९९.३० लाख रुपये ।

(ग) केरल राज्य में राष्ट्रीय राज पथ अधिकांश में वर्तमान सड़कों के समानान्तर हैं और व्यय में कमी का कारण कुछ मामलों में जनता के विरोध के कारण भूमि के अर्जन में विलम्ब है ।

**रेलवे में भर्ती**

†३५२०. **श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री नेकराम नेगी :**
**श्री स० च० सामन्त :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सेवाओं में किसी भी श्रेणी में नई भर्ती, विशेष कर तीसरी और चौथी श्रेणी में, प्रत्यक्षतः नहीं की जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि समस्त अभ्यर्थियों को रोजगार दफ्तरों के माध्यम से जाना होता है ;

(ग) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि रोजगार दफ्तरों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बहुत कम अभ्यर्थी भेजे जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां )** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) और (घ). अप्रैल, १९६० से मार्च, १९६१ तक के बारह महीनों में समस्त देश के रोजगार दफ्तरों द्वारा उनको विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी नियोजकों द्वारा सूचित रिक्तताओं के लिये प्रतिमाह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के औसतन क्रमशः १९,४१३ और २,७३३ प्रार्थी पेश किये गये । यह ज्ञात नहीं है कि इनमें से कितनों को रेलवे की रिक्तताओं के लिये भेजा गया क्योंकि रोजगार दफ्तरों द्वारा उनका कोई पृथक रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

## तापीय विद्युत् जनन संयंत्र

†३५२१. श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा केरल सरकार के राज्य में तापीय विद्युत् जनन संयंत्र लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

## हावड़ा, दिल्ली एक्सप्रेस में सोने के लिये डिब्बे

†३५२२. श्री विभूति मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना जंकशन को हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस और हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस में सोने के लिये डिब्बों (तीसरी श्रणी के) का आवण्टित कोटा पटना और बिहार के महत्व के विचार से सर्वथा अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कोटा बढ़ाने का विचार कर रही है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं हता ।

## गाड़ियों का देर से चलना

†३५२३. श्री विभूति मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि सगौली और रक्सौल स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच चलने वाली रेलें प्रायः लेट हो जाती हैं जब कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी केवल १९ मील है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कायवाही करने का विचार कर रही है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## मृदा विज्ञान संस्था[1]

†३५२४. श्री अरविन्द घोषाल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मृदा विज्ञान संस्था स्थापित करने का विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Institute of Soil Science.

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). जैसा कि लोक सभा को २४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२६५ के उत्तर में संकेत किया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में नागपुर में एक मृदा विज्ञान संस्था, जिसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ पेडालॉजी एण्ड सॉइल मिकेनिक्स होगा, स्थापित करने का विचार है जिसमें ६० लाख रुपये व्यय होंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रारंभिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

## रेलवे पर तेल का यातायात

†**३५२५. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नूनमती और बरौनी में तेलशोधक कारखानों की स्थापना हो जाने पर रेलवे को अधिक तेल ढोना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(ग) उसकी पूर्ति के लिय क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार किया जा रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). नूनमती और बरौनी में तेल शोधक कारखानों की स्थापना हो जाने पर रेलवे को पत्तनों से "प्ट्रोलियम' तथा अन्य 'लुब्रिकेंट' उत्पादों[1] के वहन के बदले में इन कारखानों के उत्पादों का वहन करना होगा। इस परिवर्तन से कुछ सेक्शनों पर तेल का यातायात बढ़ जाएगा और अन्य सेक्शनों पर उतनी ही कमी हो जाएगी।

जहां तक नूनमती के तेलशोधक कारखाने का सबंध है, पूर्वोत्तर और उत्तर सीमान्त रेलवे के बड़ी लाइन के सेक्शनों में तेल का यातायात बढ़ जाएगा और पूर्व रेलवे के बड़ी लाइन के सेक्शनों तथा पश्चिम रेलवे के बड़ी लाइन के सेक्शनों पर आयातित उत्पादों का वहन कम हो जाएगा।

बरौनी के तेलशोधक कारखाने की स्थापना के परिणामस्वरूप वहन के स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों की जांच की जा रही है।

(ग) नूनमती के तेलशोधक कारखाने की स्थापना के पश्चात् बड़ी लाइनों के सेक्शनों पर अधिक वहन के उपबन्ध के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(१) बड़ी लाइन के अतिरिक्त टेंक वैगन प्राप्त करना।

(२) तेल शोधक कारखाने के उत्पादों को सिलीगुड़ी स्थित संग्रह संस्थापन में पहुंचाने के लिये अमीनगांव-सिलीगुड़ी सेक्शन की परिवहन क्षमता बढ़ाना।

## चलती हुई रेलगाड़ियों में डकैतियां

†**३५२६. श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ से ३० जून, १९६१ तक की अवधि में चलती हुई रेलगाड़ियों में डाकुओं द्वारा कितने यात्रियों को मार डाला गया और कितनों को घायल किया गया ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

1—POL Products.

(ख) पिछले छै महीनों में रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों के कितने शव प्राप्त हुए; और

(ग) ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां )** : (क) (१) मार डाले गये यात्रियों की संख्या--४

(२) घायल किए गए यात्रियों की संख्या--१४

(ख) १० । इन में से ६ की मृत्यु स्वाभाविक कारणों से हुई थी ।

(ग) यात्री गाड़ियों में अपराध रोकने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है । फिर भी रेलवे ने अपनी ओर से निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(१) डिब्बों में सुरक्षा की युक्तियों की व्यवस्था की गई है ताकि अवांछनीय व्यक्ति उनमें अनधिकार प्रवेश न प्राप्त कर सकें ।

(२) हाल में औरतों के डिब्बों में एक पुश बटन का उपबन्ध किया गया है जिसको दबाने से गार्ड के पास और संलग्न साधारण डिब्बे में घण्टी बजने लगती है और औरतों के डिब्बे के बाहर लाल रोशनी हो जाती है ताकि तुरन्त सहायता की जा सके ।

(३) कंडक्टर गार्डों और टी० टी० ईओं को महिला यात्रियों का विशेष ध्यान रखने, विशेषकर जब वे अकेली यात्रा कर रही हों, की हिदायत है ।

(४) उच्च श्रेणा में अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं को रात के समय तीसरे दर्जे के टिकट पर अपने साथ एक रक्षक ले जाने की अनुमति है ।

(५) यह हिदायत जारी की गई है कि समस्त रात की गाड़ियों की, स्टार्टिंग स्टेशनों पर, जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस दृष्टि से जांच की जानी चाहिये कि उच्च श्रेणी के डिब्बों में, विशेषकर वे जो महिलाओं के लिये आरक्षित किए गए हों, शौचालय में अथवा सीटों के नीचे कोई व्यक्ति छिपा हुआ न हो और सब दरवाज़ों तथा खिड़कियों की चटखनियां चालू हालत में हों ।

(६) रेलवे सुरक्षा दल की गुप्तचर शाखा को रेलवे में सक्रिय अपराधियों पर निकट चौकसी रखने और संग्रहीत सूचना सरकारी रेलवे पुलिस को पहुंचाने का हिदायतें हैं ।

(७) रात की कुछ मुख्य गाड़ियों पर सशस्त्र पुलिस दल रखे जाते हैं ।

(८) गाड़ी के रक्षकों के लिये गाड़ी के बीच में और यथासंभव महिलाओं के डिब्बे से संलग्न स्थान सुरक्षित करना हैं ।

(९) रात में गश्त पर नियुक्त व्यक्तियों की जांच करने के लिये विशेष रात्रि दस्तों अथवा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण ।

(१०) अपराध को रोकने और उसका पता लगाने के लिये रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस के बीच निकट सहयोग ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें

३५२७. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने अधिकांश गन्ना मई व जून, १९६१ में खरीदा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जहां पर यह गन्ना खरीदा गया वहां पर मिलों की ओर से छाया या पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया;

(ग) क्या इन आवश्यक सुविधाओं को देने के लिये सरकार ने कोई आदेश मिल मालिकों को दिये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी नहीं।

(ख) छै मिलों ने १९६०–६१ के मौसम में न तो छाया का और न ही पीने के पानी का प्रबन्ध किया था। इनके अतिरिक्त चार मिलों ने पशुओं के लिये छाया का कोई प्रबन्ध नहीं किया था। यद्यपि उन्होंने पीने के पानी का प्रबन्ध कर दिया था।

(ग) जी हां।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

## मनीपुर में खाद्यान्न नियंत्रण आदेश

†३५२८. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में लागू खाद्यान्न नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने के कारण १९५९–६० और १९६०–६१ में कुछ व्यक्तियों को प्राभियोजित एवं दण्डित किया गया था;

(ख) क्या एक अपील के मामले में न्यायिक आयुक्त ने यह फैसला दिया है कि वे प्राभियोजन केवल निरपराध नागरिकों को तंग करने के लिए किए गए थे और मजिस्ट्रेट्रों द्वारा दंडित व्यक्तियों को मुक्त कर देने का आदेश दिया गया था; और

(ग) क्या उस आदेश के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अभी भी जेल में बन्द है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) मनीपुर खाद्यान्न नियंत्रण आदेश, १९५६ और खाद्यान्न व्यापारी लाईसेंस आदेश, १९५८ के उल्लंघन के लिए १९५९–६० और १९६०–६१ में क्रमशः ५२ और ६३ व्यक्ति प्राभियोजित एवं दंडित किए गए थे।

(ख) न्यायिक आयुक्त ने एक अपील के मामले में अपने आदेश में यह विचार व्यक्त किया है कि अपीलकर्त्ता का दंड और धान का जब्त किया जाना अत्यन्त अनुचित हैं और अपीलकर्ता के उत्पीड़न के समान हैं ;

(ग) नहीं श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में

**चिकित्सा व्यवसाय के सम्बन्ध में जांच**

†३५२९. **श्री बहादुर सिंह :**
**श्री नेकराम नेगी :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा व्यवसाय की समस्याओं के संबंध में जांच कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा संघ की आन्ध्र प्रदेश शाखा के सभापति द्वारा सितम्बर, १९६० में ऐसा कोई सुझाव पेश किया गया था ;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में सामान्य (चिकित्सा) व्यवसाइयों के कालेज का उद्घाटन करते हुए उन्होंने इस सुझाव का समर्थन किया था ;

(घ) क्या उन्होंने ऐसी जांच के क्षेत्र को बढ़ा देने का सुझाव दिया था ताकि चिकित्सा व्यवसाय की समस्त समस्याएं और सहायक प्रश्न उसमें आ जायें; और

(ङ) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर )** : (क) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव के संबंधे में विचार नहीं कर रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). यह कहा गया था कि इस मामले पर विचार किया जाएगा।

(ङ) भारत सरकार ने चिकित्सा सहायता और लोक-स्वास्थ्य के क्षेत्र में निर्धारण (अथवा मूल्यांकन) करने और देश में स्वास्थ्य के विकास की भावी योजना के लिए सिफारिशें तैयार करने के लिए डा० ए० एल० मुदालियर के सभापतित्व में स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं आयोजन समिति नियुक्त की है। समिति द्वारा समस्या के इस पहलू पर विचार किए जाने की आशा है और उनका प्रतिवेदन प्रतीक्षित है। मामले की अग्रेतर जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन पेश कर दिए जाने के पश्चात् की जाएगी।

**पत्थर ले जाने वाले माल-डिब्बों की तुलाई में कथित भ्रष्टाचार**

†३५३०. **श्री कालिका सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने उत्तर रेलवे के फैजाबाद और अयोध्या रेलवे स्टेशनों पर पत्थर के टुकड़ों (बोल्डर्स) का भार तोलने से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप की जांच की है, जो घाघरा पर अयोध्या सड़क पुल के निर्माण के लिये ठेकेदारों के द्वारा पत्थर की खानों से लाये गये थे ;

(ख) जांच का क्या परिणाम हुआ है और रेलवे विभाग के जांच कक्ष के परिणामों से इन में कितना अन्तर है ;

(ग) क्या मामला न्यायालय में भेज दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख)(१) विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने रिपोर्ट की है कि विभिन्न स्टेशनों के रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही थी और कर्मचारी पूर्ण ईमानदारी तथा कर्तव्य पालन के मार्ग पर दृढ़ नहीं रहे। उसने रेलवे को कार्रवाई करने को कहा है।

(२) उपलब्ध अभिलेखों की ध्यानपूर्वक जांच और रेलवे बोर्ड द्वारा ऐसे माल-डिब्बों को तोलने के बारे में जारी की गई हिदायतों से भी यह पता चला है कि एक मामले को छोड़कर कर्मचारियों द्वारा कोई गड़बड़ नहीं की गई। उपरोक्त एक मामले में उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को न्यायालय में अभियोग चलाने के लिये पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

## कांगड़ा घाटी रेलवे

†३५३१. **श्री हेम राज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४६ और १९४७ में पेपरोला बैजनाथ और जोगेन्द्रनगर के बीच तथा पठानकोट और पेपरोला वैजनाथ के बीच कांगड़ा घाट रेलवे यात्री गाड़ियों को कितना समय लगा; और

(ख) १९६१ में जितना लगता है उसकी तुलना में यह समय कम है या अधिक ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). १५-४-१९५४ से पहले कांगड़ा घाटी-रेलवे केवल नागरोटा तक थी। नागरोटा से जोगेन्द्रनगर तक का सैक्शन १५-४-१९५४ से यात्री यातायात के लिये खोला गया था। पठानकोट-बैजनाथ-पेपरोला और बैजनाथ-पेपरोला-जोगेन्द्रनगर सैक्शनों पर १५-४-१९५४ और १-४-६१ के बीच गाड़ियां औसतन इतनी देर तक चली :—

| सैक्शन | औसत चलन का समय | | | |
|---|---|---|---|---|
| | १५-४-५४ को | | १-४-६१ को | |
| | घंटे | मिनट | घंटे | मिनट |
| पठानकोट–बैजनाथ–पेपरोला | ७ | ४८ | ८ | ११ |
| बैजनाथ-पेपरोला–जोगेन्द्रनगर | २ | २७ | २ | २० |

## पंजाब में प्रादेशिक बागवानी अनुसंधान केन्द्र

†३५३२. **श्री हेम राज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है कि पंजाब की पहाड़ियों में कोई प्रादेशिक बागवानी अनुसंधान केन्द्र विद्यमान नहीं है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि हिमाचल प्रदेश की जलवायु की स्थिति और मिट्टी का स्वरूप पंजाब की पहाड़ियों की अपेक्षा भिन्न है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार पंजाब की पहाड़ियों में एक केन्द्र खोलने का विचार करती है, जहां बागवानी के विकास की बड़ी गुंजाइश है?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी नहीं। आड़, आलूचा और खुमानी संबंधी अनुसंधान के लिये एक प्रादेशिक फल अनुसंधान उपकेन्द्र १ दिसम्बर, १९६० से कंडाघाट में चल रहा है।

(ख) जी नहीं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र साथ-साथ होने और कई स्थानों पर बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इसलिये मिट्टी और जलवायु की स्थिति न्यूनाधिक समान है।

(ग) समशीतोष्ण जलवायु वाले फलों अर्थात् सेब, नाशपाती, चैरी, पर्णाम्र, आड़ू, खुमानी, आलूचा, बादाम और अंगूरों संबंधी अनुसंधान के लिये कुल्लू में एक प्रादेशिक फल अनुसंधान उपकेन्द्र की स्थापना का एक प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विचाराधीन है।

**चरखी दादरी और झारली के बीच नया रेलवे हाल्ट स्टेशन**

†**३५३३. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के रिवाड़ी-भटिंडा मार्ग पर चरखी दादरी और झारली स्टेशनों के बीच नया रेलवे हाल्ट स्टेशन बनाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यह स्टेशन कब आरंभ किया जाएगा?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) चालू वर्ष में इस काम को करने के लिये निधियां नियत की गई हैं।

(ख) काम को यथाशीघ्र तेज किया जा रहा है। तथापि शासकीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व हाल्ट स्टेशन के खुल जाने की आशा है।

**पौधा संरक्षण केन्द्र**

**३५३४. श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पौधा संरक्षण केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) प्रत्येक केन्द्र में कितने लोग नियुक्त हैं और उन्हें क्या संसाधन उपलब्ध किये गये हैं?

**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) भारत सरकार के द्वारा मैसूर, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जानकारी निम्न प्रकार है :—

| राज्य का नाम | कर्मचारी | पौध रक्षा सामग्री संख्या | | कीट-नाशी औषधियां (मूल्य) |
|---|---|---|---|---|
| | | मशीन | याने | रुपये प्रतिवर्ष |
| १. मैसूर (धारवाड़) | १० | ३३० | २ | २०,००० |
| २. महाराष्ट्र (अमरावती) | ५ | ३१९ | २ | ,, |
| ३. उड़ीसा (कटक) | ९ | १८६ | २ | ,, |
| ४. पंजाब (पठानकोट) | ९ | ३०० | १ | ,, |

## दिल्ली के अस्पतालों में असाध्य रोगी

३५३५. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में ऐसे बीमारों की संख्या कितनी है जिनके बारे में काफी दिन के इलाज के बाद यह घोषित कर दिया गया कि उनका रोग असाध्य है ;

(ख) क्या सरकार ऐसे बीमारों को बाहर के अस्पतालों में भेजने की व्यवस्था करती है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे बीमारों की चिकित्सा का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) आमतौर पर रोगियों के अस्पताल से मुक्त होने के समय किसी रोगी को असाध्य घोषित नहीं किया जाता तथापि कैंसर, हृदरोग, जीर्ण किडनी, लीवर रोग तथा शरीर के अन्य भागों के दर्द जैसी अनेक अवस्थाओं में रोग कभी-कभी इतना प्रगट हो जाता है कि विभिन्न अवयवों में अत्यधिक क्षति हो जाने से उसका इलाज सम्भव नहीं रह जाता। ऐसे जीर्ण रोगों के रोगियों की क्लिनिकी अवस्था स्थिर नहीं रहती अपितु उसमें परिवर्तन होता रहता है जिसे कभी तो स्थिति बिगड़ जाती है और कभी कुछ 'सुधार' की हालत में व्यवस्थित सी हो जाती है। जहां स्थिति में ऐसा कुछ सुधार आदि की अवस्था आ जाती है उसे फिर अस्पताल में रखने तथा उसका और आगे इलाज करने का विशेष कोई असर नहीं पड़ता और तब रोगी को आमतौर पर पर्याप्त रूप से ऐसा इलाज कर कि वह उसी सुधार की स्थिति में रह सके और अपन घर में ही छोटा मोटा इलाज करवाता रहे, मुक्त कर दिया जाता है। किन्तु स्थिति के बिगड़ जाने की नौबत में, जहां उसके दुबारा अस्पताल में भरती करने की आवश्यकता हो, उसे दुबारा भरती कर दिया जाता है और जो कुछ हलका-फुलक इलाज बतलाया जाता हैं वह किया जाता है।

(ख) और (ग). विशेष मामलों, जहां कतिपय एककों में न्यूरोसर्जरी आदि की उत्तम शल्य-क्रिया-सुविधायें तथा अन्य साधन उपलब्ध है, रोगियों को एक अस्पताल से दूसरे ऐसे अस्पताल में जहां अच्छी सुविधायें उपलब्ध हों, भेज दिया जाता है। मानसिक रोगियों के अलावा दूसरे रोगियों को दिल्ली से बाहर के अन्य अस्पतालों में भेजना आम तौर पर आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि देश के अन्य भागों में उपलब्ध बहुत सी सुविधायें दिल्ली के अस्पतालों में भी उपलब्ध है।

## अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

३५३६. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था को सरकार वार्षिक कितना अनुदान देती है ; और

(ख) इस संस्था को बीमारों से औषधि आदि का कीमत वसूल करने के रूप में १९६१-६२ में अब तक कितनी आय हुई ?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था को स्वीकृत वार्षिक अनुदान--

| वर्ष | रुपये |
|---|---|
| १९५६-५७ | ४,०४,०००·०० |
| १९५७-५८ | २२,७४,०००·०० |
| १९५८-५९ | २३,००,०००·०० |
| १९५९-६० | ७५,००,०००·०० |
| १९६०-६१ | १०७,८४,०००·०० |
| १९६१-६२ | ५०,००,०००·००(पहली किस्त) |

(ख) रोगियों से ली गई दवाइयों आदि की कीमत के रुप में संस्था की १९६१-६२ के अन्तर्गत अब तक की आय : २१,२०७·३४ रुपये

(३१-७-१९६१ तक)

उर्वरक

३५३७. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो उर्वरक कानपुर जिले के किसानों को ३८ रुपये प्रति मन की दर से वितरण के लिये रखे गये थे वे बंगाल, मद्रास और मध्य प्रदेश राज्यों के व्यापारियों को १२५ रुपये प्रति मन की दर से बेच दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन मामलों की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उनमें कितने रुपयों की गड़बड है ; और

(घ) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (घ). राज्य के अन्दर उर्वरकों के वितरण का कार्य राज्य सरकार का है और इसलिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से पूछताछ की गई उन्होंने बताया है कि १ जनवरी, १९६१ से अकार्बनिक उर्वरक (वहन नियन्त्रण) आदेश १९६० के प्रवृत्त होने के बाद पिछले मासों में कानपुर जिले में चोर बाजारी या राज्य से बाहर उर्वरकों के निर्यात करने का कोई भी मामला उनके नोटिस में नहीं आया। इस प्रकार के कुछ मामले पहले नोटिस में आये थे और जांच के लिए पुलिस को सौंप दिये गये थे।

उर्वरक वितरण जांच समिति

३५३८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक वितरण जांच समिति की इन सिफारिशों पर कि उर्वरकों पर बिक्री-कर की छूट दी जाये और किसानों को उर्वरक कम से कम मूल्य पर दिये जायें तथा उर्वरकों के लिये ऋण की उचित व्यवस्था की जाय, कृषि मन्त्रालय ने क्या निर्णय लिये हैं ;

(ख) यदि इन सिफारिशों पर अब भी विचार किया जा रहा है, तो इन पर निर्णय करने में अभी और कितना समय लगेगा ; और

(ग) इन सिफारिशों में से किसी को भी सरकार द्वारा न मानने का क्या कारण है ?

**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). इस मन्त्रालय द्वारा किये गये निर्णय निम्न प्रकार हैं :–

(१) **उर्वरकों को बिक्री कर से छूट देना** : राज्य के वित्तीय साधनों पर संभावनीय प्रतिक्रिया होने की वजह से बिक्री-कर से पूरी छट देना नहीं माना जा सका ।

(२) **कृषकों को न्यूनतम मूल्य पर उर्वरकों का वितरण करना** : इसे सिद्धान्तिक रूप में मान लिया गया और मूल्य को कम करने की सम्भावना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

(३) **उर्वरकों के लिये समुचित ऋण व्यवस्थाओं का उपलब्ध करना** : इसे मान लिया गया और कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को बता दिया गया ।

## पूर्वोत्तर रेलवे में लंबित मामलों का निपटारा

†३५३९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में लंबित मामलों को निपटाने के लिये कानपुर के सब्जी मंडी के फल और सब्जी व्यापारियों ने आभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अभ्यावेदन पर विचार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन मामलों को निपटाया जा चुका है; और

(घ) विलंब के लिये उत्तरदायी अफसर कौन हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). अभ्यावेदन में उल्लिखित ६२ मामलों में से ५७ में अंतिम फैसले रेलवे द्वारा संबद्ध पक्षों को सूचित कर दिये गये हैं । शेष ५ मामलों का पुनरीक्षण किया जा रहा है और शीघ्र ही अंतिम निर्णय भेजे जाने की संभावना है । मामलों का निपटारा करने में विलम्ब के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध उत्तर पूर्व रेलवे ने उपयुक्त कार्रवाई की है ।

## सहकारिता आन्दोलन

†३५४०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राज्यों में सहकारिता आन्दोलन को धक्का लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) सहकारी संस्थाओं को नवीन प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) इस आन्दोलन को और प्रोत्साहन देने के लिये किये गये विभिन्न कार्य १९५९–६० और १९६०–६१ वर्षों के लिये सहकारी विभाग के वार्षिक प्रतिवेदनों में दिये गये हैं ।

**पूना के लिये विमान सेवा**

†३५४१. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि मराठा वाणिज्य मंडल पूना और बम्बई तथा पूना की अन्य औद्योगिक संस्थाओं की बड़ी मांग है कि पूना के लिये विमान सेवा होनी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पूना के लिये विमान सेवा न होने के क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). बम्बई और पूना के बीच सुविधाजनक रेलगाड़ियों की विद्यमान और अत्युत्तम सड़क होने के कारण भारतीय एयरलाइन्स कारपोरेशन इस क्षेत्र में विमान सेवा जारी किये जाने के पक्ष के लिये पर्याप्त यातायात की आशा नहीं करता ।

**विद्युत् तथा सिंचाई परियोजनाओं से आय**

†३५४२. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
**श्री वै० च० मलिक** :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं से वित्तीय आय को बढ़ाने के लिये योजना आयोग ने कुछ उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उनका क्या फैसला किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) विद्युत् तथा सिंचाई परियोजनाओं से वित्तीय आय बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को सुझाये गये उपाय संलग्न विवरण में दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(ग) सुझावों को कार्यान्वित करना राज्य सरकारों का काम है । वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

**हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में कृषि**

†३५४३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में कृषि विकास के लिये पश्चिम जर्मनी की सरकार के साथ एक करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार के अन्तर्गत उस देश से कितनी सहायता की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)**: (क) अभी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

**कटक में नीचे का पुल**

†३५४४. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस स्थान के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; जहां कटक नगर के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग को मिलाने की दृष्टि से कटक में रेलवे समतल लंघन के पास नीचे का पुल बनाये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या इस के सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय तथा राज्य सरकार के बीच और अधिक पत्र व्यवहार हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां। प्रस्तावित नीचे का पुल कटक स्टेशन यार्ड के दक्षिण किनारे पर २५५ १/२ मील पर होगा।

(ख) और (ग). अन्तिम निर्णय मई १९६१ में किया गया है और प्लान तथा प्राक्कलनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उस के बाद से कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ है।

**आदिम जाति के झूमिया**

†३५४५. **श्री बांगसी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के विशेषकर कमालपुर के कुलाई और धर्मनगर के कंचनपुर के झुमियाओं ने सरकार से प्रार्थना की है कि उनको जब तक कि खेती योग्य भूमि में स्थायी तौर पर बस न जाए, त्रिपुरा के बन में झूम खेती करने दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) जी हां।

(ख) रक्षित वनों में और पी० डब्ल्य० डी० की सड़कों तथा नौवहनवाली नदियों के दोनों ओर आध मील के अन्दर झूम खेती निषिद्ध है । रक्षित वनों में, वास्तविक आदिम जातीय झुमियाओं को कुछ शर्तों पर झूम खेती करने की अनुमति दी गई है।

**केरल में पर्यटकों को सुविधायें**

†३५४६. **श्री मणियंगाडन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में पर्यटकों को सुविधाएं देने के लिये अब तक केरल सरकार को केन्द्रीय सरकार की ओर से कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) क्या सुविधायें दी गई हैं या दिये जाने का प्रस्ताव है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर )** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## एरणाकुलम् स्टेशन

†३५४७. **श्री मणियंगाडन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में एरणाकुलम् जंक्शन पर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) काम कब आरंभ होने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). इस समय बड़े पमाने पर पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी १९६०–६१ के निम्न कामों का कार्यक्रम बनाया गया है।

(१) २५० फुट लम्बी प्लेटफार्म के ऊपर छत डालना।

(३) तीसरी श्रेणी के प्रतीक्षालय का विस्तार ।

(३) फ्लश वाली टट्टियां ।

(४) (क) शाकाहारी भोजन गृह और (ख) मांसाहारी भोजन गृह का सुधार

(५) मीटर गेज के प्लेटफार्म पर खोमचा स्टालों की व्यवस्था । उपरोक्त कामों के प्राक्कलन मंजूर किये जा रहे हैं। आराम करने के कमरे बनाने की भी मंजूरी दी गई है । और काम पूर्ण होने वाला है।

## उड़ीसा में डाकघर

†३५४८. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में उड़ीसा में जिलावार कितने शाखा डाकघर बदल कर उपडाक घर बनाये गये हैं ; और

(ख) १९६१–६२ में उड़ीसा में कितने शाखा डाक घरों को उप डाकघर बनाने का प्रस्ताव है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन )** : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) ५६ ।

विवरण

| | शाखा डाक घरों से बने उप डाकघर | |
|---|---|---|
| | १९५९–५० में | १९६०–६१ में |
| १. कटक . . | — | — |
| २. बरहामपुर (जी एम) | २ | ६ |
| ३. पुरी . | २ | ३ |
| ४. बालासोर | ४ | २ |
| ५. संभलपुर | — | २ |
| ६. बालंगीर . . . . | १ | १ |

†मूल अंग्रेजी में

## नारियल के पौधों के लिये उर्वरक

†३५४९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य में नारियल के पौधों को अच्छी खाद के लिये उड़ीसा को उर्वरक पृथकत: आवंटित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में अब तक उड़ीसा में वितरित उत्तम किस्म के नारियल के पौधों की संख्या क्या है ; और

(घ) ये पौधे किन क्षेत्रों में वितरित किये गये हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) राज्य सरकार ने ये आंकड़े दिये हैं :—

| वर्ष | वितरित पौधे |
|---|---|
| १९५९–६० . . . | २३३४७ |
| १९६०–६१ . . | २१२४९ |
| १९६१–६२ . . . . . | १६३३० |
| (जुलाई १९६१ तक) | |

(घ) पौधे अधिकांशत: कटक, पुरी, बालासोर और गंजम जिलों को दिये गये थे ।

## आयुर्वेदिक और यूनानी तिबिया कालेज, दिल्ली

†३५५०. **श्री बलराज मधोक :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६, १९५८, १९५९ और १९६० में कालेज के आयुर्वेदिक और यूनानी विभागों में पृथक २ विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी ;

(ख) कालेज का कुल वार्षिक व्यय कितना है (आयुर्वेदिक और यूनानी विभागों के आंकड़े पृथक २ क्या हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि कालेज का प्रिंसपल ऐलोपथिक डाक्टर है और वह चुनाव समिति के द्वारा चुना हुआ नहीं है ।

(घ) क्या देश में ऐसे और कई आयुर्वेदिक या युनानी कालेज हैं, जिनके प्रिंसिपल ऐलोपैथिक डाक्टर हैं; और

(ङ) क्या यह सच है कि १९६१ के लिये कालेज के वार्षिक परीक्षा परिणाम बहुत बुरे थे और परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात् उन में मनमाना संशोधन किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर )** : (क) और (ख)

| वर्ष | विद्यार्थियों की संख्या | | व्यय* |
|---|---|---|---|
| | आयुर्वेदिक | यूनानी | रुपयों में |
| १९५६–५७ | १४० | ३० | २,४५,३२४ |
| १९५७–५८ | १७३ | ३० | २,२६,८०० |
| १९५८–५९ | १०३ | २० | २,१०,८५१ |
| १९५९–६० | १६७ | १६ | २,३७,२५६ |
| १९६०–६१ . . . | २९९ | ४२ | २,७६,०१४ |

(*आयुर्वेदिक और यूनानी के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। )

(ग) प्रिंसिपल उच्च शिक्षा प्राप्त ऐलोपैथिक डाक्टर है। 'इन्टरव्यू' चुनाव समिति द्वारा किया गया था। और उसे बोर्ड ने नियुक्त किया था।

(घ) जी हां ।

(ङ) कालेज के वार्षिक परीक्षा परिणामों में संशोधन विनियमों के अनुसार और बोर्ड द्वारा पूर्णरूपेण विचार विनिमय किये जाने के पश्चात् किया गया था।

## ग्राम्य जल संभरण तथा सफाई योजना

†**३५५१. श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम्य जल संभरण तथा सफाई योजनाओं की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरे हो गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो कमी के क्या कारण हैं ;

(घ) इन योजनाओं के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था थी ; और

(ङ) अब तक इसमें से कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६६]**

## रेल के डिब्बे

**३५५२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के जो नये डिब्बे तैयार हो कर आ रहे हैं उन पर श्रेणी तथा रेलवे का नाम हिन्दी में भी लिखा है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस समय जो पुराने डिब्बे काम में आ रहे हैं उन पर भी अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में ये शब्द लिखे गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा किस समय तक किया जायेगा ?

**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामास्वामी )** : (क) हिदायत यह है कि नये इंजनों/सवारी डिब्बों पर निर्माता का नाम हिन्दी में भी लिखा जाये ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

## दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड

†३५५३. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली के अधिकांश होम्योपैथ दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड के कार्यों से संतुष्ट नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है ; और

(ग) इस बोर्ड के कई वर्ष पूर्व बन जाने पर भी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड, दिल्ली के लिए पूरे समय का रजिस्ट्रार नियुक्त न करने के कारण क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड, दिल्ली मई १९५८ में स्थापित हुआ था। बोर्ड की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि पूरे समय के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त कर सके ।

## ट्रेन एग्जामिनरों को स्थायी बनाना

†३५५४. **चौ० रणवीर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के कुछ ट्रेन एग्ज़ामिनर (वेतन क्रम रुपये १५०---२२५) जिनको १ अप्रैल, १९५६ से वरिष्ठता के लाभ दिए गए हैं, को अब तक स्थायी नहीं बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वरिष्ठों की उपेक्षा कर के कनिष्ठों को स्थायी बना दिया गया है ;

(ग) यदि भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या यह सच है कि वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए रिजर्व रिक्त स्थानों को इस ग्रेड में लगातार एक वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों से भरा गया था ।

(घ) यदि हां, तो क्या लगातार एक वर्ष की सेवा पूरी करने वाले तथा वरिष्ठ घोषित किए गए कुछ ट्रेन एग्ज़ामिनरों को अभी स्थायी नहीं बनाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि कनिष्ठों को स्थायी बना दिया गया था परन्तु वरिष्ठों के लिए अभी भी रिक्त स्थान रिजर्व है ।

(ग) १२ महीने की कार्ययु तथा लगातार सेवा के बाद इनको स्थायी बनाया जाता है ।

(घ) यह शर्तें केवल एक ट्रेन एग्जामिनर ने पूरी की है और उसको स्थायी बनाने पर विचार किया जा रहा है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**प्रविधिक सहयोग मिशन सहायता उपकरण**

†३५५५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७ से १९५९ में प्रविधिक सहयोग मिशन सहायता उपकरण में आए हुए मूल्यवान खाद्यान्न परीक्षण यंत्र तथा अनाज वहन उपकरण अभी भी बक्सों में बन्द पड़े हैं और जंग खा गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उप-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं । प्रश्न में उल्लिखित उपकरण इस्तेमाल किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**गोदामों में गेहूं**

†३५५६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास तथा अवाड़ी गोदामों में ६०,००० टन गेहूं, हैदराबाद में २०९,००० टन गेहूं, तथा विजागपटम गोदामों में १३०० टन गेहूं बरबाद हो चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, उसकी क्या दशा है तथा क्या कोई जांच कर ली गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं । किसी भी केन्द्र सरकार के गोदाम में गेहूं का भंडार बरबाद नहीं हुआ है । हैदराबाद में केन्द्र सरकार के गोदामों की अधिक क्षमता १,४८,००० टन है ।

(ख) टैक्नकिल कर्मचारी नियमित रूप से भांडार का निरीक्षण करते हैं तथा गेहूं की दशा संतोषजनक है और उसको खाया जा सकता है । जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

**खाद्यान्नों का परिवहन**

†३५५७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं से लदे हुए जहाजों (स्टीमरों) में गे की कम मात्रा पाई गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

1Grain Cenveying Equipment

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी कमी पाई गई ;

(ग) क्या यह सच है कि बन्दरगाहों में गेहूं के उतारे जाने के बाद खाद्यान्नों को चोरी छिपे बड़ी मात्रा में बेचा जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ।

†**खाद्य तथा कृषि उप-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). विदेशों से गेहूं लाने वाले जहाजों में से कुछ में से अधिक गेहूं उतरता है तथा कुछ में से कम । १९५७–५८ से १९५९–६० के तीन वर्षों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

| | १९५७—५९ (टन) | १९५८—५९ (टन) | १९५९—६० (टन) |
|---|---|---|---|
| बीजक में मात्रा (लौडिंग का बिल) | ३०,४१,१५२ | २९,९९,४४५ | ३३,११,२३९ |
| उतारी गई मात्रा | ३०,३३,४१० | २९,८७,५४९ | ३३,०८,०८२ |
| उतारी गई मात्रा में कमी. | १८,७३६ | २२,५६५ | १५,८४४ |
| उतारी गई मात्रा में वृद्धि. | १०,९९४ | १०,६६९ | १२,६८७ |

लदान वाले तथा उतारने वाले बन्दरगाहों पर तोल के तरीकों में अन्तर होने के कारण भार में अन्तर आ जाता है ।

(ग) जी, नहीं । बन्दरगाहों पर जहां खाद्यान्न उतारे जाते हैं, वह स्थान संरक्षित स्थान होता है और चोरी छिपे खाद्यान्नों को बाहर ले जाने को रोकने के लिये पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**कोयना परियोजना के लिए केन्द्रीय ऋण**

†३५५८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कोयना परियोजना के लिये ऋण स्वीकार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस ऋण के ब्यौरे क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उप-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). कोयना पन-बिजली परियोजना पर धन व्यय करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को भारत सरकार ने अब तक २८,४९,२६,६६४ रुपये दिये हैं । ऋण के अलग अलग आंकड़े ये हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| योजना-कार्य पर व्यय | रुपये | २७,६२,२१,००० |
| योजना के अतिरिक्त —ऋण पर सूद देने के लिये | रुपये | ८७,०५,६६४ |

**नीलगिरि जिले में आलू**

†३५५९. **श्री बालकृष्णन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के गंभीर रोग के कारण नीलगिरि जिले में आलू की फसल को कितनी हानि हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रोग के कारण कितने मूल्य के आलू नष्ट हो गये थे; और

(ग) रोग को रोकने के लिये सरकार ने क्या सहायता कार्य किये थे ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) नीलगिरि जिले के कन्नानूर तालुक के १२ गावों में से १० तथा उटकमंड तालुक के १८ गावों में से १४ के आलुओं में लेट ब्लाहठ (पाला लगना) रोग लग गया था। सामान्य उत्पादन से लगभग ४० प्रतिशत अर्थात् २०,००० टन के खराब हो जाने का अनुमान है ।

(ख) वर्तमान मूल्यानुसार लगभग ७५ लाख रुपये ।

(ग) मद्रास सरकार ने यह कार्यवाहियां की हैं :—

१. सुविधाजनक केन्द्रों पर रियायती दरों से कीटाणुनाशक की बिक्री । बिजली से चलने वाले स्प्रेयरसे, हाथ से चलने वाले स्प्रेयरसे तथा डस्टर आदि आवश्यक उपकरणों से काम करना ।

२. प्रभावित भूमि पर स्प्रेइंग के लिये कृषि प्रदेशकों के अतिरिक्त कर्मचारी लगे हुए थे ।

३. अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के आलू विशेषज्ञ स्काटिश प्लांट ब्रीडिंग स्टेशन, एडिनबरों के डा० विलियम ब्लैक की भारत में उपस्थिति का लाभ उठाया गया और उनके द्वारा समस्या का अध्ययन करने की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अत्याधिक वर्षा होने के कारण, तेज ठंडी हवाओं के द्वारा कीटाणुओं को इधर से उधर आसानी से ले जाये जाने के कारण तथा धूप की कमी के कारण यह रोग फैला था। उन्होंने परामर्श दिया था कि लगातार कीटाणु नाशक दवा छिड़कने से तथा खेतों की सफाई करने से इस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन किया जा सकता है ।

**फल पेय उत्पादन संयंत्र**

†**३५६०. श्री मे० क० कुमारन्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य मंत्रालय के फल उत्पाद विकास तथा विपणन विभाग की सहायता से मद्रास तथा केरल के जिला नगरों में फल पेय उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**कृषि मंत्री ( डा० पं० शा० देशमुख )** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**माधोपुर स्टेशन पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़**

†**३५६१. श्री फ० गो० सेन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ मार्च, १९६१ के इंडियन नेशन तथा सर्च लाइट तथा अन्य समाचारपत्रों में प्रकाशित यह समाचार सच है कि माधोपुर स्टेशन पर एक टी० टी० ई० तथा सिपाही ने दो लड़कियों के साथ छेड़ छाड़ की थी;

(ख) यदि हां, तो उसके बाद क्या हुआ; और

(ग) क्या कोई विभागीय जांच की गई है ?

†**रेलवे उप-मंत्री ( श्री शाहनवाज खां )** : (क) से (ग). रेलवे के निगरानी निरीक्षक द्वारा की गई रिपोर्ट पर पुलिस ने टिकट कलैक्टर तथा पुलिस सिपाही के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद उन्होंने बताया था कि टिकट कलैक्टर के विरुद्ध मामला नहीं बना था तथा सिपाही

---

†मूल अंग्रेजी में

के खिलाफ गवाही इतनी पर्याप्त नहीं थीं कि उस पर अभियोग लगाया जाये । उस पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। परन्तु टिकट कलैक्टर के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गन्ने के मूल्य की बकाया रकम**

†३५६२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० तथा १९६१ की मौसम के गन्ने के मूल्य की कितनी धनराशि कारखाना मालिकों अथवा चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों की बकाया है, जिस का आज तक भुगतान नहीं हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि उप-मंत्री (श्री अ० म० थामस ):** १९६०–६१ की मौसम में उत्पादकों को गन्ने के मूल्य के १११.७५ करोड़ रुपये बकाया थे जिसमें से १५ अगस्त, १९६१ को ६.२४ करोड़ रुपये रह गये थे ।

**रेलगाड़ियों में प्रकाश**

†३५६३. **श्री ओंकार लाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे पर बीना से कोटा अथवा कोटा से बीना जाने वाली गाड़ियों के डिब्बों में सामान्यत: प्रकाश नहीं होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे उप-मंत्री ( श्री शाहनवाज़ खां ) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**मद्रास में तपेदिक अनुसन्धान केन्द्र**

†३५६४. **श्री नंजप्प :**
**श्रीमती मैमूना सुल्तान :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मद्रास में तपेदिक अनुसन्धान केन्द्र को बन्द करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में ही मद्रास में स्वास्थ्य मंत्री से कोई प्रतिनिधि मंडल मिला था जिसने उनसे कहा कि केन्द्र को स्थायी तौर पर चालू रखा जाये; और

(ग) प्रतिनिधि मंडल के अनुरोध पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री ( श्री करमरकर) :** (क) विश्व स्वस्थ्य संगठन से ५ वर्ष की अवधि के लिये मूलत: समझौता हुआ था जो समाप्त हो गया । अग्रेतर कार्य विचाराधीन है ।

(ख) जी हां ।

(ग) मामला अभी विचाराधीन है ।

**मैंगनीज तथा लौह अयस्क का निर्यात यातायात**

†३५६५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांसपानी स्टेशन से मैंगनीज तथा लौह अयस्क के निर्यात यातायात को बनाये रखने के लिये रेलवे ने क्या कार्यवाही की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५९-६० तथा १९६०-६१ में अब तक इन अयस्कों के निर्यात के लिये रेलवे ने इस क्षेत्र में कितना यातायात किया ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) लौह तथा मैंगनीज अयस्क का निर्यात के लिये यातायात पर रेलवे विशेष ध्यान रखती है तथा उसका यही प्रयत्न रहता है कि कार्यक्रम के अनुसार यातायात करे। बांसपानी स्टेशन से निर्यात के अयस्कों का पूरा-पूरा यातायात किया जा रहा है ।

(ख) बांसपानी स्टेशन से १९५९-६० तथा १९६०-६१ में निर्यात अयस्कों के वैगनों के चलाये जाने की स्थिति नीचे बताई जाती है :—

| | निर्यात के लिये लोहा तथा मैंगनीज अय स्कों से भरे हुए भेजे गये वैगनों की संख्या |
|---|---|
| १९५९-६० | १७९७ |
| १९६०-६१ | ४३९० । |

**लोको, कैरेज और वैगन वर्कशाप**

३५६६. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे की लोको, कैरेज और वैगन वर्कशाप, चारबाग, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन से प्रति मास प्रति व्यक्ति क्वार्टरों के किराये के ६ रुपये ३१ नये पैसे काट लिये जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि यह कटौती नियम विरुद्ध है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि सम्बन्धित कर्मचारियों ने इसके बारे में विभाग को सैंकड़ों अर्जियां दी हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) वर्तमान नियमों के अनुसार कर्मचारियों से क्वार्टरों का निर्धारित किराया या उनके वेतन का १० प्रतिशत, दोनों में जो कम हो, लिया जाता है । उत्तर रेलवे के लोको, कैरेज और वैगन वर्कशाप, चारबाग लखनऊ के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों से ३०-९-१९६० तक ६ रुपये ३१ नये पैसे निर्धारित किराया लिया गया। यह किराया उन्हीं लोगों से लिया गया जिनके वेतन के १० प्रतिशत से यह कम था। उस के बाद से संशोधित निर्धारित किराया या वेतन का ७$^{1}/_{2}$ प्रतिशत, दोनों में जो भी कर्मचारी के हक में हो, लिया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं। कर्मचारियों की तरफ से कुछ संयुक्त प्रतिवेदन मिले थे। उन पर विचार किया गया और सम्बन्धित कर्मचारियों को वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया गया।

**रेलगाड़ियों में बर्थों का आवण्टन**

†३५६७. **श्री वारियर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी अपर्यटक एजेन्सी फर्मों को गाड़ियों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी की बर्थों का कोटा आबंटित किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सूची में कितनी फर्में हैं; और

(ग) उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां, ।

(ख) और (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**स्थानापन्न रेलवे कर्मचारी**

†३५६८. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय समस्त रेलों में कुल कितने स्थानापन्न कर्मचारी हैं ;

(ख) ये कर्मचारी किन परिस्थितियों में लगाये गये थे; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये क्या उपबन्ध अथवा नियम हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). सूचना मंगाई जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**उत्तर रेलवे के भांडार सत्यापक**

†३५६९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में भांडार सत्यापक के पद, संवरण पद हैं ;

(ख) क्या परिशिष्ट ३ ए० आई० एस० ए० ग्रुप के अर्हता प्राप्त अभ्यार्थियों को रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसार भांडार सत्यापक नियुक्त कर दिया गया था तथा बाद में उनको जून, १९६१ में पुनः क्लर्क बना दिया था ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(घ) क्या यह प्रत्यावर्तन केवल उत्तर रेलवे में हुआ है ;

(ङ) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(च) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) छः

(घ) जी, हां ।

(ङ) कोई भेदभाव नहीं किया गया है क्योंकि इन व्यक्तियों को अस्थाईतौर पर भांडार सत्यापक नियुक्त किया गया था ।

(च) जिससे कर्मचारियों को आर्थिक हानि न हो इसलिये क्लर्कों के पद पर प्रत्यावर्तन होने पर भी उनकी अगली पदोन्नति होने तक वही वेतन दिये जाने की अनुमति दी गई जो भांडार सत्यापकों के रूप में उनको मिलती रही थी । उस वेतन तथा क्लर्क के पद के वेतन के अन्तर को व्यक्तिगत वेतन माना गया और भविष्य में मिलने वाली वेतन वृद्धि में उसको विलीन कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**उत्तम बीज का उत्पादन तथा उसका वितरण**

†३५७०. **श्री लै० अचौ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तम बीज की वृद्धि तथा वितरण का कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है क्योंकि बीज फार्मों द्वारा उतम बीज के उत्पादन तथा वितरण के ठीक आंकड़े अथवा ब्यौरेवार जानकारी उपलब्ध नहीं हुई; और

(ख) क्या यह सच है कि ९० प्रतिशत बीज फार्मों में हानि है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) :** (क) सभी फार्मों से उत्तम बीज के उत्पादन तथा वितरण के आंकड़े इतनी जल्दी नहीं आ सकते क्योंकि सभी फार्मों ने हाल में ही पहला बीज बोया है। इन फार्मों पर उत्पादित उत्तम बीज के आंकड़े रिकार्ड करने के लिये राज्यों तथा प्रशासकों को दर्शनार्थ सूची दे दी गई है ।।

(ख) अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों से इकट्ठा की जा रही है तथा शीघ्र बता दी जायेगी ।

**भारत में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिये वृत्तिकाएं**

†३५७१. **श्री लै० अचौ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिये २४० वृत्तिकाएं दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ये छात्र-वृत्तियां किस प्रकार बांटी जा रही हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां । १९६१–६२ में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों तथा सहायक लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये २४० वृत्तिकाएं दी गईं हैं ।

(ख) राज्य सरकारों, नगर निगमों, सुधार ट्रस्टों और स्थानीय निकायों द्वारा अपने अपने राज्य सरकारों के जरिये समर्थित तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उम्मीदवार इन छात्र-वृत्तियों के अधिकारी होते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच छात्र-वृत्तियों के वितरण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**उड़ीसा में बाहुदा नदी पर बांध**

†३५७२. **श्री मोहन नायक :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बाहुदा नदी पर बांध बनाने के काम में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यह बांध किस स्थान पर बनाने का निर्णय हुआ है; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) उड़ीसा सरकार से बाहुदा सिंचाई परियोजना पर अभी तक परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

**पालघाट रेलवे स्टेशन**

†३५७३. **श्री वें० ईयाचरण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) के पुनर्निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कब और संशोधन अनुमान क्या हैं; और

(ग) क्या नई इमारत में विश्राम-गृह की सुविधाएं दी जायेंगी ?

†**रेलवे उपमंत्री ( श्री शाहनवाज खां ) :** (क) यह काम शीघ्र ही चालू किया जा रहा है ।

(ख) अभी फिलहाल अनुमान संशोधन करने का प्रश्न नहीं है ।

(ग) वर्तमान अनुमान में विश्रामगृहों के लिये व्यवस्था नहीं की गई है ।

**बीमा शुदा पार्सल का गुम हो जाना**

†३५७४. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत फरवरी, में असम में ढुबरी में बेपत साह तुरहा द्वारा ३३०० रुपये का बीमा कराया गया एक इन्शोरेन्स कवर उसी डाकखाने से खो गया था और अभी तक उसका पता नहीं लगा ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या प्रेषक या प्राप्तिकर्त्ता को क्षतिपूर्ति दी गई है; और यदि नहीं तो क्यों ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री ( डा० प० सुब्बारायन ) :** (क) जी हां ।

(ख) बीमाशुदा वस्तु वाला थैला डाकखाने से चुरा लिया गया था विभागीय और पुलिस जांच अभी चल रही है ।

(ग) जी, नहीं । दावे के कागजात-प्रेषक से पूरा कराना संभव नहीं है क्योंकि वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है । प्रेषक से सम्पर्क कायम करने के लिये और प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

**इम्फाल में भंगी बस्ती**

†**श्री लैं० अचौ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल में भंगी बस्ती के लिये बैरेक ढंग की इमारतें बनाने के लिये १.६० लाख रुपये की रकम मंजूर की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इम्फाल नगरपालिका जिसे यह योजना कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया था, इस स्थिति में नहीं थी कि क्वार्टर बनवा सके और यह रकम किसी दूसरे काम के लिये इस्तेमाल की गई; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इस नगरपालिका के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

**घग्गर नदी में बाढ़**

†३५७६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंवाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा कर सकेंगे कि

(क) क्या राजस्थान सरकार ने घग्गर नदी में बाढ़ रोकने की कोई योजना केन्द्रीय पानी बिजली आयोग को पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की लागत क्या है ; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

†**सिंवाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उपन्न नहीं होते ।

**भटिण्डा के लिए सीधा डिब्बा लगाना**

†३५७७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली जंकशन से चालू होने वाली २१६ पैसेंजर गाड़ी में दिल्ली और भटिण्डा के बीच सीधा डिब्बा नियमित रूप से नहीं जोड़ा जाता ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) जून, जुलाई और अगस्त, १९६१ में कितने दिन यह डिब्बा नहीं जोड़ा गया ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

**वायु-अनुकूलित गाड़ियों में सोने के लिये डिब्बे**

†३५७८. **श्री के० प्र० सिन्हा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली–मद्रास के बीच चलने वाली वायु-अनुकूलित गाड़ियों में नये ढंग के दो पटड़ियों (टायर) वाले तीसरे दर्जे के बैठने और सोने के डिब्बे चालू किये गये हैं ;

(ख) क्या ये डिब्बे भी वायु अनुकूलित हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वायु-अनुकूलित एक्स्प्रेस गाड़ियों के साथ चलने वाले तीसरे दर्जे के इन डिब्बों को निकट भविष्य में वायु-अनुकूलित बनाने की कोई योजना सरकार के पास है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**भुबनेश्वर डाकखाने में डाक का बांटा जाना**

†३५७९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
**डा० सामन्त सिंहार :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का ध्यान दिनांक १८ और २० अगस्त, १९६१ के कटक के दैनिक मातृभूमि में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि भुबनेश्वर में नये बड़े डाकखाने में डाक बांटने और डाक प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि २५ डाकियों के लिए मंजूरी दी गयी है फिर भी अभी सिर्फ २० डाकिये ही काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि नये बड़े डाकखाने में रोजाना १३८५२ पत्र आते हैं ;

(घ) यदि हां, तो यह डाक समय पर और शीघ्र पहुंचाने के लिए कुल कितने डाकियों की जरूरत है;

(ङ) क्या मंत्रालय को मालूम है कि रेलगाड़ियों से डाकखाने में डाक लाने के लिये कोई यातायात नहीं दिया गया है जिसकी वजह से डाकखाने में डाक प्राप्त होने में देर हो जाती है ;

(च) क्या उड़ीसा में डाक तार विभाग के निदेशक ने इन कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान कभी दिलाया है ; और

(छ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**†परिवहन तथा संचार (मंत्री (डा० प० सुब्बरायन ) :** (क) जी हां।

(ख) २५ डाकियों की मंजूरी के मुकाबले में २१ डाकिये काम कर रहे हैं। कमी पूरी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) अभी इस संख्या की जांच हो रही है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) अब मोटर परिवहन से डाक लादी जाती है।

(च) जी नहीं ।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**वनस्पति में रंग मिलाया जाना**

†३५८०. **राजा महेन्द्रथ प्रताप :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मसूरी में कुलरी के किशोर ब्रदर्स ने वनस्पति तेलों को रंगीन बनाने के लिए बहुत अच्छा सामान ढूंढ निकाला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसका उपयोग करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). मसूरी में कुलरी के किशोर ब्रदर्स से वनस्पति को रंगीन बनाने के माध्यम के उपयोग का एक सुझाव प्राप्त हुआ था लेकिन उस पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि उसकी संरचना बताने की प्रार्थना करने पर भी उस पार्टी ने वह नहीं बताया ।

**कर्मचारियों को स्थायी करना**

३५८१. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे वर्कशाप, बीकानेर की स्टोर ब्रांच में कुछ कर्मचारियों को स्थायी करने के लिये चुना गया था और सफल उम्मीदवारों की बजाय असफल उम्मीदवारों को स्थायी कर दिया गया ,

(ख) यदि वरिष्ठता के आधार पर उन्हें स्थायी करना था तो चयन बोर्ड बनाने और चयन करने की क्या जरूरत थी ; और

(ग) क्या जिन्हें पद नहीं दिया गया उन में से अधिकांश लोग अनुसूचित जाति के थे ?

**रेलवे उपमंत्री ( श्री शाहनवाज खां )** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

**अमृतसर टेलीग्राफ सब-डिवीजन में बिजली के सामान की हानि**

†३५८२. **श्री बलराज मधोक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला के तार निदेशक ने अमृतसर टेलीग्राफ सब-डिवीजन में बिजली के सरकारी सामान की हानि के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया है ;

(ख) यदि हां, तो सभी उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि हानि के लिए वास्तव में उत्तरदायी अफसरों को छुआ नहीं गया है; और

(घ) यदि हां, तो अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कायवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री ( डा० प० सुब्बरायन )** : (क) और (ख). अभी तक एक ही अफसर को, जो सीधे संबंधित था , जिम्मेदार ठहराया गया है । दूसरे अफसरों को उपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराने के प्रश्न की छानबीन की जा रही है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ?

**दिल्ली की डाक-तार बस्तियों मे बाल उद्यान**

†३५८३. **श्री बलराज मधोक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की डाक तार बस्तियों में बाल-उद्यान बनाने की किसी योजना पर विचार हो रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह संभवत: कब कार्यान्वित की जायगी ; और

(ग) उसके अन्तर्गत संभवत: कितना क्षेत्र होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन )** : (क) से (ग). दिल्ली और नई दिल्ली की छै डाकतार बस्तियों में बाल उद्यानों के लिये मंजूरी दी गयी है। ये सरोजनी नगर, अनुलग्रोव, ईस्टर्न-कोर्ट, जी-पाइंट , टेलीग्राफ स्क्वायर और करोलबाग में होंगे । यह काम संभवत: इस साल शुरू किया जायेगा ।

## रामावरम् में नया स्टेशन

†३५८४. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्राचलम् रोड और कोलियरी साइडिंग के बीच रामावरम् में एक रेलवे स्टेशन बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रेलवे बोर्ड से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री ( श्री सें० वें० रामस्वामी )** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## खम्मम् जिले में सड़क पुल का पुर्ननिर्माण

†३५८५. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्मम् जिले में कोथागुडम् / रामावरम् सड़क पर येडुलवगू पर सड़क पुरल के पुर्ननिर्माण के संबंध में आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर )** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## पत्थर और मिट्टी की कटाई की दरें

३५८६. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के राबर्ट्स गंज और गढ़वा रोड स्टेशनों के बीच रनिंग सेक्शन में पत्थर और मिट्टी की कटाई की दरों में क्या अन्तर है ?

**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : प्रश्न कुछ अस्पष्ट सा है। फिर भी एक विवरण साथ नत्थी है जिस में गढ़वा रोड-राबर्ट्स गंज निर्माण कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की मिट्टी (जिस में चट्टान भी शामिल हैं ) के काम की दरें बतायी गयी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

**विवरण**

| क्रम संख्या | काम का विवरण | इकाई | दर |
|---|---|---|---|
| | | रु० न० पै० | रु० न० पै० |
| १. | औसत मिट्टी . | %घन फुट | ३०.६ से ५२. ६ तक |
| २. | पथरीली मिट्टी जो सिर्फ फावड़े और छड़ से खोदी जा सके। | %घन फुट | ४६·६ से ८६·२५ तक |
| ३. | नर्म चट्टान, जिसे तोड़ने के लिए विस्फोट न करना पड़े और जो सिर्फ फावड़े और छड़ से हटायी जा सके। | %घन फुट | ६३.१ से १६१.०० तक |
| ४. | चट्टान जिसे तोड़ने के लिए हल्का विस्फोट करना पड़े । | %घन फुट | १५६.६ से २७६.०० तक |
| ५. | मज़बूत चट्टान जिसे तोड़ने के लिए व्यापक रूप से विस्फोट करना पड़े । | %घन फुट | २६६.०० से ४६०.०० तक |

**नोट :**—(ये दरें १००' लीड और ५' लिफ्ट की हैं)।

**राबर्ट्सगंज-गढ़वा रोड परियोजना में अनियमितताएं**

३५८७. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके पास बरेली के श्री प्राणनाथ बाटला से उत्तर रेलवे की राबर्ट्सगंज गढ़वा परियोजना में अनियमितताओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां तो उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन अनियमितताओं में कितनी रकम फंसी हुई है ?

**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं, लेकिन रेल मंत्री के नाम श्री बाटला के पत्र की एक प्रतिलिपि इस प्रायोजना के मुख्य इंजीनियर को मिली थी।

(ख) आरोप गलत पाये गये ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

**बेचूपुर स्टेशन (उत्तर रेलवे) से माल भेजने पर प्रतिबन्ध**

३५८८. **श्री राम सेवक यादव :**
**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६ जून, १६६१ या उस के बाद बेचूपुर स्टेशन (उत्तर रेलवे) से दक्षिण रेलवे के स्टेशनों को माल भेजने पर कोई प्रतिबन्ध था ;

(ख) यदि हां तो क्या १९ जून, १९६१ को बेचूपुर स्टेशन से उत्तर तथा दक्षिण रेलवे के कुछ स्टेशनों को माल भेजने के लिये वगन दिये गये थे ;

(ग) यदि हां तो इस के क्या कारण थे ; और

(घ) क्या ऐसा करने में पूव निश्चित प्राथमिकता का पालन नहीं किया गया ?

**रेलवे उपमंत्री ( श्री सें० वें० रामस्वामी ) :** (क) जी हां ।

(ख) १९-६-१९६१ को बेचूपुर से माल भेजने के लिये कोई माल-डिब्बा नहीं दिया गया ।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता :

**रेलवे कर्मचारी**

†३५८९. **श्री कर्गी सिंहजी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि भूतपूर्व जोधपुर और बीकानेर राज्य रेलवे के कर्मचारियों के मामले में किराया माफ क्वार्टरों या उसके बदले में मकान किराया भत्ते के विशेषाधिकार के बारे में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई० ३५१-ए एल ८/१ दिनांक २९-४-१९५२ को लागू करने में भेदभाव बरता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पीड़ित कर्मचारियों की वैध शिकायतें दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां ) :**(क) भूतपूर्व राज्य रेलवे कर्मचारियों को सम्बन्धित उन भूतपूर्व राज्य रेलों द्वारा, जहां से सम्बन्धित कर्मचारियों को लिया गया है, बनाये गये नियमों को ध्यान में रखते हुये बोर्ड के पत्र संख्या ई (एस) ५१-ए एल ८/१ दिनांक २९-४-५२ में दिये गये आदेशों के अनुसार किराया माफ क्वार्टरों या उसके बदले में मकान किराये भत्ते का लाभ दिया जा रहा है । इसलिये भेदभाव का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । जिनके मामले इन आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते और जहां रियायत गलती से दी गई है; उन मामलों में किराया वसूल किया जायगा ।

(ख) कर्मचारियों की कुछ विवादास्पद श्रेणियों के मामलों की छानबीन हो रही है ।

**खड़गपुर रेलवे बस्ती में पानी की कमी**

†३५९०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खडगपुर रेलवे बस्ती में पानी की भारी कमी अब दूर हो गई है ;

(ख) वर्ष के आरंभ में और जून, १९६१ में कुल कितना पानी सप्लाई किया गया और कुल आवश्यकता कितनी थी ;

(ग) क्या यह सच है कि पानी सप्लाई बढ़ाने की लक्ष्य तिथि जून, १९६१ थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) वर्षा ऋतु में भी पानी की भारी कमी को देखते हुये इस मामले में कितने जल्दी शीघ्रता की जायगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) वर्तमान सप्लाई का समान वितरण सुनिश्चित किया गया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि खासकर पिछली गर्मी में पानी की कमी की कोई शिकायत नहीं रही ।

(ख) वर्ष के आरम्भ में ५८ लाख गैलन प्रति दिन और जून, १९६१ में ५३.६ लाख गैलन प्रतिदिन। गर्मी में पानी की निकासी में कमी के कारण पानी की कमी हुई थी। फिर भी यह कमी किसी अन्य क्षेत्र से ४ लाख गैलन पानी लेकर दूर कर दी गई है। लोको तथा घरेलू उपयोग के लिये करीब ६० लाख गैलन की कुल आवश्यकता है ।

(ग) आशा थी कि चालू काम जून, १९६१ तक पूरा हो जाता लेकिन शीर्ष टैंक न मिलने के कारण वह काम उस समय तक पूरा न हो सका । फिर भी आशा है कि इस साल के आखिर तक वह पूरा हो जायगा ।

(घ) खड़गपुर बहुत बड़ी बस्ती है और पानी सप्लाई की व्यवस्था में सुधार कई दौरों में किया जा रहा है । आशा है कि इस समय चालू काम तथा १९६२–६३ में किये जाने वाले काम पूरे हो जाने पर पानी की कमी न रहेगी ।

**आकस्मिक श्रमिकों के लिये केन्द्रीय व्यवस्था**

†**३५९१. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकस्मिक श्रमिकों के लिये ठेके की प्रणाली खड़गपुर के स्टोर्स विभाग में पुनः जारी की जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि पिछला ठेकेदार श्री बल्लभदास अग्रवाल अपने कर्मचारियों को पूरा पूरा भुगतान किये बगैर ही छोड़ कर चला गया ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ठेकेदार ही मजदूरों को रखता है और खुद ही उन्हें भुगतान करता है। कई बार पहले यह खबर मिली थी कि वह ठेकेदार मजदूरों को नियमित रूप से भुगतान नहीं कर रहा है। पूछताछ करने पर ठेकेदार ने यह शिकायत की कि मजदूर उचित परिणाम नहीं दिखा रहे हैं। प्रशासन इस बात के लिये अपने प्रभाव का उपयोग कर रहा था कि ठेकेदार मजदूरों को नियमित भुगतान कर दें। इस फर्म के साथ ठेका १–१–१९६१ से समाप्त हो गया है । इस संदर्भ में यह भी बताया जा सकता है कि ठेके में ऐसे कोई बात नहीं होती कि प्रशासन ठेकेदार को अपने मजदूरों को नियमित रूप से मजूरी भुगतान के लिये बाध्य कर सके। फिर भी रेलवे प्रशासत्रों को हिदायत दी गई है कि स्टोर डिपो के लिये भविष्य में ठेकों में "उचित मजूरी खंड" रखा जाये ।

(ग) सामान्यतया स्टोर डिपो में रेलवे ठेके के मजदूर नहीं रखती लेकिन स्क्रैप यार्डस् आदि में सामान उठाने धरने के लिये, आवश्यकता समझी जाने पर, ठेके के मजदूर लगाये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**पश्चिम रेलवे वर्कशाप में रेल कर्मचारियों को छुट्टी मंजूर करने से इन्कार**

†३५९२. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :**
**श्री माने :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे महालक्ष्मी माल डिब्बा मरम्मत कारखाने के कर्मचारियों ने रेल अधिकारियों से यह प्रार्थना की थी कि स्वर्गीय चार्जमैन श्री नायडू, जिसकी मृत्यु २१ मई, १९६० को हुई थी, के परिवार के साथ समवेदना व्यक्त करने के लिए उन्हें २३ मई, १९६० की छुट्टी मंजूर की जाय ;

(ख) क्या यह सच है कि ५० प्रतिशत कर्मचारियों की छुट्टी मंजूर की गयी थी ;

(ग) क्या यह सच है कि जो कर्मचारी कारखाने से बाहर थे उन्हें अनुपस्थित लिखा गया और उनकी नौकरी तुरन्त खत्म कर दी गयी ;

(घ) क्या यह सच है कि करीब ८०० कर्मचारी नौकरी से अलग कर दिये गये थे जिनमें से कई ने १५ साल से अधिक नौकरी की है और इस प्रकार उनका प्राविडेन्ट फंन्ड, ग्रैचुइटी आदि सब समाप्त हो गया ;

(ङ) क्या उन्होंने रेलवे बोर्ड के पास कोई अपील पेश की है ; और

(च) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जो लोग बिना इजाजत के कारखाने से बाहर गये उन्हें अनुपस्थित लिखा गया लेकिन उनकी नौकरियां खत्म नहीं की गयीं ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**पश्चिम रेलवे में आकस्मिक मजदूर**

†३५९३. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :**
**श्री माने :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे महालक्ष्मी स्टोर्स में आकस्मिक श्रमिकों के तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों को जो पांच साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं, स्थायी नहीं बनाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलवे विभागों में काम करने वाले इसी वर्ग के श्रमिक पांच वर्ष के भीतर स्थायी बना दिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो महालक्ष्मी स्टोर्स में काम करने वाले आकस्मिक श्रमिकों को स्थायी न बनाने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). आकस्मिक श्रमिक अस्थायी रेलवे कर्मचारियों की तरह स्थायी बनने के अधिकारी नहीं होते । परियोजनाओं को छोड़कर अन्यथा छः महीने की निरन्तर सेवा पूरी करने के बाद वे नियमित नौकरी के लिए चुने जाने के अधिकारी बनते हैं । एक बार उनका चुनाव हो जाने पर तथा नियमित पदालि में ले लिये जाने पर उन्हें अपनी बारी से स्थायी बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाता है ।

## लाइसेंस शुदा भारिक

†३५९४. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :**
**श्री माने :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलव के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर लाइसेंस शुदा भारिकों से लाइसेंस की फीस अलग अलग ली जाती है जैसे बंबई वी० टी० और दादर में ६.५० रुपये, कल्याण में ६·२५ रुपये, पूना में ५·५० रुपये, दिल्ली में २ रुपये और नागपुर में २·५० रुपये माहवार;

(ख) क्या यह सच है कि सभी रेलवे स्टेशनों पर फी बोझ मजदूरी एक जैसी ही है ; और

(ग) यदि हां, तो लाइसेंस फीस लेने में इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) साधारणतया लाइसेंस फीस इसलिए होती है कि लाइसेंसशुदा भारिकों के काम के लिए खास तौर से रखे गये कर्मचारियों तथा रेलवे द्वारा दी गयी वर्दियों का खर्च निकाला जा सके । दिल्ली, पूना और नागपुर को छोड़कर जहां लाइसेंस फीस क्रमशः ४ रुपये ५·३१ रुपये प्रति माह और १२ नये पैसे प्रतिदिन है, दूसरे स्टेशनों के संबंध में ऊपर बतायी गयी फीस ठीक है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कृपया भाग (क) का उत्तर देखिये ।

## दिल्ली दुग्ध योजना

†३५९६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब दिल्ली दुग्ध योजना आरम्भ की गई तो कितनी बोतलें खरीदी गई थीं ;

(ख) इस समय दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा कितनी बोतलें प्रयोग में लाई जा रही हैं ;

(ग) इन बोतलों पर कुल कितनी लागत आई है ;

(घ) जब से यह योजना आरम्भ हुई है तब से कुल कितनी बोतलें रखी गईं अथवा टूट गई और उनका कुल मूल्य क्या है ;

(घ) बोतलें टूटने और खोने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उप मंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## जहाज़ों की खरीद

†३५९७. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने एक भारतीय नौवहन कम्पनी को अगले दो वर्ष में १६ जहाज़ खरीदने की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो :

(एक) उस कम्पनी का क्या नाम है ;

(दो) जहाज़ों का कुल टन-भार क्या है ;

(तीन) किस प्रकार के जहाज़ों के लिये स्वीकृति दी गई है ;

(चार) इन जहाज़ों को खरीदने पर लगभग कुल कितनी लागत आयेगी ;

(पांच) यदि कम्पनी को कोई आर्थिक सहायता दी जा रही है तो वह कितनी है और, भारत सरकार जहाज़ खरीदने के लिये कम्पनी को कितना ऋण देगी ;

(ग) क्या किसी अन्य नौवहन कम्पनी को भी जहाज़ खरीदने की स्वीकृति दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) और (ख). जयन्ती शिपिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ने, जो इस वर्ष के शुरू में स्थापित की गई थी, लगभग १३ जहाज़ जिनका कुल पंजीबद्ध टनभार १८५,००० होगा और कुल मूल्य लगभग २२·५ करोड़ रुपये होगा भारत के विदेशी व्यापार में प्रयोग के लिये खरीदने की अनुमति सरकार से मांगी है । कम्पनी ने नौवहन विकास निधि समिति से लगभग, २० करोड़ रुपये का ऋण भी मांगा है । मामला विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त जयन्ती शिपिंग कम्पनी ने अपने साधनों द्वारा लगभग २०,००० कुल पंजीबद्ध टनभार का एक जहाज़ खरीद लिया है ।

(ग) और (घ). तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग ३७५,००० कुल पंजीबद्ध टन भार की वृद्धि होगी जिस पर ५५ करोड़ रुपये खर्च होंगे । उपरोक्त लक्ष्य को पूरा करने लिये सरकार अन्य शिपिंग कम्पनियों द्वारा अपने जहाज़ बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्थापनाओं की प्रतीक्षा कर रही है । जयन्ती शिपिंग कम्पनी के अतिरिक्त अन्य चार भारतीय शिपिंग कम्पनियों को चार जहाज़ जिनका कुल पंजीबद्ध टनभार १३,५०० और कुल मूल्य ५९ लाख रुपये है स्थगित भुगतान के आधार पर खरीदने की अनुमति दी है ।

## पूना की बाढ़ में डाक घरों को हुई क्षति

†३५९९. **श्री गु० के० जेधे :**
**श्री पांगरकर :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही की बाढ़ में पूना और आसपास के गांवों में कितने डाक घरों को क्षति पहुंची ; और

(ख) उन डाक-घरों में कितने सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्ति मरे हुए पाये गये ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) कोई नहीं। पांच डाक घरों के काम में रुकावट पड़ी क्योंकि सड़कों पर से मलबा और कंचड़ हटाना पड़ा।

(ख) किसी डाक घर में कोई कर्मचारी मरा हुआ नहीं मिला। दक्षिण जिमखाना डाक घर से एक बाहर के व्यक्ति की लाश मिली थी जो कि मोची का काम करता था और डाक घर की अंशकालिक मेहतरानी का पति था।

## चीनी के कारखाने

†३६००. **श्री गु० के० जेधे :**
**श्री पांगरकर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चीनी के कारखानों की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ख) उनमें से कितने राज्यवार, सहकारिता के आधार पर चलाये जा रहे हैं ; और

(ग) १९६१–६२ में कितने लगाये जा चुके हैं अथवा लगाने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (ग). १९५५–५६ के पश्चात् अब तक ३६ नये कारखाने लगाये गये हैं। संलग्न विवरण में इन का और १९६१–६२ में खोले जाने वाले नये कारखानों का राज्यवार ब्योरा दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ६७]**।

## रेलवे के सेवा निवृत कर्मचारियों की पेंशनें

†३६०१. **श्री संगामगि :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारी संघ ने १ जून, १९६१ को सेवा निवृत रेलवे कर्मचारियों के पैन्शन सम्बन्धी लाभ के बारे में एक ज्ञापन भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो पैंशनों के भुगतान सम्बन्धी सूत्र के बारे में सरकार का क्या उत्तर है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ सेवा निवृत कर्मचारी इस बात के लिये तैयार हैं कि सेवा निवृत्ति के समय मिली राशि वे लौटा देंगे परन्तु शर्त यह है कि उन्हें पहले की तिथि से पैन्शन लाभ दे दिया जाये ; और

(घ) इस विषय में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री वें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी हां, उसमें यह प्रार्थना की गई है कि केवल उन्हीं कर्मचारियों को नहीं जो १-४-१९५७ को सेवा में थे बल्कि उनको भी पैन्शन के लाभ दिये जाने चाहियें जो १९४७ और १९५७ के बीच सेवा निवृत हुए।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी हां, ज्ञापन के साथ संघ के सभापति द्वारा भेजे गये पत्र से यही पता चलता है परन्तु प्रश्न यह है कि क्या सभी इसके लिये तैयार हैं।

(घ) प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर देखिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

किसी सूत्र को स्वीकार करने अथवा न करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि यह माना हुआ सिद्धान्त है कि सरकार द्वारा निर्णय करने की तिथि से पूर्व की किसी तिथि से पैन्शन सम्बन्धी लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस विषय में निर्णय १८-१२-१९५६ को लोक सभा में रेलवे मंत्री द्वारा कही गई बातों के पश्चात् किया गया था न कि १९४७ के वेतन आयोग की सिफारिशों के पश्चात् और इस निणय को अगले वित्तीय वर्ष (अर्थात् १-४-१९५७ से) उस समय काम कर रहे कर्मचारियों के लिये और १६-११-१९५७ से नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर लागू किया गया क्योंकि सरकारी निर्णय १६-११-१९५७ को ही हुआ था। रेलवे के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि योजना के बदले में—दिये गये पैन्शन सम्बन्धी लाभ कुछ विभागों के गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को १-४-१९५५ से और औद्योगिक कर्मचारियों को १८-११-१९६० से दिये गये।

**मदुरै में रेलवे डाक सेवा विभाग**

†३६०२. **श्री तंगामणि :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास परिमण्डल में मदुरै स्थित रेलवे डाक सेवा विभाग का प्रधान कार्यालय, जिसे टी–९ और टी–१७ कहा जाता है, त्रिचनापल्ली ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कार्यालय हटाकर अन्यत्र ले जाने से मदुरै पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन ):** (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यहां यह बता दिया जाये कि टी–१७ विभाग (अब ई के–१७) विभाग का प्रधान कार्यालय त्रिवेन्द्रम में है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

**माल गाड़ी की दुर्घटना**

†३६०३. **श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालनपुर–कान्डला लाइन पर एक मालगाड़ी अगस्त, १९६१ के दूसरे सप्ताह में पालनपुर से तीन मील की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). १२–८–६१ को ५०७-ए अप मालगाड़ी पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन के पालनपुर–गांधीधाम सेक्शन की मीटर गेज लाइन पर पालनपुर और चन्दीसर स्टेशनों के बीच चल रही थी तो उसके १८ डिब्बे, जो चीनी से लदे हुए थे, पटरी से उतर गये और उलट गये।

किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई। दुर्घटना के परिणामस्वरूप रेलवे का लगभग १६,५०० रुपये का नुक्सान हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

**बिकानेर और रिवाड़ी के बीच अतिरिक्त एक्सप्रेस**

†३६०४. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर मेल में होनेवाली अत्यधिक भीड़ भाड़ के कारण बीकानेर और रिवाड़ी के बीच जल्दी ही एक और एक्सप्रैस चलाई जाने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों की असुविधा दूर करने के लिये बीकानेर से दिल्ली और दिल्ली से बीकानेर के लिय तीसरे दर्जे के डिब्बे लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**रेलवे उप मंत्री ( श्री शाहनवाज़ खां ) :** (क) जी, नहीं क्योंकि भीड़भाड़ इतनी अधिक नहीं है कि एक और एक्सप्रेस चलाई जाय ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**कावेरी को दक्षिण पेन्नार नदी से मिलाना**

†३६०५. **श्री नरसिंहन् :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कावेरी नदी की हाल की बाढ़ को देखते हुए उसे दक्षिण पेन्नार नदी से मिलाने की पुरानी योजना पर विचार करेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** मद्रास सरकार ने, जो अपने राज्य के लिये सिंचाई, विद्युत और बाढ़ नियंत्रण योजनायें बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी कोई योजना भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं की है। किन्तु माननीय सदस्य ने इस संबंध में जो सुझाव दिया है उसे मद्रास सरकार को उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है ।

**रेलवे म राज्य सरकारों के राशनिंग और असैनिक संभरण विभाग के भूतपूर्व कर्मचारी**

†३६०६. **श्री बलराज मधोक :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के विभागों में राज्य सरकारों के राशनिंग और असैनिक संभरण विभागों के जो भूतपूर्व कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं उन्हें उन वेतनक्रमों की वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है जिनमें वे नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य मंत्रालयों में नियुक्त किये गये ऐसे कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का लाभ मिल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे विभाग में नियुक्त किये गये ऐसे कर्मचारियों को भी यह लाभ उपलब्ध किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री ( श्री शाहनवाज़ खां ) :** (क) विभिन्न राज्य सरकारों के असैनिक संभरण तथा खाद्य विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों को रेलवे में नियुक्त होने पर वेतन निर्धारण के मामले में अपनी पुरानी सेवा के आधार पर सुविधायें प्रदान नहीं की गयी हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इन कर्मचारियों को भी इस प्रकार की सुविधायें देने का इरादा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

**दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डाक्टर**

†३६०७. **श्री शि० ला० सक्सेना** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों अर्थात् अर्विन, सफदरजंग और विलिंगडन में काम करने वाले डाक्टरों को साप्ताहिक अवकाश नियमित रूप से नहीं दिया जाता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें राजपत्रित और राष्ट्रीय छुट्टियां भी नहीं दी जातीं ;

(ग) उन्हें साप्ताहिक अवकाश तथा राजपत्रित और राष्ट्रीय छुट्टियां देने या उनके बदले नैमित्तिक छुट्टियां जमा करने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ; और

(घ) क्या यह सच है कि उपरोक्त अस्पतालों में से कुछ अस्पतालों में मैडिकल अफसरों को न तो रविवार की छुट्टी दी जाती है और न राजपत्रित तथा राष्ट्र छट्टियां ही दी जाती हैं वरन् उन्हें साल भर में हर छः या सात सप्ताह के बाद एक दिन का अवकाश देकर साल भर में केवल आठ दिनों का अवकाश दिया जाता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : एक विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६८]**

**केंद्रीय सरकार की सेवाओं में डाक्टर**

†३६०८. **श्री शि० ला० सक्सेना** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में काम कर रहे डाक्टरों को वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप जो लाभ दिये जाने चाहियें थे वे अब तक नहीं दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**महाराष्ट्र में चक्रवात के कारण जहाजों को क्षति**

†३६०९. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जन और जुलाई १९६१ में महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के दक्षिण किनारे पर भीषण चक्रवात आया था ;

(ख) क्या यह सच है कि चक्रवात के फलस्वरूप उस किनारे पर कई जहाज़ डूब गये और उन्हें क्षति उठानी पड़ी ;

(ग) यदि हां तो कितने जहाज डूब गये और कितनों को क्षति उठानी पड़ी और हताहतों की संख्या कितनी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) उपलब्ध जानकारी से पता चला है कि जून या जुलाई के महीने में कोई चक्रवात नहीं आया किन्तु गत मई में एक चक्रवात आया था जिससे कोंकण किनारे पर स्थित मालवण और रत्नागिरि पत्तन प्रभावित हुए ।

(ख) जी, हां । पालवाले जहाज़ ।

(ग) १३ पालवाले जहाज़ बिलकुल नष्ट हो गये, ११ जहाजों को कुछ क्षति उठानी पड़ी और नाविक मर गये ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) अब तक केवल १४ मालिकों ने सहायता के लिये प्रार्थना की है। सहायता की राशि २,६०,००० रुपये है ।

**नबी नगर स्टेशन पर प्लैटफार्म**

†३६१०. **श्री रमेश प्रसाद सिंह** : क्या **रेलवे** मत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे की बड़ी लाइन पर स्थित नबी नगर रोड स्टेशन पर एक रेलवे प्लैटफार्म बनाने का कोई प्रस्तांव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि वहां प्लैटफार्म न होने के कारण हाल के वर्षों में कई दुर्घटनायें हुई हैं ; और

(ग) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो प्लेटफार्म का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं । पटरी की सतह तक का एक प्लैटफार्म वहां पहले ही है ।

(ख) दुर्घटनाओं की सूचना वहीं प्राप्त हुई ।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए उत्पन्न नहीं होता ।

**दिल्ली के यमुना पुल पर यातायात**

†३६११. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोशनी और टेलीफोन की व्यवस्था बंद हो जाने के कारण यमुना पुल पर यातायात की हालत इस मौसम में बहुत खराब हो गयी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि मोटरगाड़ियों के आने जाने की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गये हैं जिनकी वजह से मोटर गाड़ियों को गुजरने में बड़ी असुविधा होती है ;

(ग) क्या इस पुल पर यातायात की हालत सुधारने के लिये कोई कार्यवाही अभी हाल में की गयी है और यदि हां, तो क्या किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस पुल पर से रोजाना गुजरने वाला यातायात किस प्रकार का है इस बारे में क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ;

(च) क्या पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के उपयोग के लिए पुल के दोनों ओर सेन्टीलीवर वाले रास्ते (पासेज) बनाने की कोई योजना तैयार की गयी है ; और

(छ) यदि हां, तो वह विचार किस दशा में है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) पुल पर रोशनी और टेलीफोन की व्यवस्था रेलवे प्रशासन के हाथ में नहीं है।

(ख) और (ग). अगस्त में निरन्तर और अप्रत्याशित वर्षा के कारण सड़क की सतह खराब हो गयी और उसमें गड्ढे बन गये हैं। सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया जा चुका है और उसकी वजह से कुछ हद तक सतह ठीक हो गयी है।

(घ) जी नहीं। इसका सम्बन्ध सड़क प्राधिकार से है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) और (छ). रेलवे पुल के दोनों तरफ पैदल रास्ते (फुटपाथ) बनाने का प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम ने रखा था लेकिन प्राविधिक दृष्टि से यह पता लगा कि केवल डाउन लाइन गर्डर्स पर ही फुटपाथ बनाना उचित होगा। दिल्ली नगर निगम ने जिसे यह कहा गया था कि योजनायें और अनुमान तैयार करने के लिए आवश्यक खर्च जमा कर दें रेलवे प्रशासन को सूचित किया है कि अभी इस मामले में वह छानबीन कर रहा है।

## मुअत्तल डाक-तार कर्मचारी

†३६१२. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री प्रभात कार :**

क्या **परिवहन तथा संचार** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पश्चिम डिविजन के डिविजनल इंजीनियर टेलीग्राफ के ऑफिस में एक लिपिक (क्लर्क) पिछले १० साल से मुअत्तल है;

(ख) यदि हां, तो इस गैर-मामूली मुअत्तली का क्या कारण है;

(ग) इस लिपिक पर क्या आरोप हैं;

(घ) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा अन्य अपीलीय प्राधिकार ने अनुशासनात्मक कार्यवाही को एक बार अनियमित और दोषपूर्ण घोषित कर दिया था; और

(ङ) इस मामले का फैसला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां।

(ख) इतनी लम्बी मुअत्तली का कारण यह है कि यह मामला बहुत पेचीदा है और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने वाले अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध दो बार विभागीय अपीलीय अधिकारियों के पास अपील की गयी और न्यायालय में भी उसके खिलाफ अपील की गयी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) आरोप सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के उल्लंघन तथा अनुशासन भंग करने के सम्बन्ध में हैं ।

(घ) जी हां।

(ङ) नये सिरे से जांच पूरी हो चुकी है। आगे कार्यवाही जारी है।

**राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के लिए दावा**

†३६१३. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८-९-१९४७ का १,००० रुपये के हावड़ा डाकखाना राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र संख्या ई० २७६७२२ के सम्बन्ध में श्रीमती पौकाजीही मन्ना का (अपने नाबालिग बीरेन्द्र नाथ मन्ना की ओर से उसके प्राकृतिक अभिभावक के तौर पर) दावे का अभी तक निबटारा नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस दावे का फैसला करने में इतने विलम्ब का क्या कारण है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी हां।

(ख) मूल प्रमाणपत्र किसी फौजदारी के मामले के सम्बन्ध में अदालत के पास था। चूंकि यह मामला इस बीच तय हो चुका है, इसलिए भुगतान के लिए अदालत से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की गयी है ।

**औरंगाबाद स्टेशन पर टिकटघर**

†३६१४. **श्री रमेश प्रसाद सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला गया (बिहार) में औरंगाबाद स्टेशन पर यात्रियों को टिकट देने और माल तथा रेलवे पार्सल भेजने के लिए एक टिकटघर खोलने का निश्चय सरकार ने किया है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). यात्रियों को तथा माल-असबाब पार्सल और सामान भेजने के लिए टिकट जारी किये जाने के लिए अनुग्रहनारायण रोड स्टेशन होते हुए औरंगाबाद शहर में एक आउट एजेन्सी खोलने का निश्चय किया गया है और इस आउट एजेन्सी का काम बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम को सौंप देने का विचार है।

**सोन बांध योजना**

†३६१५. **श्री रमेश प्रसाद सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में प्रस्तावित सोन बांध के ठीक पास सोन नदी के पूरब की ओर ऊंची सतह वाली नहर बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है;

(ख) प्रस्तावित बांध और प्रस्तावित नहर के लिए जगह बहाव के ऊपर की ओर केवल एक मील की दूरी पर तय करने की योजना की छानबीन किसी इंजीनियरिंग विशेषज्ञ ने की है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) केन्द्रीय पानी-बिजली आयोग ऊंची सतह वाली नहर परियोजना की अभी छानबीन कर रहा है और ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वह काम शुरू किया जा चुका है ।

(ख) भारत सरकार को ऐसी किसी योजना के बारे में जानकारी नहीं है । परियोजना कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**औद्योगिक बिजली के लिए आवेदन-पत्र**

†**३६१६. श्री बलराज मधोक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक बिजली के लिए कितने आवेदन पत्र वर्ष १९५७–५८ में पंजीकृत किये गये थे और कितने आवेदन पत्र दिल्ली प्रशासन के पास विचाराधीन पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) दिल्ली में छोटे उद्योगों के लिए बिजली देने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) छोटे उद्योगों के लिए बिजली के लिए वर्ष १९५७–५८ में दिल्ली प्रशासन को प्राप्त आवेदनपत्रों की वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी उस प्रशासन के पास तुरन्त उपलब्ध नहीं है । उस वर्ष ५ अश्वशक्ति (हार्सपावर) के ३,२४६ छोटे औद्योगिक बिजली बोझ (पावर लोड्स) और ५ अश्वशक्ति के ऊपर १,४९३ औद्योगिक बिजली बोझ (पावर लोड्स) मंजूर किये गये थे । १९५७–५८ के लिए कोई आवेदनपत्र विचाराधीन नहीं है ।

(ख) बिजली देने के मामले में मंझले और बड़े उद्योगों की तुलना में छोटे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है ।

**दिल्ली में स्कूटर-रिक्शा**

†**३६१७. श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अधिकतर स्कूटर रिक्शा बिना किसी मीटर के चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस विषय में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि ये स्कूटर रिक्शा चालक मीटर न रहने के कारण जनता से बहुत ऊंची दर पर किराया लेते हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इन स्कूटरों के लिए एक नया मीटर तैयार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी हुई है।

**विवरण**

(क) बताया जाता है कि दिल्ली में कुछ स्कूटर रिक्शा के मिलोमीटर ठीक न होते हुए भी वे चलते हैं ।

(ख) कुछ मामलों में मिलोमीटरों के पुर्जे खराब हो जाने के कारण वे खराब हो जाते हैं और कुछ मामलों में चालक (ड्राइवर) जानबूझ कर उन्हें खराब कर देते हैं ताकि वे मनमाना किराया ले सकें ।

दिल्ली के सड़क परिवहन प्राधिकार ने दिल्ली मोटर गाड़ी नियमों के अधीन दो स्थान वाले ऑटो रिक्शा के परमिट के लिए एक शर्त रखी है । इन नियमों के अधीन परमिट लेने वालों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे मिलोमीटर लगायें या किराया मीटर चालू हालत में रखें। इस शर्त का पालन न करने की दशा में मोटर गाड़ी के मालिक पर अभियोग चलाया जा सकता है । पुलिस भी इस पर निगरानी रखती है कि स्कूटर रिक्शा ड्राइवर अधिक किराया न लें, बुरा बर्ताव न करें इत्यादि । जब कभी ज्यादा किराया लेने की शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य परिवहन प्राधिकार गाड़ी के मालिक के खिलाफ कार्यवाही करता है और स्कूटर रिक्शा के ड्राइवर का अधिकारपत्र ले लेता है और गाड़ी का परमिट रद्द कर देता है।

(ग) कुछ मामलों में यह बताया गया है कि स्कूटर रिक्शा चालकों ने स्वीकृत दर पर वास्तविक दूरी की यात्रा के अनुसार उचित से अधिक किराया लिया है।

(घ) और (ङ). दिल्ली परिवहन प्राधिकार ने टैक्सियों में लगाये गये मीटरों की तरह स्कूटर रिक्शा में भी किराये के मीटर लगाने की योजना पर विचार किया है लेकिन यह मालूम हुआ कि किराये के ऐसे मीटर बहुत खर्चीले होंगे और वे भारत में उपलब्ध नहीं होंगे । फिर भी बम्बई की एक फर्म ने जुलाई १९६१ में ऑटो रिक्शा के लिए किराये का एक मीटर तैयार किया था और राज्य परिवहन प्राधिकार ने मीटर सप्लाई करने वाले दूसरे व्यापारियों से यह पूछताछ करने का निश्चय किया कि क्या वे ऑटो रिक्शा के लिए किराये के मीटर सप्लाई कर सकेंगे और यदि हां, तो वे अपनी मीटरों की जांच बम्बई के विक्टोरिया जुबिली टेक्निकल इंस्टीट्यूट से करवा लें। उनसे जवाब मिल जाने के बाद राज्य परिवहन प्राधिकार इस प्रश्न पर विचार करेगा कि ऑटो रिक्शा में किराये के मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया या नहीं। यह आवश्यक है कि प्राधिकार का इस बात का विश्वास हो जाये कि भेदभाव मिटाने के लिए सभी ऑटो रिक्शा में लगाने के लिए किराये के सस्ते मीटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जायेंगे।

**गढ़मुक्तेश्वर में पुल**

३६१८. **श्री रामशरण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का पुल कब तक यातायात के लिये खोल दिया जायेगा ;

(ख) क्या पुल और उसके दोनों ओर सड़कों का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**परिवहन तथा संचार मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) यह पुल पहले से ही प्रति दिन कुछ निश्चित घंटों के यातायात के लिए खोल रखा है लेकिन यह कार्य उस योजना का एक भाग है जिसके अन्तर्गत गाड़ियों के यातायात द्वारा पुल की जांच की जा सकेगी। इन परीक्षणों के पूरे होने पर पुल औपचारिक रूप से खोल दिया जायेगा।

(ख) और (ग). मुख्य पुल और इस पर मेरठ की ओर से आने वाली सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह मुरादाबाद की ओर से आने वाली सड़क और उस पर छोटे छोटे पुल भी सड़क फर्श से सम्बन्धित कुछ कामों (रोड सरफेसिंग) को छोड़ कर लगभग बन कर तैयार हो चुके हैं। पुल पर दोनों ओर से आने वाली सड़कों को चौड़ा करने की मंजूरी हाल ही में दी गयी है और इस पर काम हो रहा है।

**इटावा स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की गिरफ्तारी**

**३६१९-क. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ जुलाई, १९६१ को पुलिस ने इटावा रेलवे स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर श्री मन मोहन दयाल को स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में ले गई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुलिस उन्हें हथकड़ी लगाकर वहां ले गई ; और

(ग) उनकी गिरफ्तारी के क्या कारण थे ?

**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) श्री मन मोहन दयाल को रेलवे स्टेशन पर हथकड़ी लगायी गयी, लेकिन बाद में हथकड़ी खोल दी गयी और एक पुलिस कान्सटेबल की हिरासत में उन्हें अदालत में ले जाया गया।

(ग) सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में गवाही देने के लिए उनके नाम समन जारी हुआ था। अदालत में हाजिर न होने के कारण गैर जमानती वारंट पर उनको गिरफ्तार किया गया।

**दिल्ली की सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में उचित मूल्य की दूकानें**

†**३६१९-ख. श्री बलराज मधोक** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी बहुत समय से अपनी दिल्ली की बस्तियों में खाद्यान्नों के लिए उचित मूल्य की दुकानें खोलने की मांग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). दिल्ली की सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में खाद्यान्न की बिक्री के लिए उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए खाद्य विभाग को कोई औपचारिक प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। गेहूं की बिक्री के लिए दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में, कुछ सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों को सम्मिलित करके, उचित मूल्य की दूकानें पहले से ही चल रही हैं परन्तु इन उचित मूल्य की दूकानों में आयातित गेहूं की बिक्री बहुत कम है। प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में आटे की खुदरा दूकानें भी हैं जो मिल का आटा नियंत्रित खुदरा मूल्यों पर बेचती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में अन्न की उपलब्धता काफी सन्तोषजनक है क्योंकि दिल्ली पंजाब से मिला हुआ है जहां आवश्यकता से अधिक अन्न पैदा होता है। दिल्ली में गेहूं और चावल के भाव काफी उचित हैं और दिल्ली में उचित मूल्य की अधिक दूकानें खोलने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है।

**नई दिल्ली की सड़कों के चौराहों पर बिजली के सिगनल**

३६१९-ग. **श्री बलराज मधोक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की चौराहों पर की गई बिजली के सिगनल की व्यवस्था प्रायः खराब हो जाती है ; और

(ख) बिजली के सिगनल की व्यवस्था के खराब हो जाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). नई दिल्ली में सड़कों के चौराहों पर लगे बिजली के सिगनल बिजली फेल हो जाने या मशीन की खराबी के कारण कभी कभी बेकार हो जाते हैं। इन सिगनलों के काम न करने पर इनकी जल्दी से जांच कर इनको ठीक कर दिया जाता है। चौराहों पर जहां ऐसे सिगनल लगे हुए हैं वहां ट्रैफिक के सिपाही यातायात की आवश्यकता के अनुसार अधिकतम यातायात के समय या दिन भर के लिए अनिवार्यतः नियत रहते हैं। इन सिपाहियों को आदेश मिला हुआ है कि उन्हें इन सिगनलों के खराब होते ही यातायात नियंत्रित करने के लिए चौराहों के केन्द्र में आ जाना चाहिए और उन्हें वहां तब तक रहना चाहिए जब तक कि बिजली के सिगनल पुनः काम न करने लगें।

**हिमाचल प्रदेश का सिरमूर बैंक**

†३६१९-घ. **श्री शि० ना० रामौल :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सिरमूर बैंक, नाहन, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को उस बैंक के हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, ढाली में विलय तक के देय उपदान के प्रश्न का निर्णय हो गया है, उसका बैंक के संचालकों द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है और सम्बन्धित कर्मचारियों को भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब भुगतान किया गया या ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):** (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**अतुलग्रोव चमरियां, नई दिल्ली**

†३६१९-ङ. **श्री बलराज मधोक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की अतुलग्रोव चमरीयों में अलग-अलग पानी के मीटरों का संभरण अभी तक नहीं किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

Atulgrove chummeries

(ख) यदि हां, तो यह कब किए जाने की आशा है ;

(ग) क्या यह सच है कि एक कमरे की चेमेरी में रहने वाले कर्मचारी बहुत अधिक जल-शुल्क दे रहे हैं तथा उन्होंने अलग अलग मीटर के लिए याचिकायें पेश की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय नई दिल्ली नगरपालिका के पास मीटरों की कमी है । उनको इस सम्बन्ध में जोर दिया जा रहा है ।

(ग) अभी कई क्वार्टरों के बीच में एक मीटर है और उसमें जितनी खपत पानी की आती है उसे सब व्यक्तियों में बराबर बराबर विभाजित करके उसके आधार पर शुल्क वसूल किया जाता है । यह शुल्क अधिक नहीं है ।

(घ) मामले के सम्बन्ध में नई दिल्ली नगरपालिका से लिखा पढ़ी की जा रही है ।

---

## अतारांकित प्रश्न संख्या २२८२ के उत्तर में शुद्धि

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : श्री वें० प० नायर के दिनांक २७-३-१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२८२ के उत्तर में यह कहा गया था :

"(ख) खाद्य तथा कृषि संगठन उत्पादन वर्ष विवरणिका-१९५९ के अनुसार निम्न पदार्थों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि और खाद्य तत्व कैलोरियों में नीचे दिया जाता है :

| खाद्य पदार्थ | दैनिक प्रति व्यक्ति उपलब्धि (ग्रामों में) | कैलोरियों में खाद्य तत्व |
|---|---|---|
| (१) मांस (गोमांस, भैंस का मांस, बकरे का मांस और भेड़ का मांस) | ५.५ (१९५७-५८) | ६.८ |
| (२) मछली | ६.३ (१९५८) | ५.७ |
| (३) अण्डे | १.१ (१९५६) | १.९" |

उपरोक्त के स्थान में निम्नलिखित उत्तर रख दिया जाये :

"(ख) इन चीजों के सम्बन्ध में भारत के लिए प्रति व्यक्ति उपलब्धि और खाद्य तत्व (कैलोरियों में) निम्न प्रकार है :

| खाद्य पदार्थ | दैनिक प्रति व्यक्ति उपलब्धि (ग्रामों में) | खाद्य तत्व (कैलोरियों में) |
|---|---|---|
| १. मांस* | ५.५ (१९५७-५८) | ६.० |
| २. मछली | ६.३ (१९५८) | ४.० |
| ३. अंडे | ०.६ (१९५६) | १.० |

*खाद्य तथा कृषि संगठन उत्पादन वर्ष विवरणिका-१९५९।"

---

†मूल अंग्रेजी में

## स्थगन प्रस्ताव

### नजफगढ़ झील से पानी का बह निकलना

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बलराज मधोक ने निम्न स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

"कि नजफगढ़ झील और नाली संख्या ६ और ८ से पानी बह निकलने के कारण दिल्ली के कई गांव पानी में घिर गये हैं जिससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है और इससे पश्चिमी दिल्ली की नजफगढ़ रोड स्थित बस्तियों को भी खतरा हो गया है ।"

वहां स्थिति क्या है ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** :स्थिति यह है कि यह मामला निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अन्तर्गत आता है । प्रयत्न किये जा रहे हैं कि नजफगढ़ झील का कीचड़ हटाने का प्रबन्ध किया जा रहा है । इस कीचड़ के कारण ही रोहतक की तरफ से पानी का बहाव रुक गया है । उसे हटा देने से स्थिति सामान्य हो जायेगी । निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के सचिव और मुख्य इंजीनियर इस दिशा में संभव प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे इस क्षेत्र में रहने वाले लगभग ५ लाख लोगों का जीवन खतरे में है ।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : इस दिशा में अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री के वक्तव्य के बाद इस स्थगन प्रस्ताव की मैं अनुमति नहीं देता ।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### कलकत्ते के हवाई अड्डे पर डकोटा विमान की दुर्घटना

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं नियम ११६ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर ध्यान दिलाती हूं और प्रार्थना करती हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

"२६ अगस्त १९६१ को कलकत्ता हवाई अड्डे पर हुई डकोटा विमान की दुर्घटना ।"

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का डकोटा विमान वी टी–, जो कलकत्ता से गौहाटी माल ले जा रहा था २६ अगस्त १९६१ को कलकत्ते के हवाई अड्डे से उड़ान करते समय सवेरे ८ बज कर १३ मिनिट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया । इस विमान पर कोई यात्री सवार नहीं थे । विमान चलाने वाले तीन कर्मचारियों को गहरी चोटें आई हैं । वे लोग अस्पताल में हैं जहां उनकी हालत सुधरती जा रही है ।

विमान में ६,६०० पौंड भार था और कुल मिला कर उस का वजन २६,८६९ पौंड था । जितना वजन ले जाने की अनुमति है यह उसकी उच्चतम सीमा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[डा० प० सुब्बरायन]

ऐसा प्रतीत होता है कि जब विमान चला ही तो पहले अपने दायें को झुका। जब वह १०-१५ फीट ऊंचा गया तो गिर पड़ा और जमीन से टकरा गया।

इस का प्रभाव यह हुआ कि दोनों इंजन बहुत बुरी तरह टूट गये और आग लग गई। इंजिन और विमान दोनों जल गये। इंजिन और 'प्रोपैलर' विमान से अलग हो गये। आग बुझाने वाले लोग भी तुरन्त पहुंचे परन्तु "काक पिट" वाला भाग पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। आग लग जाने से कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची है।

विमान के नष्ट हो जाने के कारण डम डम जाने वाली हवाई सर्विस में कुछ रुकावट हुई। इधर को आ रहे विमानों को बैरकपुर हवाई अड्डे पर उतार दिया गया। बाहर से आने वाले लोगों को अन्य हवाई पत्तनों पर उतारा गया। सारा सामान १२ ' ३५ पर उठा लिया गया था और दिन के २-२० पर यह सर्विस पुनः चालू हो गई अर्थात् दुर्घटना के ठीक छः घंटों के पश्चात् स्थिति सामान्य हो गई।

असैनिक उड्डयन विभाग के मुख्य निरीक्षक इस दुर्घटना सम्बन्धी जांच कर रहे हैं। डाक्टरों ने लगभग दो सप्ताह के लिये विमान के कैप्टन से कुछ भी पूछताछ न करने का परामर्श दिया है क्योंकि वह अभी इस कार्य के लिये शारीरिक तौर पर योग्य नहीं हैं।

---------

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

### अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अंतर्गत आदेश

**†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २५ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०६२ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६१। **[पुस्तकालय में रखी गई।। देखिए संख्या एल० टी० ३१९७/६१/]**

(दो) दिनांक २५ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०६३ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण (दसवां संशोधन) आदेश, १९६१। **[पुस्तकालयों में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ३१९८/६१]**

(तीन) दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५७ में प्रकाशित चीनी (यातायात नियंत्रण) (चौथा संशोधन) आदेश, १९६१। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ३१९९/६१]**

### एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५९-६० का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

**†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं विमान निगम अधिनियम १९५३ की धारा १५ की उपधारा (४) के अन्तर्गत एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५९-६० के वार्षिक लेखा परीक्षण के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० ३२००/६१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

## राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान् जी, मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्न सन्देश प्राप्त हुआ है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया नियम १६२ के उपनियम (६) के अन्तर्गत मुझे यह आदेश हुआ है कि लोक-सभा द्वारा एक सितम्बर १९६१ को पारित किये गये विनियोग (संख्या ४) विधेयक को वापिस किया जाय । राज्य सभा को लोक-सभा से इस बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

### नवासीवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिंह सहगल** (जंजगीर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का नवासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

## लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

### चौथा प्रतिवेदन

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : मैं लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

## सदस्य का त्याग पत्र

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि श्री अजित प्रसाद जैन ने ५ सितम्बर १९६१ को लोक-सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है ।

---

## दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम ५ सितम्बर १९६१ को श्री दातार द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेंगे :

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : मैं अपने संशोधन संख्या २३ और २४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये संशोधन सभा के समक्ष हैं :

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बलराज मधोक** : मैं ने इस विधेयक का महत्व देखते हुए ही इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है । राज्य पुनर्गठन आयोग के निर्णय से पूर्व दिल्ली भाग "ग" राज्य था परन्तु अब ऐसी बात नहीं है । मेरा निवेदन यह है बम्बई और कलकत्ता में बहुसदस्यीय क्षेत्र हैं, परन्तु दिल्ली में इस प्रणाली को हटाया जा रहा है । आखिर इसका कारण क्या है । मैं तो इस बात का प्रबल समर्थक हूं कि बहु-सदस्यीय क्षेत्र होने चाहियें और सम्मिलित रूप में मतदान करने की प्रणाली अपनाई जानी चाहिये । इस दिशा में जो संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है वह ठीक ढंग से हो नहीं रहा और यह बहुमत के विचारों का प्रतीक नहीं है । मेरा मत यह है कि एक सदस्यीय क्षेत्र बना देने से जात पात और साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलेगा और इससे स्वस्थ लोकतंत्रीय परम्पराओं का निर्माण संभव नहीं होगा । साथ ही यह भी सत्य है कि बहुसदस्यीय क्षेत्र होने से छोटे छोटे दलों और अल्पसंख्यकों को भी कुछ प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है ।

कहा गया है कि अनधिकृत मकानों के निर्माण की दिशा में आयुक्त को और अधिकार दिये जाने चाहियें ताकि वह उन मकानों को गिरा सके । परन्तु ऐसा करने से पूर्व यह भी सोच लेना चाहिये कि आखिर इन अनधिकृत मकानों का निर्माण हुआ ही क्यों ? मेरा निवेदन है कि सरकार अनधिकृत मकानों के बनाये जाने के कारणों की जांच करे । मेरा यह भी मत है कि निर्माण कार्य सम्बन्धी विधि को और उदार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं परन्तु मैं चाहता हूं कि बनी हुई बस्तियों को नियमित कर देना चाहिये ।

यदि नई दिल्ली को अलग रखा जाना है, तो इसकी नगरपालिका, जो अभी तक मनोनीत निकाय है, निर्वाचित होनी चाहिये ।

दिल्ली नगर निगम को दी गई शक्तियां पर्याप्त नहीं हैं । औद्योगिक परामर्शदात्री समिति, जन सम्पर्क समिति तथा अन्य मनोनीत समितियों की बजाय जोकि लोकप्रिय नहीं हैं, निगम के निर्वाचित सदस्यों की समितियां होनी चाहियें ।

दिल्ली के बारे में कोई विधान संसद् में प्रस्तुत करने से पूर्व निगम को उस पर चर्चा करने का अवसर देना चाहिये । ऐसे मामलों में उसे परामर्श देने का अधिकार होना चाहिये ।

यह आवश्यक है कि दिल्ली निगम की शक्तियों, कृत्यों और क्षेत्र को बढ़ाया जाय । भूतपूर्व दिल्ली विधान सभा की कुछ शक्तियां जिन में शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, निगम को दी जा सकती हैं ।

विधेयक प्रवर समिति को अवश्य सौंपा जाये ।

†**चौ० ब्रह्म प्रकाश** (दिल्ली सदर) : जनाब स्पीकर साहब, गवर्नमेंट की तरफ से जो यह बिल दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन के बारे में पेश हुआ है असल में इसका एक खास कारण यह है कि डबल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ के बजाय सिंगल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ की जाय । यह मांक दिल्ली कारपोरेशन में सभी पार्टियों की मिली जुली मांग भी है । इसके बारे में वहां एक रेजोल्यूशन पेश हुआ और उसको पास किया गया जिसकी वजह से यह जरूरत हुई कि एमेंडमेंट्स किये जायें और सिंगल मैम्बर कांस्टिट्युएंसीज़ की गुंजाइश छोड़ी जाये । इसके साथ ही साथ कुछ और भी तरमीमें इसमें आई हैं जिनको कि सरकार की तरफ से पेश किया गया है । वे एक मामूली किस्म की हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बात इस वक्त कही जाये कि सिंगल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ की जगह प्लूरल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ यहां बनें, मैं समझता हूं सही नहीं होगा क्योंकि इस बात को अब बहुत देर हो गई है और इस बात को पहले सोचना चाहिये था । इसको उस वक्त सोचना चाहिये था जिस वक्त कि सब पार्टियों ने मुत्तफिक होकर और मिल जुल कर रेजोल्यूशन पेश किया था । मेरी राय कुछ भी हो लेकिन जब सब पार्टियां ऐसा चाहती हैं और सभी लोग ऐसा चाहते हैं तो यह चीज़ हो ही जानी चाहिये । लोग ऐसा समझते हैं कि आम तौर से प्लूरल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ का जो तजुर्बा है वह ना-कामयाब रहा है । इसलिये कोई चारा नहीं है सिवाय इस बात के कि हम सिंगल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ पर आयें । इस चीज़ का यहां मंजूर हो जाना, यहां पास हो जाना भी जरूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी वजह से भी इलैक्शन जो कि अप्रैल में होने चाहियें, वे मुल्तवी किये जायें । इलैकशन मुल्तवी करना कभी भी मैं मुनासिब नहीं समझता हूं । लिहाज़ा यह भी जरूरी है कि यह बिल इसी सदन में इसी वक्त पास हो जाये ताकि इलैक्शन कराने में देर न हो ।

इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी खुद की राय यह रही है और अभी भी है कि जो मौजूदा कारपोरेशन एक्ट है जिसके मातहत मौजूदा कारपोरेशन काम कर रही है उससे सारे दिल्ली वालों को, सब पोलिटिकल पार्टीज़ को जबर्दस्त मायूसी हुई है और जो नया तजुर्बा किया गया है, वह कोई अच्छा साबित नहीं हुआ है । खाली यह बात नहीं है कि दिल्ली चूंकि एक बड़ा शहर है और चूंकि बड़े शहरों में कारपोरेशंज़ हैं इस वास्ते दिल्ली में भी कायम की जाये और चूंकि बहुत सी कमेटियों की जगह एक म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिये, इस वास्ते यहां कारपोरेशन कायम की जाए । मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ इसका यही मकसद नहीं था बल्कि स्टट्स रिआर्गेनाइजेशन कमिशन की रिपोर्ट के मुताबिक यह भी मंशा था कि दल्ली के अन्दर जब डैमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन न हो और यहां पर मिनिस्ट्री और लैजिस्लेचर न हो तो यह ज़रूरी है कि कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली को दी जाए जो कि म्यूनिसिपल नीड्ज़ को भी पूरा करे और साथ ही साथ पोलिटिकल नीड्ज़ का भी जवाब दे सके । इसके बारे में मेरी ही नहीं बल्कि दिल्ली के तकरीबन ज्यादातर लोगों की यह राय रही है कि लैजिस्लेचर को यहां तोड़ना और उसके बाद सिर्फ कारपोरेशन कायम करना मुनासिब नहीं था । यह राय हमेशा से उठती रही है और खास तौर से जब से म्यूनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली में कायम हुई है और उसके फलस्वरूप जो तजुर्बा सामने आया है और जिस तरह से उसने काम किया है, उससे यह आवाज़ जबरदस्त ताकत पकड़ती जा रही है कि कारपोरेशन की ख्वाहिशात का, दिल्ली के जज़्बात का, दिल्ली के एस्पीरेशंज़ का जवाब नहीं दे सकती है और इसमें कुछ बुनियादी कमज़ोरियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है ।

इस वजह से दिल्ली में दो मांगें उठी हैं और वे जबरदस्त हैं । एक के बारे में तो सबकी राय मुतफिका है फिर वह चाहे कोई भी पार्टी क्यों न हो कि दिल्ली का जो मौजुदा कारपोरेशन एक्ट है, उस में बुनियादी तौर पर कुछ तबदीलियां किए जाने की जरूरत है । बुनियादी तौर पर जरूरत इस बात की है कि जो आथारिटी है वह कमिश्नर में या यहां के आफिसर्ज में न रहे बल्कि वह आथारिटी चेयरमन जो कमेटीज़ के हैं, या जो कमेटीज हैं ; उनके पास आये, मेयर के पास आये, डिप्टी मेयर के पास आये । यह आथोरिटी उस तरह से न बिखरी रहे जिस तरह से अब बिखरी हुई है कि यह पता ही न चले कि कौन यहां कारपोरेशन में जिम्मेदार है । दूसरी आवाज यह उठी है कि जो यहां के लोगों के पोलिटिकल एसपीरेशंज़ हैं जिनका जिक्र मैंने अभी किया है और जिनके बारे में कहा है कि वे कारपोरेशन से पूरे नहीं होते हैं, वे पूरे हों, इसका कोई हल ढूंढा जाए । इस लिहाज़ से भी तबदीली की जाने की जरूरत है जिससे पोलिटिकली लोगों को उससे शिकायत न रहे । लिहाज़ा बिल वगैरह उससे मंजूर करा लिया करें या और तरह से तबदीली कोई ले आयें ।

[चौ० ब्रह्म प्रकाश]

हमारी राय है कि यह बात नहीं हो सकती। म्युनिसिपल कारपोरेशन कभी भी आसानी से मौजूदा कांस्टीट्यूशन के मुताबिक एक लेजिसलेचर का काम नहीं कर सकती और न आसानी से ऐसा कोई काम कर सकती है जिसको गवर्नमेंट की आथारिटी दी जा सके। लिहाजा इस काम के लिये एक अलग इंस्टीट्यूशन की जरूरत है और मेरी राय है कि इस वक्त दिल्ली में यह एक पापुलर फीलिंग है कि यहां के लिए अलग लेजिसलेचर चाहिये क्योंकि यहां की आबादी २६ लाख है और बीस करोड़ रुपये साल का यहां का बजट होता है। ऐसी हालत में क्यों न यहां एक जिम्मेदार किस्म की हुकूमत कायम की जाए। ये मांगें दिल्ली की हैं।

इस वक्त जो यह बिल लाया गया है वह इलेक्शन की गरज से लाया गया है और इलेक्शन अप्रैल में होने वाले हैं जिनके लिए सिंगल मेम्बर कांस्टीट्यूशनएन्सी बनाना जरूरी है। लिहाजा इस वक्त तो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को न रेफर किया जाए और इसको पास कर दिया जाए। लेकिन यह जरूरी है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इस बारे में सोचे। और मैं खाली अपनी तरफ ही से नहीं बल्कि सब पार्टियों की तरफ से यह कह सकता हूं कि इस कारपोरेशन के काम से दिल्ली वालों को मायूसी हुई है, उनको इसके काम से तसल्ली नहीं है और वह इसमें कुछ बुनियादी तब्दीलियां चाहते हैं।

जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया फिर से एक कमेटी मुकरर करे जो इस सारे सवाल में जाए कि दिल्ली की जरूरतें क्या हैं और यहां के लिए किस किस्म का इंस्टीट्यूशन होना चाहिये। हो सकता है कि मेरी एक राय हो और मेरे दूसरे साथी की दूसरी राय हो, लेकिन दिल्ली के सवालों का जवाब देने के लिये जो मौजूदा ढांचा है वह ना कामयाब रहा है और उससे लोगों को सख्त मायूसी है।

यह चाहा गया था कि इससे ज्यादा कोआरडिनेशन हो। लेकिन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन और गवनमेंट आफ इंडिया में कोई गोआरडिनेशन नहीं और कोआरडीनेशन करने की कोशिश में इतनी परेशानी होता है कि डिसकोआरडिनेशन बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी, दिल्ली डवलपमेंट अथारिटी और गवनमेंट आफ इंडिया में कोई कोआपरेशन नहीं न है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में कन्फ्युजन है और जो रुपया दिल्ली को टैक्स पेयर से जाता है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता और ज्यादातर चीजों में ढील होती है, जब ढील होती है तो करप्शन बढ़ता है। चूंकि आज दिल्ली की विभिन्न अथारिटीज में कोआपरेशन नहीं है और कारपोरेशन में आथारिटी की ठीक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए सभी सवालों का जवाब देने में ढील होती है और इसलिये करप्शन बहुत बढ़ता है, जाहिर है कि जब किसी इंस्टीट्यूशन का काम ठीक नहीं होता तो उसमें निपोटिज्म और करप्शन बहुत बढ़ता है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया से कहूंगा कि वह इस बारे में एक जरूरी कदम उठाए।

मेरी खुद यह राय है कि इस बिल के साथ कुछ जरूरी अमेंडमेंट लाए जायें। लेकिन जिस वक्त यह बिल होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी के सामने आया, उस वक्त हमारे नये होम मिनिस्टर साहब ने चार्ज लिया था और हम शुरू ही में उनके ऊपर यह बोझ नहीं डालना चाहते थे कि वह फौरन इस काम को करें। उन्होंने हमें, यह विश्वास जरूर दिलाया था और मैं समझता हूं कि उसको इस सदन के सामने भी रखा जाएगा। उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस बिल को पास हो जाने दीजिए, उसके बाद जल्दी ही गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच विचार करेगी कि इस बिल में या दिल्ली के ढांचे में तबदीली करने के लिये क्या कदम उठाए जायें।

ये जो बातें मैं ने आपके सामने रखा उनके अलावा भी कुछ बातें हैं। जैसे फ्लड का सवाल है। अब फ्लड को रोकने की जिम्मेदारी तीन इंस्टीट्यूशनज़ पर है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन पर इसकी जिम्मेदारी है, पंजाब गवर्नमेंट से इसका ताल्लुक है और गवनमेंट ऑफ इंडिया से इसका ताल्लुक है। देहात के एडमिनिस्ट्रेशन कुछ पंचायतों के हाथ में है और कुछ दिल्ली कारपोरेशन के हाथ में है। पिछले तीन चार सालों से तमाम फ्लड रोकने का काम और ड्रेनेज का काम और पंचायतों को ठीक ढंग से चलाने का काम रुका पड़ा है। यह ठीक है कि नजफगढ़ ड्रेन के बारे में कुछ कार्यवाही की गयी, यह ठीक है कि पंचायतें कायम की गयीं हैं, यह ठीक है कि फ्लड को रोकने की कुछ कोशिश की जा रही है। लेकिन नतीजा यह हो रहा है कि हम कोई भी मजबूत कार्यवाही खास तौर से फ्लड के बारे में और पंचायतों के बारे में पिछले चार सालों में नहीं कर पाए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन तमाम या तो कारपोरेशन को दे दिया जाए या तमाम काम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहे। आज ऐसा न होने की वजह से दिल्ली के देहात के २५०–३०० गांवों में काफी परेशानी है। फ्लड इस वजह से भी आया कि बारिश ज्यादा हुई है। यह भी उसकी एक वजह है। लेकिन हालत यह है कि अगर थोड़ी-सी भी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो चारों तरफ फ्लड ही फ्लड दिखायी देता है, क्योंकि जो पुराना ड्रेनेज का सिस्टम है वह तो निकम्मा हो चुका है और जहां तक नये ड्रेनेज सिस्टम का ताल्लुक है, फ्लड कमेटी की तजवीजों पर ठीक से अमल नहीं हो पाता क्यों कि अथारिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में कनफ्यूजन है।

इसी तरह से स्लम्स का काम है जिसके लिये रुपया दिया गया है गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से, लेकिन वह काम भी रुका पड़ा है। उसकी भी यही वजह है कि अथारिटीज़ में बेहद कन्फ्यूजन है।

इसके साथ-साथ दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी है वही काम वह करती है और वही काम दिल्ली कारपोरेशन भी करता है, वही काम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन करता है। वहां भी जबरदस्त कनफ्यूजन है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि सवाय टाउन प्लानिंग के काम के और सारा स्लम आदि का काम दल्ली कारपोरेशन को ट्रांस्फर कर दिया जाए।

ये बुनियादी तबदीलियां हैं जिनको करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन सवालों की तरफ मैं ने इस वक्त ध्यान दिलाया है और जिनको इससे पहले भी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर में लाता रहा हूं, उन सब पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ध्यान देगी और एक हाई पावर्ड कमेटी मकर्रर करेगी जो इन सवालों में जाकर देखे कि जो दिल्ली के इस्टीट्यूशन्स हैं, चाहे वह दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वह दिल्ली कारपोरेशन हो, चाहे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी हो या दिल्ली डेवेलपमेंट अथारिटी हो, उनमें क्या तबदीली करने की जरूरत है और इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या रिलेशनशिप हो। इन सब बातों के लिए कोई मुनासिब संशोधन बाद को लाया जाए।

**श्रीमती सुभद्रा जोशी** (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल हमारे सामने पेश है। अब आपने फरमाया है कि इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है इसलिये इस पर बहुत डिस्कशन न होना चाहिये और सिर्फ अमेंडमेंट्स के ऊपर ही चर्चा चलनी चाहिये। इसलिये मैं सबसे पहले तो होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करना चाहती हूं कि क्लाज १४ के मुताबिक यह कहा गया है कि एक गाय जोकि घरेलू इस्तेमाल के लिये पाली जाय वह टैक्स से माफ हो और उस पर ऐनीमल टैक्स न लिया जाय। मैं चाहती हूं कि उसमें थोड़ा-सा यह ऐड कर दिया जाय कि चाहे कोई एक गाय या भैंस पाले वह टैक्स से एगजेम्प्ट हों।

दिल्ली कारपोरेशन ने प्रस्ताव पास किया और तीन दफा प्रस्ताव पास करके भेजा है। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उनके प्रस्तावों में जो सिफारिशें की गईं थीं उनमें से बहुत-सी

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

मंजूर की गई हैं। अब इस अमेंडमेंट में जो क्लाज १४ में किया गया है एक गाय पालने वाले को टैक्स से एगजेम्प्ट किया गया है। एक गाय से मतलब यह है कि उसे व्यापार के लिये इस्तेमाल न किया जाय उसमें कमाने की बात न हो खाली घर के कजम्प्शन की बात हो तो उस एक गाय को टैक्स से एगजेम्प्ट किया जाय। मेरी होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि जहां एक गाय को एगजेम्प्ट किया गया है वहां उसके साथ यह भी जोड़ दें चाहे गाय हो या भैंस हो। यह दरख्वास्त मैं इसलिये करना चाहती हूं कि दिल्ली में बहुत भारी आबादी पंजाब के लोगों की है और मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहती हूं कि पंजाब के लोग ज्यादातर भैंस का दूध पसद करते हैं क्यों कि उसमें ज्यादा घी और ज्यादा मक्खन निकलता है और इसीलिये ज्यादातर वह लोग भैंस पालते हैं। अब गाय रखने के पीछे यदि कोई प्रचार अथवा प्रोपोगेंडा की बात हो तब तो दूसरी बात है क्यों कि गऊ रक्षा के सिलसिले में नाम कमाने की बात हो सकती है. . . .

**श्री त्यागी :** ( देहरादून ): गाय के अभिप्राय में भैंस भी सम्मलित हैं।

**श्रीमती सुभद्रा जोशी :** लेकिन अगर इसके पीछे यह भावना है कि दिल्ली के लोगों को अपने इस्तेमाल के लिए दूध और घी मुहैय्या हो तो मेहरबानी करके वह मेरी इस तजवीज को स्वीकार कर लें कि चाहे कोई एक गाय पाले अथवा एक भैंस पाले और जिसमें वह व्यापार न करना चाहे तो उसको टैक्स से माफ किया जाय और उससे टैक्स न लिया जाय।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि यह जो कमिश्नर को अनअथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स को एबालिश करने के वास्ते पावर्स दी गई हैं यह एक बड़ी खतरनाक बात है। यह अनअथोराइज्ड मकान बनाना और उनको डिमौलिश करना दोनों ही दिल्ली का एक बड़ा रैकेट हैं और उनको लेकर काफी करप्शन चलता है। मुझको कहना कि जो अनअथोराइज्ड मकान बनते हैं उनके बारे में किसी को पता नहीं रहता और यह ओवरनाइट बन कर खड़े हो जाते हैं सही नहीं है क्योंकि हकीकत यह है कि इस तरह के अनधिकृत मकान कारपोरेशन के लोगों या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के जो छोटे अफसरान होते हैं उनके सामने बनते हैं और उनके नोटिस में यह चीज़ होती है बल्कि मैं तो कहूंगी कि ऐसे अनअथोराइज्ड मकान उनके कहने से और उनके इनकरैजमेंट से बनते हैं। यह अफसरान मकान बनते वक्त लोगों से पैसा वसूलते हैं और अनअथोराइज्ड मकानों को गिराने के वक्त जिस वक्त जाते हैं तो उस वक्त फिर पैसा खाते हैं। जब उनको गिराते हैं तो पैसा खाते हैं और गिराने से बचाते हैं तो पैसा खाते हैं। यह एक इतनी खतरनाक चीज हो गई है कि उसके लिए मैं सोचती हूं कि सिर्फ पावर देना ही काफी न होगा बल्कि सदन को इस ओर भी ध्यान देना होगा और ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि उस पावर का सही इस्तेमाल हो और वह लोगों को हैरेस करने और उनसे नाजायज तौर पर पैसा कमाने का जरिया न बन जाय।

यह बात भी ठीक है कि आज लोगों ने अनधिकृत मकान बनाने का एक धंधा-सा अपना रक्खा है और हालत यह है कि आज जहां दो अनअथोराइज्ड मकान बने हैं तो कल दस मकान वहां और बन जाते हैं। जिस वक्त सम्बन्धित अधिकारी लोग उनको तोड़ने के लिए जाते हैं तो बड़ा शोर और बावैला मचाया जाता है। जहां यह बात सही है कि छोटे अफसरान अनअथोराइज्ड मकान बनाने वालों से पैसा लेने को तैयार रहते हैं वहां यह भी सही है कि एसे मकान बनाने वाले बड़ी खुशी-खुशी उनको पैसा खिलाने को तैयार रहते हैं और उनको पैसा देकर करप्ट करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपनी रिहायश के वास्ते ही उन मकानों को नहीं बनाते हैं बल्कि इस तरह से अनअथोराइज्ड मकान बना कर और फिर उनको गिरने से बचवा कर व्यापार करते हैं और यह अफसोस का मुकाम है कि वे ऐसे अनअथोराइज्ड मकान बेचने का धंधा चलाते हैं। अब इनके बारे में तो पोलिटिकल वर्कर्स की नाक में दम है। बड़ी संख्या में अनअथोराइज्ड मकान बनाये जाते हैं और जब कर्मचारी लोग

उनको तोड़ने के लिए भेजे जाते हैं तो यह लोग कारपोरेशन के मेम्बर्स के पास दौड़ते हैं और पार्लियामेंट के मेम्बरों के पास दौड़ कर जाते हैं और मांग करते हैं कि उनके वह मकान कायम रहने दिये जायें और उनको तोड़ा न जाय । इस चीज पर खास ध्यान देना चाहिए और जरूरत इस बात की है कि सारी अथारिटीज जो कि इसको डील करती हैं, डेवलपमेंट अथारिटी हो, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन हो या कारपोरेशन हो, उनमें आपस में एक कोआरडिनेशन होना चाहिए जो कि आज नहीं पाया जाता है । पोलिटिकल वर्कर्स का कोआपरेशन इसके लिए हासिल किया जाय और लोगों को अनऐथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए डिस्करैज किया जाय लेकिन इस पर भी जो आदमी गलत तौर से और नाजायज तौर से मकान बनाता है और जब उसको डिमौलिश करने का आर्डर होता है तो उसमें किसी किस्म की रियायत न बर्ती जाय और इस बात की सावधानी बर्ती जाय कि मकान तुड़वाने के सिलसिले में कोई करप्ट प्रैक्टिस न चले । ऐडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में विशेष सावधानी बर्तनी चाहिए । जैसा मैंने पहले भी कहा खाली कमिश्नर को पावर देने से काम नहीं चलेगा ।

इसी सिलसिले में मुझे यह कहना है कि जहां आप कमिश्नर को पावर्स देने की बात करते हैं ताज्जुब की बात यह है कि मेयर को कोई पावर नहीं है । अब कारपोरेशन के मेम्बर्स इलेक्शन लड़ते हैं, और जितनी मुश्किलात होती हैं उनका उनको सामना करना पड़ता है । वे काफी मुसीबत उठाते हैं । मुझ को इसी सिलसिले में यह कहना है कि जब एक दफे यहां दिल्ली में पीने के पानी की बहुत तंगी हो गई और मुसीबत इतनी बढ़ गयी कि दिल्ली के लोग प्यासे मरने लगे तो दिल्ली कारपोरेशन की मेयर श्रीमती अरुणा आसफअली ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक खत लिखा था जिसमें उससे दिल्ली वालों को पीने के पानी को मुहैय्या करने के वास्ते मदद मांगी गई थी, वह खत आज तक कारपोरेशन की फाइल पर है । कमिश्नर ने ऐतराज़ किया कि मेयर को सेंट्रल गवर्नमेंट से करसपौंडेंस करने की इजाजत नहीं है । मेरी दरख्वास्त है कि मेयर की पावर्स में कुछ तबदीली होनी चाहिए और उनको भी इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि अगर वह जरूरत समझें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से करसपौंडेंस कर सकें । मेरी तो तजवीज यह है कि जितनी भी करसपौंडेंस हो वह सब मेयर के जरिये हो । मेयर को मालूम होना चाहिए कि फाइनेंशिएल या दूसरे क्या क्या कमिटमेंट्स हैं । आखिर वह तमाम कमिटमेंट्स कारपोरेशन के हैं वह कोई आफिसर्स या स्टाफ के तो हैं नहीं । इसलिए जहां पर कमिश्नर को पावर देने की बात कही गई है वहां पर मेयर को भी पावर्स देने की बात ध्यान में रक्खी जाय ।

एक अन्य चीज में और अर्ज करना चाहती हूं । रैक्रूटमेंट के बारे काफी शिकायतें पाई जाती हैं । मेरा कहना यह है कि यह जो अफसरान को रिक्रूटमेंट की पावर्स मिली हुई हैं तो इसके लिये दिल्ली कारपोरेशन में कोई खास इन्तजाम होना चाहिए क्योंकि यह भी एक आफत और शिकायत की चीज हो जाती है । रिक्रूटमेंट के लिए कारपोरेशन में ही कोई एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो कि कारपोरेशन के वास्ते रिक्रूटमेंट करे ।

आखिर में मैं एक ही बात कहूंगी और वह यह कि बड़े अफसोस की बात है कि दिल्ली की जब स्टेट गवर्नमेंट बनी और उसका अपना लेजिस्लेचर बना तो कहा गया कि यह चीज यहां दिल्ली में कामयाब नहीं हो सकती और उसको तोड़ा गया । उसके बाद कारपोरेशन आई तो उसके लिए भी आवाज उठ रही है कि कारपोरेशन कामयाब नहीं हुई है । अब कारपोरेशन के कामयाबी से चलने के रास्ते में क्या कानूनी दिक्कतें अथवा अड़चनें हैं । अब मुझे तो शंकर वीकली में जो यह लिखा गया कि क्लौक टावर रिवाइव करना चाहिए और उसको कारपोरेशन की तरफ लीन करना चाहिए, यह देख कर बड़ी शर्म आई । इस तौर से उसके एडमिनिस्ट्रेशन का एक मजाक उड़ाया गया । अखबारों में इस तौर पर हमारा मजाक उड़ाया जाना बड़ी शर्म की बात है । मैं

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

अदब से अर्ज करूंगी कि हमारे होम मिनिस्टर साहब को इस मामले में खास तौर से तवज्जह देनी चाहिए कि आखिर यह क्या मामला है । दिल्ली स्टेट कामयाब नहीं हुई, कारपोरेशन बना तो उसके लिए भी आवाज आ रही है कि वह कामयाब नहीं रहा है तो क्या दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही चलेगा ? मंत्री महोदय को इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर कारपोरेशन के कामयाबी के साथ काम करने में क्या कानूनी तथा अन्य दिक्कतें हैं और उनको दूर करना चाहिए । अब यह क्या तमाशा बन रहा है कि यहां दिल्ली में कोई चीज चल ही नहीं सकती है ।

आज दिल्ली में इतनी मुसीबत है कि गरीब आदमी सचमुच में रो रहे हैं । अब अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं उनसे साढ़े १४ रुपये टैक्स लिया जाता है । रिक्शा पास करवाने के वास्ते साढ़े पांच रुपये लिये जाते हैं । मोटर ड्राइवर्स से साढ़े ३ रुपया लिया जाता है लेकिन जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं उनसे साढ़े पांच रुपया लिया जाता है और कहा यह जाता है कि उसमें फोटो के पैसे भी लिये जाते हैं । अब फोटो तो १२ आने में खिंच जाती है । लेकिन कारपोरेशन उन से इस के लिए दो रुपये वसूल करता है । उसके बाद भी साल साल, दो दो साल हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों के हाथ में फ़ोटो नहीं आते हैं और कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा रख लिये जाते हैं ।

इसके अलावा उन लोगों से इतना टक्स लेने के बाद भी उनको लावारिश छोड़ दिया गया है और उनके लिये सारे शहर में कोई स्टैंड या शेड नहीं है, उन के लिये छाया की कोई व्यवस्था नहीं है । कारपोरेशन के मुलाजिम सारा दिन उनका चालान करते हैं और इस तरह ऊपर की आमदनी से अपना पेट भरते हैं ।

आखिर में मैं यह निवेदन करूंगी कि कमिश्नर को पावर्ज़ देने के साथ साथ सरकार यह भी देखे कि उन पावर्ज़ को इस्तेमाल किस तरीके से और कहां किया जाता है । इसमें भैंस के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, उसको दूर करने के लिए जो अमेंडमेंट रखी गई है खास तौर पर उसको ज़रूर एक्सेप्ट कर लिया जाये ।

**श्री ब्रजराज सिंह :** अध्यक्ष महोदय, एक छोटे उद्देश्य के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है, यह कह कर सरकार बहुत ही खतरनाक बातें इस सदन से पास करवा लेना चाहती है ।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

यदि सरकार ने इसमें केवल वार्डों के विभाजन का प्रश्न ही रखा होता, तो संसद और विधान सभाओं के बारे में एक-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र का सिद्धान्त मान लेने के बाद उसको स्वीकार करने में इस सदन को कोई विशेष आपत्ति न रही होती । लेकिन मैं देखता हूं कि वार्डों का विभाजन करने के नाम पर इस बिल में और बहुत सी बातें की जा रही हैं और उन बातों पर अधिक बल दिया जा रहा है, जो कि हिन्दुस्तान आज़ाद होने के बाद खास तौर से दिल्ली में की गई हैं ।

मुझ यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां सारे देश में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ और लोगों को विधान सभाओं के द्वारा अधिक अधिकार प्राप्त हुए, वहां दिल्ली में एक दूसरी ही धारा चली और पीछे को लौटा गया । यहां पर पहले से जो असेम्बली (विधान सभा) चल रही थी, उसको खत्म करके म्यूनिसिपल कार्पोरेशन बनाया गया और अब फिर कहा जा रहा है कि अन-अथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन्ज़ के बारे में कमिश्नर को जो अधिकार प्राप्त हैं, उनको और ब्राइडन (विस्तृत) किया जाना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विचार करने का यह बिल्कुल ही गलत तरीका है । आज के युग में, जिसे हम जनतंत्रवादी युग कहते हैं, जनता पर, जनता के

प्रतिनिधियों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है । इसलिये मैं उसूली तौर पर यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार जितनी जल्दी इस उसूल को मान ले कि दिल्ली भी--भले ही यहां पर केन्द्रीय सरकार स्थित है और बड़े से बड़े आदमी यहां पर रहते हैं--इस देश का हिस्सा है और उसको एक प्रतिनिधि सरकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है--हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा और दिल्ली, इन चारों यूनियन टेरीटरीज़ में प्रतिनिधि सरकार जितनी जल्दी बन जाय, उतना ही केन्द्रीय सरकार के लिये अच्छा होगा । चूंकि वह दिल्ली के लिये एक प्रतिनिधि सरकार के उसूल को नहीं मानती है, इसलिये वक्तन-फ़वक्तन उसको यह सोचना पड़ता है कि कमिश्नर के अधिकारों को अधिक बढ़ाया जाय । जैसा कि अभी माननीय सदस्या, श्रीमती सुभद्रा जोशी, ने कहा है, मेयर की ताकत नहीं बल्कि कमिश्नर की ताकत को बढ़ाया जा रहा है । हम लोग बार बार दिल्ली के देहाती इलाक़ों के लोगों से सुनते हैं कि कार्पोरेशन के अधिकारी कार्पोरेशन के सदस्यों की इतनी अहमियत नहीं समझते, जितनी कि वे अपने छोटे कर्मचारियों की समझते हैं । मैं यहां पर किसी की शिकायत नहीं करना चाहता हूं ; मैं तो सोचने के तरीके की तरफ़ इशारा करना चाहता हूं । चूंकि यह सरकार दिल्ली के सम्बन्ध में जनता पर जनता की शक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहती है इस लिये उस का लाज़िमी नतीजा यह होगा कि अधिकारियों की ताकत बढ़ जायगी शक्ति केन्द्रित हो जायगी और आम तौर पर जनता की परेशानियां बढ़ेंगी । यहां के लोगों की तरफ़ से यह कहा जाता है कि कार्पोरेशन सफल नहीं हो रही है । मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार का जो दृष्टिकोण है उस के कारण कार्पोरेशन सफल नहीं हो सकती है भले ही उस की ताकत को बढ़ा दिया जाये । मैं नहीं समझता कि दिल्ली में और दूसरी यूनियन टरीटरीज़ में उसी तरह का सैट अप कायम क्यों न किया जाये जो कि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों में कायम है ।

अगर केन्द्रीय सरकार किसी खास बात के लिये इस बात के लिये कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश को दिल्ली का मुख्य मंत्री बनाया जा सकता है--वह पहिले मुख्य मंत्री रहे हैं--,इस सम्बन्ध में दिल्ली की कांग्रेस पार्टी में आपस में मत-विभाजन है, यहां पर वह सैट अप कायम नहीं करती है तो यह उचित नहीं है ।

**श्री त्यागी** : माननीय सदस्य को कांग्रेस पार्टी की आपसी बातों से क्या मतलब है ?

**श्री अजराज सिंह** : मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है । मैं जानता हूं कि चाहे चौ० ब्रह्म प्रकाश हों और चाहे कोई और कांग्रेसी साहब हों उन के हाथ में जब ताकत जायगी, तो वे देश को भ्रष्ट करेंगे इस में मुझे कोई मत भेद नहीं है । लेकिन अगर केन्द्रीय सरकार यह सोचे कि किसी खास व्यक्ति की वजह से यहां पर प्रतिनिधि सरकार नहीं बनाई जायगी तो यह मैं कतई स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं ।

इस लिये केन्द्रीय सरकार इस बारे में शीघ्रतापूर्वक विचार करे कि अब समय आ गया है जब कि दिल्ली में प्रतिनिधि सरकार के उसूल को स्वीकार करना पड़ेगा । यहां पर विधान सभा को मन्जूर करना पड़ेगा यहां पर भी उसी तरह की सरकार बनानी पड़ेगी जिस तरह की दूसरे प्रदेशों में है ।

मैं ने इस आशय का एक मोशन उपस्थित किया है कि इस बिल पर जनता की राय जानने के लिये इस को सर्कुलेट किया जाये और अगर सरकार इस को स्वीकार नहीं करती है तो फिर इस को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाये । सरकार की तरफ़ से कहा गया है कि हम इस बारे में जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि मार्च अप्रैल, १९६२ में चुनाव होने हैं इस लिये यह ज़रूरी है कि यह अभी पास

[श्री ब्रजराज सिंह]

हो जाना चाहिए । सभानेत्री जी, अभी अध्यक्ष महोदय ने जो कि आप के स्थान पर विराजमान थे सरकार को कहा था कि आखिर वह अन्त में ऐसे प्रश्नों को ऐसे मसलों को क्यों लाती हैं । जब सदन के बैठने के सिर्फ दो दिन रह गये हैं तब इस बिल को यहां पर लाया गया है और फिर कहा जाता है कि चूंकि राज्य सभा ने भी इस को पास करना है इस लिये इस को तीन चार घंटों में पास करना है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली में विधान सभा नहीं है और इस लिये यहां पर दिल्ली के जो छः मेम्बर हैं उन में से हर एक का यह लाज़िमी अधिकार है कि वह इस बारे में अपनी राय ज़ाहिर करे, लेकिन सरकार इस के लिये वक्त नहीं देना चाहती है। इसको अन्त में लाना चाहती है और इस तरह से नौकरशाही की प्रवृत्ति बरतना चाहती है । इस लिये मैं चाहूंगा कि भले ही चुनाव मार्च में हों--उन को टालना नहीं चाहिए--लेकिन इस बिल को जल्दी से पास करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इस विषय में जनता की राय जाननी चाहिए ।

अगर सरकार जनता की राय जानने सम्बन्धी प्रस्ताव को मन्जूर नहीं करती है, तो फिर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिए और उस को यह अधिकार होना चाहिए कि वह इस बिल के उद्देश्य और मूल एक्ट के दूसरे सैक्शन्ज़ पर पुनर्विचार कर के अपनी रिपोर्ट दे । अगर सरकार इस को भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं होती, तो दिल्ली की जनता के दिमाग़ों में यह आशंका पैदा होगी कि यह सरकार उस की कोई कद्र नहीं करती है । आखिर यहां पर पच्चीस लाख की आबादी हो चुकी है और अगले दस सालों में वह चालीस लाख हो सकती है तथा अगले बीस सालों में वह बढ़ कर पचास साठ लाख हो सकती है । क्या तब भी यह सरकार कहेगी कि यहा पर कार्पोरेशन ही चलेगी हम इसी तरह काम करेंगे इस के लिये दो घंटे देंगे कहीं विधान सभा नहीं होगी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन होगा और सारे अधिकार अधिकारियों के हाथ में होंगे ? इस-से दिल्ली की जनता का विश्वास प्राप्त नहीं किया जा सकता है । इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव को ज़रूर स्वीकार कर ले ।

एक बहुत ही बड़ी समस्या दिल्ली के नागरिकों के सामने आई हुई है । अभी उस दिन १५० कालोनीज़ के निवासियों ने संसद् भवन के समक्ष प्रदर्शन किया । पांच लाख उस से प्रभावित बताए जाते हैं और उस के सम्बन्ध में यहां पर हम इस बिल के द्वारा कमिश्नर को और अधिक अधिकार देने जा रहे हैं । प्रश्न यह है कि जिन को अनअथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन्ज़ (अनधिकृत निर्माण) कहा जाता है, वे क्यों पैदा होते हैं । सरकार ने दिल्ली के विकास के लिये एक योजना बनाई हुई है और काफ़ी समय हो गया है कि ३४ हजार एकड़ ज़मीन ख़रीदी गई है । लेकिन इस बारे में कोई योजना नहीं है कि वह लोगों को कैसे दी जायगी वे कैसे मकान बनायेंगे । दिल्ली में जितनी जनता आती है उस के हिसाब से कम से कम आठ मकान रोज़ बनाए जाने चाहिए लेकिन सालों से यह काम रुका हुआ है । लोगों को कोई ज़मीन नहीं मिल रही है और कोई नये मकान नहीं बनाए जा रहे हैं । एक तरफ तो सरकार इस तरह से आचरण करती है कि वह लोगों को नयी ज़मीन नहीं देती है, उस का बिकना बन्द कर देती है और दूसरी तरफ़ वह कहती है कि ग़लत तरीके से बनाये गये मकानों को तोड़ दिया जायगा उन को नहीं रहने दिया जायगा । इस तरह से दिल्ली की समस्या हल नहीं हो सकती है ।

सिर्फ़ यही प्रश्न नहीं है कि अनधिकृत निर्माण जनता की तरफ से ही होते हैं । मेरी सूचना है कि कार्पोरेशन के कर्मचारी उस में सहयोग करते हैं और जान बूझ कर यह सब किया जाता है । वे लोग रोज़ जाते हैं लेकिन बात चलती रहती है कि पैसा दे दीजिये । अगर पैसा मिल जाता है

तो मामला चलता रहता है और अगर नहीं मिलता है तो फौरन रिपोर्ट हो जाती है। वर्ना कोई वजह नहीं थी कि कार्पोरेशन के कर्मचारियों के मौजूद होते हुए भी दिल्ली में इस तरह से हजारों की तादाद में अनधिकृत निर्माण हो गये । इस के मायने ये हैं कि कर्मचारी सही तौर पर काम नहीं कर रहे हैं।

एक बड़े ही जिम्मेदार कर्मचारी ने जिस का सम्बन्ध इस पार्लियामेंट की चारदीवारी से है मुझे विश्वास के साथ बताया कि उस के घर को ढहाने के लिये कार्पोरेशन के कर्मचारी कटिबद्ध हैं। उन से पैसा मांगा गया, लेकिन चूंकि वह देने के लिये तैयार नहीं है वह दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वह इस मन्दिर में विराजमान हैं, इस लिये उन का घर जरूर ढहाया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से अनधिकृत मकानों की समस्या को आप हल नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में मकानों की समस्या हल हो तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरा ही दृष्टिकोण अपनायें और देखें कि अधिक निर्माण कार्य यहां हों। यहां पर जो अनधिकृत निर्माण कार्य हो चुका है उसको तो आप छोड़िये आगे के लिए आप नियमपूर्वक चलें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक काम चल नहीं सकता है । अब तक एक लाख या उसके ऊपर दिल्ली में अनधिकृत मकान बन चुके हैं और उनको ढहा कर हम कभी भी इस समस्या को हल नहीं कर सकेंगे। इस विषय पर आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। यदि इस बिल को इसी सैशन में आपको पास करना है तो फिर यह आदेश जरूर आपको कर्मचारियों को देने होंगे कि वे इस तरह का कोई काम न करें जिससे जो मकान बन चुके हैं उनको जानबूझ कर जा कर वे तोड़ दें। अगर इन मकानों को तोड़ दिया जाता है गिरा दिया जाता है तो क्या आप उनको सड़कों पर फेंक देंगे या उनको रहने के लिए कोई और जगह देंगे ?

कुछ और भी व्यवस्थायें हैं जिन की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह इसके स्कोप में नहीं आती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के लोग बैठते हैं उसके अफसर बैठते हैं इसलिए क्या वहां पर चुनाव द्वारा सदस्यों को नहीं चुना जाता है ? सारे देश को हम उपदेश देते हैं कि चुनाव हों, चुनाव का विधान चले, संसद् और विधान सभाओं के लिए चुनाव द्वारा ही मैम्बर आएं तो क्या कारण है कि यहां पर बैठ कर आज हम इस नगरपालिका के लिए लोगों को नामजद करते हैं ? यह अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी नामजद कमेटी न रहे कारपोरेशन में यह शामिल हो और कारपोरेशन का जो सैट अप बने उसमें यह भी शामिल हो । हम किसी छोटे से क्षेत्र में इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं कि कुछ लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो और दूसरों के साथ दूसरी ही तरह का व्यवहार हो जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है ।

यहां पर कारपोरेशन में एक कमेटी है जो कि रूरल कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है देहाती कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है। इस कमेटी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से दूसरी स्टैंडिंग कमेटीज़ जो कारपोरेशन की हैं उनको अधिकार प्राप्त हैं उसी तरह से इस देहाती कमेटी को भी अधिकार प्राप्त हो। अगर आप देहातों का विकास करना चाहते हैं विधिपूर्वक तो इस कमेटी को भी आपको वही अधिकार प्रदान करने होंगे जो कि आपने दूसरी स्टैंडिंग कमेटीज़ को किए हुए हैं।

यहां पर यह भी कहा गया है कि अगर किसी के पास एक ही गाय है तो उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर एक के बजाय उसके पास दो गायें हो जाती हैं तो पहली गाय पर भी टैक्स लग जाएगा। मैं अपनी बहन सुभद्रा जोशी के इस सुझाव से सहमत हूं कि गाय के साथ साथ

[श्री अजराज सिंह]

भैंस को भी इसमें शामिल कर लिया जाना चाहिये। मैं यह भी चाहता हूं कि बकरी को अगर शामिल नहीं किया गया है तो उसको भी शामिल कर लिया जाए। मैं समझता हू कि दूध देने वाले जो पशु हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये। जहां आप एक गाय को माफ करने की बात कहते हैं वहां आपको यह भी सोचना होगा कि गाय बारह महीने दूध नहीं देती है। इस वास्ते आपको यह भी व्यवस्था करनी होगी कि जिस बीच में गाय दूध नहीं देती है उस बीच में उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि एक के बजाय दो गायें आप माफ करें और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उसको लगातार दूध मिल सकता है। इसी तरह से भैंस और बकरी के बारे में होना चाहिये। अगर आप एक को ही माफ करते हैं तो उसका कोई खास फायदा होने वाला नहीं है।

एक और बात की तरफ मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि यहां की आबादी के आंकड़े १९६१ की जन-संख्या के आधार पर उनको प्राप्त नहीं है। चूंकि ये आंकड़े प्राप्त नहीं हैं इस वास्ते यह तय नहीं हो सकता है कि दिल्ली नगर को जन संख्या कितनी बढ़ गई है? मैं पूछना चाहता हूं कि इसका क्या अर्थ है? मार्च में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली निगम के लिए भी तब चुनाव होंगे। उस समय क्या पुरानी जन संख्या के आधार पर, सन १९५१ की जन संख्या के आधार पर ये होंगे या उस आधार पर होंगे जिस आधार पर कि अब जो कार्पोरेशन हैं, उसके चुनाव हुए थे। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय के पास इसका हिसाब किताब है और उसने दिल्ली की जन-संख्या को देखते हुए ही "ए" श्रेणी का शहर घोषित किया है। जब इसके आंकड़े आपके पास हैं तो यह पता लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिये कि उसके बाद से कितनी आबादी बढ़ गई है। अगर आंकड़े प्राप्त करने के लिए आपको दो चार साल लग गए तो तब तक तो चुनाव भी हो चुकेंगे और उसके चार साल बाद जाकर आप नए आंकड़ों के आधार पर चुनाव करा सकेंगे। यह ठीक नहीं है। अगर आपके पास आंकड़े नहीं हैं तो उनको प्राप्त करने की आप शीघ्रता कीजिये। आंकड़े आपके पास मौजूद हैं और इस काम में आपको शीघ्रता लानी चाहिये और मार्च में जो इलैक्शन होने वाले हैं, वे आज की दिल्ली को जो जन-संख्या है, उसके आधार पर ही होने चाहियें। यह न हो कि कुल जन-संख्या के ६०–७० प्रतिशत के आधार पर ही उन्हें करा दिया जाए और शेष जो चालीस प्रतिशत जनता है, उसको प्रतिनिधित्व ही न मिले और वह उससे वंचित रह जाए।

मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस लेट स्टेज पर भी सरकार में यह बुद्धि पैदा होगी कि दिल्ली और इससे बाहर को जो जनता है, उसमें कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिये। मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि दिल्ली में क्योंकि केन्द्रीय सरकार है, इस वास्ते विधान सभा न हो, यह उचित दलील नहीं है। यहां पर भी विधान सभा कायम होनी चाहिये। आज हो सकता है इसकी पच्चीस लाख आबादी हो लेकिन दस साल के अन्दर इसकी आबादी काफी बढ़ जाएगी और जैसे जैसे दिल्ली का विकास हो रहा है वैसे वैसे इसकी आबादी भी बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ मैं गृह-मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले अधिवेशन में एक आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय सरकार त्रिपुरा, मनीपुर और हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में अगले चुनाव से काफी पहले वहां पर डेमोक्रेटिक सैट अप कायम किए जाने के बारे में एक बिल पेश करेगी, इसको वह पूरा करे। दुर्भाग्य की बात है कि इस सैशन को खत्म होने में केवल दो दिन का समय बाकी रह गया है और अभी तक वह इस बिल को हमारे सामने नहीं लाए हैं। अब चर्चा इस तरह की चल रही है कि सम्भवतः इस तरह का कोई बिल ही नहीं लाया जाएगा और इन यनियन टैरिटरीज में जो सैट अप है,

सन् १९६२ तक उस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो याद रखिये कि आप उस पवित्र आश्वासन को भंग करेंगे जो आपने संसद् के पिछले अधिवेशन में दिया था। जनतंत्र की सफलता के लिए सरकार को अपने आश्वासनों पर कायम रहना चाहिये और किसी स्वार्थ-वश उन आश्वासनों को नहीं तोड़ना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सरकार अपने दिए हुए उस आश्वासन को नहीं तोड़ेगी और एक बिल १९६२ के इलैक्शन के पहले पहले यहां पर लाकर उसको पास करवा लेगी।

**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : सभानेत्री महोदया, अभी हमारे आदरणीय मित्र ने एक संशोधन पेश किया है जिस में कहा गया है कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को या सर्क्युलेशन के लिए भेज दिया जाए। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। यह मैं इसलिए करता हूं जैसे मुझ से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस बिल की सीमा बहुत संकुचित है और इसके अन्दर सिर्फ ऐसे संशोधन रखे गए हैं जिन को पिछले चार या साढ़े तीन साल के तजुर्बे को देखते हुए आवश्यक समझा गया है और यह समझा गया है कि उनका कुछ न कुछ इलाज होना जरूरी है।

सब से बड़ी बात इस बिल के अन्दर जो आपको मिलेगी वह यह है कि सिंगल मैम्बर कंस्टिट्यु-एंसीज को हम स्वीकार करें। यह सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है बल्कि जनमत के आधार पर सारे भारत वर्ष पर यह लागू होती है। इस वास्ते दिल्ली के लिए इसका विरोध करना मैं समझता हूं मुनासिब बात नहीं है।

आपत्ति विशेषकर इस बात पर उठाई जा रही है कि हम कमिश्नर को क्यों और अधिक अधिकार दे रहे हैं जिनके द्वारा जो अनधिकृत निर्माण हैं, उनमें वह हस्तक्षेप करके, रोक सकते हैं। इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में हमारी माननीय सदस्या श्रीमती सुभद्रा जोशी ने चर्चा की है। यह बात सही है कि जितना भी हम अनधिकृत निर्माण को रोकने की चेष्टा करते हैं, उतना ही वह बढ़ता जाता है और इस में अगर दोष उस व्यक्ति का है जो इस कार्य में लगा हुआ है तो उससे कहीं ज्यादा दोष उन कर्मचारियों का भी है जो मिल कर इस अनधिकृत निर्माण को बराबर जारी रहने देते हैं। बहरहाल जो इसमें सब से बड़ी बात दिक्कत की है वह यह है कि जब अनधिकृत निर्माण हो रहा होता है और उसको रोकने की सही तौर पर ख्वाहिश भी की जाती है तो भी उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। इसका कारण यह है कि दिल्ली में आज जो कानून लागू हैं उनके मुताबिक अनधिकृत निर्माण रुक नहीं सकता है चूंकि यहां की अदालतें उस में हस्तक्षेप कर देती हैं और वह बराबर जारी रहता है। सदन को यह मालूम ही है कि जो व्यक्ति इन अनधिकृत मकानों इत्यादि में बैठे हुए हैं और जिन को हम ने एक तारीख तक यह माना है कि उस तारीख से पहले बने हुए किसी भी मकान को या झोंपड़े को गिराने का अधिकार किसी को नहीं है उससे सारी खराबी पैदा होती है। यह प्रोटेक्शन उनको इस सदन द्वारा दिया गया है कि जब तक उनको कोई आल्टरनेटिव एकामोडेशन या उसके बदले में कोई जगह न दी जाए तब तक कोई डिमालिशन का काम उन झोंपड़ों पर या उन झुग्गियों पर या उन मकानों पर नहीं हो सकता है। बदकिस्मती यह है कि यहां दिल्ली में जमीन की किल्लत है और इस वजह से हर कोई मनमाने तरीके से काम करता है और वह जमीन जो कि सरकार की है और जिस पर और कुछ काम हो सकता है, उसे बहुत लोग बिला-लिहाज किसी बात के कर्मचारियों से मिल कर लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उस पर मकान बना लेते हैं। जब कमिश्नर या कारपोरेशन के अधिकारी उस पर कब्जा करना चाहते हैं, या उसे हटाना चाहते हैं, तो कानून इसकी इजाजत नहीं देता कि वह बनने वाले मकानों को भी रोक सकें।

[श्री राधा रमण]

इस बिल में कमिश्नर को अधिकार दिया गया है कि उस तारीख के बाद के जो अनआथाराइज्ज कंस्ट्रक्शन्स होंगी उनको हस्तक्षेप करके रोक सकता है। इस लिये इस बिल में जो भी संशोधन रखे गये हैं मैं उन प्राय: सब का अनुमोदन करना चाहता हूं।

दिल्ली का यह खास तौर पर दुर्भाग्य है कि जब से दिल्ली राजधानी बनी है यह तब से तमाम सरकारों के ख्यालों को, उनके तरीकों की, और उनकी नीतियों की शिकार बनती चली आयी है। जब हम अंग्रेजी सरकार के मातहत दिल्ली में जिन्दगी बसर करते थे, तो अंग्रेज दिल्ली की जनता को कुचलते थे, इसलिए कि वह यह समझते थे कि यह राजधानी है, यहां उन्हें पूरी तरह से हुकूमत करने का अधिकार होना चाहिए, वह समझते थे कि यह एक मरकज है और अगर इसमें किसी किस्म की भी कमज़ोरी नजर आती है तो वह सारे हिन्दुस्तान में फैलती है। इसलिए दिल्ली की जनता अंग्रेज के जमाने में दबी रही।

जब हमारी अपनी सरकार बनी तो हमको ख्याल हुआ कि दिल्ली की जनता को वह तमाम आराम और अधिकार मयस्सर होंगे जो हिन्दुस्तान की दूसरी जनता को होंगे। चाहे आप इसको खुशकिस्मती कहिए, लेकिन बड़े लड़ाई झगड़े के बाद, इस सदन में बहुत बातचीत के बाद फैसला हुआ कि यहां पर सी० पार्ट्स जैसी हुकूमत कायम की जाए। वह हुकमत बनी और टूटी। इसके टूटने के कारणों में मैं नहीं जाना चाहता। इसमें कोई नेतृत्व का सवाल था, इस बात को तो श्री ब्रजराज सिंह जी ही कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि दिल्ली के मुताल्लिक सरकार का यह तरीका रहा है जिसको मैं मुनासिब नहीं समझता कि यहां एक पूर्णतया प्रजातंत्री शासन नहीं होना चाहिए। इस मामले में हमारा सरकार से सदा मतभेद रहा है, और हम अपने नेताओं को बराबर यह समझाते रहेंगे कि दिल्ली की जनता में और बाकी हिन्दुस्तान की जनता में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। बल्कि यहां की जनता के पक्ष में एक बात जो कही जा सकती है वह यह है कि यहां की जनता ज्यादा जिम्मेदार है और अपने तरीकों से अपने शासन को मजबूत बना सकती है और इस मामले में जब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी हम अपनी आवाज को उठाते रहेंगे।

स्टेट्स रिआरगेनाइजेशन कमीशन ने तमाम हिन्दुस्तान के सूबों की जब शक्ल बनायी उस वक्त उन्होंने अपनी राय के मुताबिक दिल्ली के लिए यह फैसला किया कि यहां एक बहुत मजबूत कारपोरेशन होना चाहिए। उसमें भी एक बेइन्साफी--मैं कहूंगा--यह की गयी कि कुछ हिस्से को बाहर रखा गया। बहरहाल हमको वह कारपोरेशन मिला। उससे ताल्लुक रखने वाले कानून में बहुत सारी त्रुटियां थीं। उन्हें उस वक्त भी सुझाया गया और बाद में भी हम बराबर सुझाते रहे हैं, और अब जो संशोधन आया है, बावजूद इसके कि इसकी सीमा परिमित है, हम उस बारे में कुछ अपनी राय का इजहार कर रहे हैं।

मैं यह समझता हूं कि इस वक्त जो कारपोरेशन दिल्ली को मिला हुआ है उस जैसा कारपोरेशन दुनिया के किसी और शहर को नहीं मिला। आपको इस तरह के कारपोरेशन की दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। दुनिया में ऐसा कारपोरेशन शायद होगा जिसमें अरबन और रूरल एरिया को मिला दिया गया हो। कोई कारपोरेशन इतने बड़े एरिया के लिए नहीं है। एक तरफ उसके अख्तियारात सीमित हैं और दूसरी तरफ उससे बड़ी बड़ी उम्मीदें की गयी हैं। बहरहाल इन तमाम सीमाओं के रहते हुए भी चार साल तक यह कारपोरेशन चला। उसके बहुत से फायदे हैं और नुकसान भी हैं उनमें मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता। दिल्ली की जनता की यह बदकिस्मती है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जाती। कारपोरेशन ने जो अब तक काम किया है वह दिल्ली की जनता की उन मांगों

का कोई इलाज नहीं है जो हमेशा से उनके सामने रही हैं, इसलिए जरूरत इस बात की है कि बहुत जल्द पिछले तजरबे की बिना पर इस कानून में मुनासिब संशोधन किये जायें ताकि दिल्ली की जनता को आराम और राहत मिल सके और वह कह सके कि जैसे तमाम हिन्दुस्तान में प्रजातंत्री तरीके से अपनी हुकूमत चलती है दिल्ली में भी ऐसा ही शासन है जिसमें हम अपनी किस्मत के खुद मालिक हैं, जो कि वह आज नहीं कह सकते ।

कारपोरेशन दिल्ली में लागू हुआ और उसकी जो सीमाएं थीं उनके रहते हुए भी उसको पूरे तौर पर काम करने का मौका नहीं मिला । दिल्ली की सब से बड़ी बदकिस्मती यह रही है कि पिछले दस सालों में यहां पर कोई निजाम ठीक से नहीं चल पाया । आप दिल्ली के पिछले दस साल के इतिहास को देखें तो आपको मालूम होगा कि यहां किसी एक निजाम को काफी समय तक नहीं चलने दिया गया । एक फैसला होता है और उसके मुताबिक अमल होता है । और उसके कुछ ही समय बाद दूसरा फैसला होता है और दूसरी चीज को लाया जाता है । इसका नतीजा यह होता है कि यहां की तरक्की रुक जाती है या नहीं होने पाती । इस सिलसिले में मैं आपको यहां के स्लम्स का उदाहरण देना चाहता हूं । हमारी कुछ ऐसी बस्तियों का प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने दौरा किया और उन्होंने देखा कि दिल्ली की जनता में चार पांच लाख लोग हैवानों से भी बदतर जिन्दगी बसर कर रहे थे । उनकी ख्वाहिश थी कि इन लोगों को इस तरह की जिन्दगी से निकालने का जल्द से जल्द इन्तिजाम किया जाये । नतीजा यह हुआ कि स्लम के लिए काम शुरू हो गया । लेकिन साल डेढ़ साल बाद इस काम को म्युनिसिपल कारपोरेशन को दे दिया गया । यह एक मिसाल नहीं है, ऐसी काफ़ी मिसालें आपको मिलेंगी । इसलिए मेरी दरखास्त है कि आप दिल्ली की जनता के लिए किसी एक निजाम को रहने दीजिए और काफी समय उसको चलने का मौका दीजिये और देखिये कि हम क्या कर सकते हैं । आज सूरत यह है कि बार बार तबदीलियों की वजह से दिल्ली की तरक्की रुकी हुई है और मैं बहैसियत एक प्रतिनिधि के अदब से मिनिस्टर साहब से दरखास्त करना चाहता हूं कि जो यह जल्दी जल्दी यहां शासन को बदलते हैं इससे दिल्ली का बड़ा नुकसान हो रहा है । आपने एक स्टेट बनायी, चार साल बाद उसको तोड़ दिया । फिर आपने कारपोरेशन बनाया । आज आप कारपोरेशन में ऐसी तबदीलियां करें जिनका जनता की जिन्दगी से वास्ता हो और जो उसकी जरूरतों को पूरा करती हों । अगर आप ऐसा न करेंगे तो लाजिमी तौर पर देहली की जनता को तकलीफ में डालेंगे । आप एक निजाम को कुछ समय तक काम करने दीजिये ताकि लोग उससे अपने को एडजस्ट कर सकें ।

मैं अदब से दरखास्त करता हूं कि इस वक्त जो आप अमेंडमट लाये हैं उनको मैं कबूल करता हूं और जितने भी अमेंडमेंट हैं वे निहायत जरूरी हैं । कारपोरेशन ऐक्ट का जो हमारा चार साल का तजरबा है और उसमें जो हमको तकलीफें और नुकसान हुए हैं उनको दूर करने के लिए ये अमेंडमेंट जरूरी हैं । गवर्नमेंट को आज उन लोगों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो हमारी हमदर्दी के मोहताज नहीं हैं । अगर किसी गरीब आदमी को झुग्गी झोंपड़ी मिल जाये, या मकान मिल जाये या कोई और रियायत मिल जाये तो हर आदमी को खुशी होगी, लेकिन यहां ऐसे आदमी हैं जिनको सैंकड़ों रुपया मयस्सर है और जो मकान बना सकते हैं और उन मकानों का किराया खा रहे हैं, वे आज धमकी से और कर्मचारियों से मिल कर मकान खड़ा कर लेत हैं और क्योंकि अभी कमिश्नर को अख्तियार नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का । इसलिए मैं समझता हूं कि जो अमेंडमट लाये गये हैं वे जरूरी हैं ।

कारपोरेशन ऐक्ट पास होने के मौके पर यह बात कही गयी थी कि शहर के तमाम वार्डों में और जोन्स में जोनल कमेटियां बनायी जायेंगी जिनका वहां के रहने वालों से और उनकी

[श्री राधा रमण]

आवाज के मुताबिक हमारे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर अमल करेंगे और इस तरह उनमें ऐसा रिश्ता कायम हो जायेगा जिससे कारपोरेशन अच्छी तरह काम कर सकेगा । लेकिन ऐसा नहीं हो रहा । हम देखते हैं कि इस वक्त कारपोरेशन के मेयर को गुड्डा बनाकर बिठा दिया गया है । उसको कोई अधिकार नहीं है । अगर वह जनता के किसी काम को करवाना चाहे तो नहीं करवा सकता जब तक कि कमिश्नर वैसा न करना चाहे । उनको कमिश्नर की तरफ देखना होता है ।

इसी तरह से जो जनता के प्रतिनिधि कारपोरेशन में जाते हैं वे अपने खयालात का इजहार अपने जमीर के मुताबिक करते हैं, लेकिन उस राय पर जब अमल का वक्त आता है तो उनके हाथ कटे होते हैं ।

इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसने जो हमको अलग अलग शक्लों में शासन दिया उससे हमारी समस्याओं का हल निकलने के बजाये हमारी तकलीफें बढ़ी हैं । पार्लियामेंट के चन्द मेम्बरान इसको ठीक नहीं समझते हैं कि यहां दिल्ली को एक स्टेट बनाई जाय और उनका खयाल है कि इस तरह से मरकज को कमजोर करना बुरा है और हमारा काम मरकज को कमजोर करना नहीं बल्कि मजबूत करना होना चाहिए । दिल्ली में एक ऐसा प्रशासन कायम किया जाय जिससे कि मरकज से उसका टकराव न हो । मैं उन अपने माननीय मेम्बरों से जोकि इस खयाल के हैं गुजारिश करूंगा कि आज दिल्ली वालों को जो अनेकों तकलीफें हैं उनको रफा करने के वास्ते वह गौर करें और कोई ऐसी शकल निकालें कि जो यह रोजाना की घड़ी घड़ी दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में तबदीलियां होती रहती हैं वह न हों और हम दिल्ली वालों के लिए एक ऐसा ढांचा तजवीज करें जोकि बगैर तबदील हुए ५–१० साल अमल में आये । लोगों में एक विश्वास आये कि अब जल्दी जल्दी तबदीली होने वाली नहीं है ।

मैं श्री ब्रजराज सिंह के इस विचार की भी हिमायत करता हूं कि चूंकि दिल्ली की आबादी बहुत अधिक हो गई है और निकट भविष्य में और भी अधिक होने वाली है और जहां पहले १९ लाख होती थी वहां अब करीब २६–२७ लाख हो गई है और शायद ६ महीने में ५०,००० और बढ़ जायगी और इसलिए दिल्ली कारपोरेशन के मेम्बरों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए । मुझे तो कारपोरेशन के सदस्यों की संख्या बढ़ाने में कोई कठिनाई नजर नहीं आती है और आज ही वह संशोधन मंजूर किया जा सकता है । हम इसकी तादाद १०० कर दें और मैं समझता हूं कि कारपोरेशन के मेम्बरों की तादाद १०० कर देने से हम जनता को ज्यादा खुश कर सकते हैं और उनका प्रतिनिधित्व आ सकता है और कारपोरेशन के इंतजाम में भी शायद बेहतरी कर सकते हैं । इन चन्द अल्फाज के साथ यह जो संशोधन विधेयक मिनिस्टर साहब ने हमारे सामने रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि जिन बातों की तरफ मैं ने और अन्य माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है सरकार उनको अपने ध्यान में जरूर रक्खेगी ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । आज से लगभग ३ $^{1}/_{2}$ वर्ष पूर्व दिल्ली नगर निगम अधिनियम बनाया गया था । इस अधिनियम में लगभग ५१५ धाराएं हैं । जब यह अधिनियम पारित किया गया था, तब स्वर्गीय श्री पंत ने जो उस समय गृह-कार्य मंत्री थे, बहुत से आश्वासन दिये थे । इस अधिनियम का हमें ३ $^{1}/_{2}$ वर्ष का अनुभव प्राप्त हो चुका है । ८६ निर्वाचित सदस्य प्रशासन कार्य चला रहे हैं । इस निगम में प्रधानतः तीन राजनैतिक दल हैं । इन राजनैतिक दलों की एक तदर्थ समिति बनाई गई थी जिसने कुछ सर्व-सम्मत सिफारिशें निगम

†मूल अंग्रेजी में

को दी हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन सिफारिशों को इस संशोधन विधेयक में शामिल कर लिया गया है । मेरा निवेदन है कि उन सिफारिशों में से बहुत सी सिफारिशों को इस संशोधन विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस विधेयक पर, जिसका प्रभाव दिल्ली की जनता पर पड़ेगा, नगरपालिका के सदस्यों द्वारा विचार किया गया है । यदि उनके द्वारा इस पर विचार किया गया है तो उनके विचार क्या हैं यह भी सभा को बताने चाहियें । उस तदर्थ समिति ने सिफारिश की थी कि आयुक्त के अधिकार कम से कम किये जायें लेकिन हम यहां देखते हैं कि उसके अधिकार और भी बढ़ाये गये हैं । यहां हम देखते हैं कि सारा प्रशासन आयुक्त द्वारा ही चलाया जाता है । विगत समय में आयुक्त ने मनोनीत शक्तियां प्राप्त कर ली थीं ।

जहां तक नगरपालिका के चुनावों का संबंध है हमारे राजनैतिक दल ने गृहकार्य मंत्रालय को एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें कहा है कि नगरपालिका तथा आम चुनाव एक साथ हों। यदि यह संभव नहीं है तो कम से कम इन दोनों चुनावों में छः महीने का अन्तर होना चाहिये। जब कि बम्बई और कलकत्ते में निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन नहीं किया गया है तो वह दिल्ली में भी आवश्यक नहीं है। मतों को बांटकर डालने की अपेक्षा एक साथ डालने की पद्धति चालू की जाये।

साईकिल चूंकि जन सधारण की सवारी है अतः उस पर कोई कर नहीं लगाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि दिल्ली नगर निगम को भी अधिक अधिकार दिये जायें। इसके सदस्यों की संख्या भी ८६ से बढ़ाकर १०० कर देनी चाहिये। मूल अधिनियम में भी यह व्यवस्था की गई है कि इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक १०० तक हो सकती है। दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर यह आवश्यक है कि इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर १०० की जाये। अनधिकृत मकानों को गिराकर उसके मालिक को अपील करने का अधिकार देने से कोई लाभ नहीं होगा। इससे तो इस अधिकार का अधिक दुरुपयोग होने की ही संभावना है। दिल्ली परिवहन उपक्रम के पास इस उपक्रम के कर्मचारियों को ही नहीं वरन् नगरपालिका के सभासदों, और समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को तथा नगरपालिका के कर्मचारियों को भी दिये जायें।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये।

**श्री नवल प्रभाकर** ( बाह्य दिल्ली–रक्षित–अनुसूचित जातियां ) : सभानेत्री जी, जहां तक इस बिल के क्लाज़ २ का संबंध है, उस से मैं पूर्णतया सहमत हूं, क्योंकि पिछली बार हम ने देखा कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाने की वजह से काफी कनफ्यूज़न हो गया। असल बात तो यह है कि सोचा तो यह गया था कि अन्य पार्टियां अपने चुनाव का घोषणापत्र रखेंगी और उस के अनुसार मतदाताओं से वोट मांगेंगी। लेकिन हुआ इस के विपरीत और उम्मीदवार अपने सब साथियों को छोड़ कर केवल एक ही मत प्राप्त करने की कोशिश करने लगे, जिस की वजह से नगर निगम का ढांचा बड़ा विचित्र नज़र आ रहा है। इसलिये जो यह संशोधन हो रहा है, मैं उस का पूरा तरह से समर्थन करता हूं।

क्लाज़ ८ के संबंध में मुझे यह कहना है कि मुझे यह बड़ा विचित्र लगता है कि सरकार द्वारा बनाई हुई जो सम्पत्ति, जो मकान विस्थापितों को दिये गये हैं, वे अभी उन के मालिक नहीं बने हैं ; लेकिन इस क्लाज़ के द्वारा हम यह अधिकार देने जा रहे हैं कि उन लोगों से ७ अप्रैल, १९५८ से हाउस टैक्स वसूल किया जायगा। यह सरासर अन्याय है और मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि जो लोग स्वयं मालिक नहीं हैं, जिन के पास आज मकानों का सेल डीड नहीं है, जो मालिक क़रार नहीं दिये गये हैं, उनके विषय में हम यह तय करे कि उन से ७ अप्रैल, १९५८ से हाउस टैक्स

[श्री नवल प्रभाकर]

लेंगे, यह मुझे बिल्कुल न्यायपूर्ण मालूम नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर पुनर्विचार क । हम ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि जिस दिन से यह एक्ट लागू हो, उस दिन से यह हाउस टैक्स वसूल करें।

इस संबंध में एक निर्णय हाई कोर्ट ने दिया है और उसने कहा है कि किसी भी विस्थापित से जोकि उसका मालिक नहीं है, टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। यह उसने स्पष्ट रूप से कहा है। जब हाई कोर्ट का यह निर्णय है और उसको हम यहां पर बदलते हैं तो एक बड़ी ही विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी और एक प्रकार से संघर्ष छिड़ जायेगा जबकि कारपोरेशन के लोग अंधाधुंध इस बात में लग जायेंगे कि उन से टैक्स वसूल किया जाये और एक आपाधापी सी मच जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि ७ अप्रैल १९५८ को बदल कर उस दिन से इसको लागू करें जिस दिन यह एक्ट लागू हो। मैं आशा करता हूं कि मेरी इस प्रार्थना को माननीय मंत्री जी अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

अब मैं क्लाज १० पर आता हूं। यह हाउस टैक्स के एसेसमेंट से ताल्लुक रखती है। मैं ने देखा है कि अलग अलग तरह की बातें होती हैं। होना यह चाहिये कि जितनी मकान की वैल्यू हो सकती है उसके हिसाब से एसेसमेंट हो लेकिन होता यह है कि एक ही जगह पर एक मकान का हाउस टैक्स अगर एक सौ रुपया लिया जाता है तो उसके पास में जो दूसरा मकान है जो उसी तरह का है, उसी कैटेगरी का है, उसके मालिक से पचास रुपये ही लिए जाते हैं। इसके बारे में मैंने पार्लियामेंट में सवाल भी उठाया था और मुझे बताया गया था कि इसमें कोई अनेकता नहीं है, एकता ही है और सब से एक जैसा लिया जाता है। मैं कारपोरेशन के इलाके में रहता हूं और मुझे मालूम है कि एक बस्ती से सात रुपये पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से लिया जाता है और उसके साथ लगी हुई दूसरी बस्ती से १३ रुपये पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से वसूल किया जाता है। यह सरासर अन्याय है। इस तरह के केसिस की तरफ कारपोरेशन के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिये।

जहां तक गाय पर टैक्स का सवाल है जो संशोधन पेश किया गया है उसकी मैं पूरी तरह से हिमायत करता हूं। बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि जो दुधारू पशु हो उसके लिये एक पशु की छूट तो होनी ही चाहिये फिर चाहे वह गाय हो या भैंस हो। आपने एक गाय की छूट दे दी है। अब गाय साधारणत : सात आठ नहीने ही दूध देती है और चार पांच महीने नहीं देती है। इन चार पांच महीनों के लिये भी अगर वह आदमी उस गाय को न रखे तो क्या करे? जिस गाय की उसने बराबर सात आठ महीने सेवा की है, क्या वह उसको सस्ते में बेच सकता है? अगर वह उसको बेच देता है तो उसके बदले में दूसरी दुधारू गाय या भैंस वह ले आयेगा। इसलिए एक दुधारू पशु पर तोछूट होनी ही चाहिये और अगर उसके पास दूसरा पशु है जोकि दूध नहीं देता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स न लिया जाए।

अब मैं क्लाज १६ पर आता हूं यह सबसे अधिक खतरनाक क्लाज़ है। इसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि होना यह चाहिये था कि कोई इस तरह का इसमें प्रावीज़न रखा जाता, कोई इस तरह का प्रबन्ध किया जाता कि जो कर्मचारी नाजायज़ तौर पर मकान बनने देते हैं उनको हम सज़ा देने की व्यवस्था करते। आज अवस्था यह है कि एक मामूली सा ओवरसीयर जब जाता है तो वह पैसा जाकर ठहरा लेता है और जो रेट इसका है वह दिन-प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले यह रिश्वत बीस रुपया प्रति कमरा के हिसाब से ली जाती थी और आज यह बढ़ते बढ़ते सौ रुपया प्रति कमरा पहुंच गई है। अब जो आदमी कानून का पालन करता है और नक्शा मकान

बनाने का देता है और कहता है कि उसको मकान बनाने की आज्ञा दी जाए, तो उसका नक्शा पास नहीं किया जाता है और उसको अनेकों प्रकार से तंग किया जाता है। मैंने यहां तक देखा है कि अगर मकान का नक्शा पास भी कर दिया जाता है तो उससे पास करने की रिश्वत मांगी जाती है और वह रिश्वत नाजायज़ मकान बनाने की अपेक्षा अधिक होती है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि लोग इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि नाजायज़ तरीके से मकान बनाये जायें क्योंकि उसमें पैसा कम लगता है जबकि जायज़ तरीके से मकान बनाने में पैसा अधिक देना पड़ता है।

अब आप जायज़ ढंग से मकान बनाने की बात को सुन लीजिए। जायज़ मकान बनाने के लिये पहले तो नक्शा उसको बनवाना पड़ेगा और दो तीन सौ रुपया नक्शा बनाने वाले को देना होगा। इसके बाद दूसरी स्टेज आयेगी जबकि नक्शा पास होने के लिये कारपोरेशन के पास जायेगा। वहां पर कोई न कोई खामी निकाल करके उसको रिजैक्ट कर दिया जायेगा और अगर नक्शा पास भी हो गया तो जो एजेंट है जो उसको लेकर जायेगा वह उससे कहेगा कि तुम्हारा नक्शा पास हो गया है लाओ क्या देते हो। वह उससे फीस लेगा। नक्शा पास करने की कारपोरेशन की फीस अलग है और वह भी उसको देनी पड़ती है। आर्किटैक्ट की फीस इससे अलग है। अब इस सब के अलावा उसको रिश्वत देने के लिये मजबूर किया जाता है। इस तरह से उस पर तिहरा टैक्स लगता है। इस सब से बचने के लिये वह सोचता है कि नाजायज़ मकान बना लो और इसमें किफाइत हो जाएगी। अब किस तरह से किफायत होती है, यह भी आप सुन लीजिए। ओवरसीयर आता है और मकान बनता हुआ देखता है और सौदा तय कर लेता है और पैसा लेकर चला जाता है। जा कर वह फाइल में जरूर लिख देता है कि वहां एक मकान बन रहा है लेकिन फाइल को दबा कर रख छोड़ता है। जब उसकी ट्रांसफर होती है और सारी फाइलें निकाल कर दूसरे को हैंड ओवर करता है तो कह देता है कि तुम पुलिस को साथ लेकर चले जाना और उस मकान को गिरवा देना। अगले दिन पुलिस चली जाती है उस मकान को तोड़ने के लिये तो वह कहता है कि मैं ने तो पैसा दिया है और यह हालत कैसे हो गयी है। मैं आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र की ही बात बतलाता हूं। थोड़े दिनों की यह बात है। एक मकान बनाने के लिये सात सौ रुपये तय किये गये। उसने चार सौ रुपये तो दे दिये और तीन सौ नहीं दिये। अब तीन सौ नहीं दिये तो पुलिस और मकान तोड़ने वाला जो डिमालिशन स्क्बैड था वह वहां चला गया और उसने मकान को तोड़ने का नाटक रचना शुरू किया। उस समय कहा गया कि सात सौ रुपये तै हुए थे और तीन सौ रुपये दिये नहीं गये हैं। वह आदमी बाकी के तीन सौ रुपये भी दे देता है और कह देता है कि मेरी जान छोड़ो। यह तीन सौ रुपया सैकड़ों आदमियों के सामने दिया जाता है और कारपोरेशन के कर्मचारी उसको लेकर चले जाते हैं। इससे आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि हालत कितनी खराब हो चुकी है। मैं चाहता हूं। कि संसद् के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाए जो इस सारे मामले की जांच पड़ताल करे और कोई उपाय सुझाये। जनता आज इस कारपोरेशन से परेशान है और यह कारपोरेशन उसकी परेशानी का बायस बन रही है। मैं चाहता हूं कि उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए जोकि इस तरह से कोरप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं।

मैं एक और मिसाल देना चाहता हूं। एक मकान बन रहा था। डिप्टी कमिश्नर को टेलीफोन पर सूचना दी गई कि यह नाजायज़ मकान बन रहा है और इसको रोका जाए। उन्होंने हुक्म दिया कि यह जो नाजायज़ मकान बन रहा है, इसको रोक दो। यह बात उन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर को बुला कर कही। लेकिन वह बनना रुका नहीं। जब दुबारा उनसे कहा गया तो उन्होंने कह दिया इंजीनियर को कि जा कर देखो और इसको रोको। लेकिन फिर भी वह बनना रुका नहीं। लोगों ने फिर टेलीफोन पर कहा कि मकान बनता चला जा रहा है तो उन्होंने जरा और जोर से कहा कि इसका

[श्री नवल प्रभाकर]

बनना रोक दो लेकिन इतने में मकान बन गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह कैसे बना तो उनको कह दिया गया कि सार्टिफिकेट दे दिया गया है, रेग्युलराइज़ कर दिया गया है और उस पर पच्चीस रुपया जुर्माना कर दिया गया है और यह जुर्माना वसूल भी कर दिया गया है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक अनियमिततायें बढ़ गई हैं, किस हद तक भ्रष्टाचार बढ़ गया है और इसके बीच में दिल्ली की जनता पिस रही है। इसका निराकरण होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि संसद सदस्यों की एक कमेटी बैठे जो जाकर इस समस्या का गहराई से अध्ययन करे और पता लगाये कि यहां की जनता की क्या क्या परेशानियां हैं।

आज कारपोरेशन दो भागों में विभक्त है, एक देहाती और दूसरा शहरी। देहातों में पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे। उसके मुकाबले में मैं मानता हूं कि आज ज्यादा रुपया देहातों में खर्च किया जाता है ज्यादा सहूलियतें देहातों को दी जा रही हैं। सड़कें भी कुछ अधिक बन गई हैं। लेकिन जो हालत स्कूलों की है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जांनपुर में जो महरौली में है स्कूल जरूर है और बच्चे आते हैं और बैठते हैं लेकिन वहां पर कोई मास्टर नहीं है। मेरे ही इलाके में एक डुराड़ी गांव के अन्दर एक स्कूल है। । वह लगता जरूर है लेकिन मास्टर नहीं आता है। मास्टर इसलिये नहीं आता है कि वह कहता है कि पैंट भीग जाएगी क्योंकि आजकल बरसात के दिन हैं।

†**सभापति महोदय** : ये सब इस विधेयक के अधिकार से बाहर हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : इसके अलावा उन्हें अपनी मांग रखने का और कोई अवसर नहीं मिलेगा।

**श्री नवल प्रभाकर**: मैं तो इसी लिये कारपोरेशन के बारे में कह रहा हूं।

†सभापति महोदय : माननीय सदस्य इस संशोधन विधेयक के खंडों के बारे में ही चर्चा करें।

**श्री नवल प्रभाकर**: तो मैं इसको अभी छोड़े देता हूं, फिर कभी वक्त आएगा तो कहूंगा

**सभापति महोदय** : जब इलेक्शन आवे तब कहिएगा।

**श्री नवल प्रभाकर** : मैं यह कहना चाहता हूं कि कारपोरेशन दो भागों में विभक्त है। आज हालत यह है कि जो गांव का इलाका है उसमें मकान बनाना बिल्कुल रोक दिया गया है। इस बारे में बार बार प्रार्थना की गयी है। दिल्ली में एक एडवाइजरी कमेटी है। उसकी तरफ से कहा गया है कि गांवों के अन्दर यह प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए लेकिन कहा जाता है कि वहां प्रतिबन्ध रखा जाना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि गांवों को इस कारपोरेशन की हद से निकाल देना चाहिये।

आज गांवों में पंचायतें हैं लेकिन वे ठीक तरह से काम नहीं कर पातीं। एक तरफ कारपोरेशन उनके काम में अड़ंगा लगाता है, दूसरी तरफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन अड़ंगा लगाता है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी कारपोरेशन के अधिकारियों को लिखते हैं और कारपोरेशन के अधिकारी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को लिखते हैं, टेलीफोन पर बात करते हैं, फाइलें इधर से उधर आती जाती हैं, लेकिन गांवों की हालत इतनी बुरी हो गयी है कि कोई काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा, न ब्लाक का काम चलता है, न पंचायतों का काम चल रहा है। न कारपोरेशन काम

---

†मूल अंग्रेजी में

करता है और न दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गांवों को इनके बीच से निकाल कर एक जिला परिषद् बना दी जाए और उसके नीचे पंचायत समितियां आदि बना दी जाएं ताकि गांवों का अलग से इन्तिजाम हो सके। आज गांवों की जनता को कारपोरेशन में विश्वास नहीं रह गया है। वे अनुभव करने लगे हैं कि हमको कारपोरेशन की जरूरत नहीं है।

सोचा तो यह था कि कारपोरेशन की वजह से ड्रैनेज अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसा कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने कहा आज हालत यह है कि गांवों में खेतों में पानी भरा पड़ा है। उसे निकालने का कोई इन्तिजाम नहीं है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि यह कारपोरेशन का काम है और कारपोरेशन कहता है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हमारी समझ में नहीं आता कि यह किसका काम है। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इस बात को देखे कि कौन जिम्मेदार है।

श्री मधोक ने जो प्रस्ताव रखा है प्रवर समिति को भेजने का उसका मैं विरोध करता हूं और चाहता हूं कि यह बिल पास हो जाए।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : खंड ८ मूल अधिनियम की धारा ११९ में संशोधन करती है। जिन विस्थापितों को मकान आदि का मालिकाना अधिकार मिल गया है उन्हें भी कर देना चाहिए। यह इस खंड का उद्देश्य है। लेकिन मेरा निवेदन है कि सरकार को विधेयक के खंड ८ के उप-बन्धों पर पुनर्विचार करना चाहिये। उसे इस खंड में इस प्रकार संशोधन करना चाहिये कि धारा "२०" शब्दों के बाद "(१)(अ) और (घ)" शब्द जोड़ दिये जायें ताकि धारा २०(१)(ख), २०(१)(ग) और २०(१)(ङ) के अन्तर्गत आने वाले मुकदमों पर यह उपबन्ध लागू हो। वर्तमान उपबन्ध अनुचित ही नहीं है वरन् उससे काफी गड़बड़ी पैदा होगी और संभव है कि इस विधान का कुछ भाग असंवैधानिक करार दिया जाये। विस्थापित व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत पट्टेदार का अर्थ किरायेदार भी होता है और यदि किरायेदार को कर देने के लिये उत्तरदायी बनाया गया तो यह पक्षपात होगा। किसी निजी मालिक या सरकारी सम्पदा के किरायेदार को मकान का कर या अन्य कर नहीं देना पड़ता।

अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। वरना इससे बहुत सी जटिलतायें उत्पन्न हो जायेंगी।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : दिल्ली में लोकप्रिय सरकार का बनाना या दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम का लागू करना आदि सामान्य प्रश्नों के बारे में जो विचार व्यक्त किये गये हैं या सुझाव दिये गये हैं, वे वर्तमान विधेयक के क्षेत्र से बाहर हैं।

जहां तक नगर निगम से राय लेने की बात है हमने सभी संशोधनों के बारे में उनकी राय ले ली है। उन्होंने कुछ सुझाव रखे थे उनको इस विधेयक में सम्मिलित कर लिया गया है। हमने दिल्ली परामर्श समिति से भी सलाह ली है। उसी के बाद इस वर्तमान विधेयक को प्रस्तुत किया गया है।

निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन दिल्ली नगर निगम के अनुरोध पर किया जा रहा है। उसने १३ जनवरी, १९५९ को इस आशय का एक संकल्प पारित किया था। इसलिये उसने इस विषय में पहल की और हम उसकी इच्छा के अनुसार-कार्य कर रहे हैं। यह संकल्प बहुमत से पारित किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

जहां तक श्री अजित सिंह सरहदी का प्रश्न है मैं बता देना चाहता हूं कि बिजली, पानी आदि सेवाओं के लिए करों के भुगतान का दायित्व, स्वामित्व के हस्तांतरण पर ही निर्भर नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण बात है कब्जा। जब तक किसी व्यक्ति का किसी सम्पदा पर कब्जा होगा उस समय तक वह उसे उपलब्ध हुई सुविधाओं के लिये भुगतान करने का उत्तरदायी रहेगा। इसमें न तो कोई अन्याय है और न कोई पक्षपात।

मेरा अपना विचार है कि इस सभा के कोई भी सदस्य इस पक्ष में नहीं होंगे कि अनधिकृत रूप से मकान बनाये जायें। इसलिये जहां कहीं भी अनधिकृत मकान आदि बनाये गये हों, वे गिराने होंगे। निर्णीत तथ्यों का सिद्धान्त वहीं लागू होता है जहां निर्माणकार्य अनधिकृत न हो।

जहां तक अधिकारों की बात है। आयुक्त के अधिकार तो कार्यपालिका सम्बन्धी हैं और मेयर के अधिकार स्वेच्छिक।

सरकार गाय या भैंस में से किसी एक के बारे में छूट देने के लिए तैयार है लेकिन दोनों के बारे में नहीं। गाय पर अधिकतम कर ३० रुपये है। आजकल निगम प्रति गाय पर १० रुपये कर ले रही है। अगर किसी मालिक ने एक से अधिक गाय या भैंस रखी तो इसका अभिप्राय यह होगा कि वह व्यापारिक दृष्टि से वे जानवर रखना चाहता है अतः सभी पर कर लगेगा।

साइकिलों के कर में छट देना बड़ा कठिन है। मद्रास में भी साइकिलों पर कर लगता है।

अन्त में मैं कहूंगा कि मैं दोनों ही प्रस्तावों का कि इसे प्रसारित किया जाय तथा प्रवर समिति को सौंपा जाय, विरोध करता हूं।

†**सभापति महोदय** : मैं पहले प्रसारित करने वाले प्रस्ताव को मतदान के लिये रखूंगा।

**सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

†**सभापति महोदय** : विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये दो प्रस्ताव आये हैं। मैं दोनों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २४ और १ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम १९५७, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

कि खंड २ विधेयक का अंग बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : मैं संशोधन संख्या २, ३, ४, ७, ८, ९ और २२ को नियम वाह्य घोषित करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : अब खंड ३ से १५ तक को लेंगे । माननीय सदस्य इन खंडों पर अपने संशोधन एक साथ ही प्रस्तुत कर सकते हैं ।

†**श्री तंगामणि** : मैं संशोधन संख्या १२, १३, १४, १६, १८, १९, २० और २१ प्रस्तुत करता हूं ।

मेरा सुझाव है कि बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कायम रखे जायें । इनमें इकट्ठ मतदान प्रणाली हो । यह बहुत अच्छी परिपाटी है । जो भी उम्मीदवार निर्वाचित होगा उसे बहुत से मतदाताओं का आदर व समर्थन प्राप्त होगा । इससे साम्प्रदायिक भावनाओं को उभाड़ने से रोक ल गेगी । और वस्तुतः यह प्रथा बम्बई और श्रीलंका में विद्यमान है ।

संशोधन १४ के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने यह संकेत दिया है कि वह भैंस को भी छूट दे रहे हैं इससे मेरा मन्तव्य हल हो गया है ।

साइकिलों को करों से छूट दी जाय । निगम के पास अपनी आय के बहुत से जरिये हैं । इसमें रियायत देने से आम जनता को बहुत लाभ होगा ।

धारा १६४(१) से "दो तिहाई" शब्द निकाल दिय जायें ।

जहां तक दिल्ली परिवहन उपक्रम का सम्बन्ध है मेरे विचार से इसके पास न केवल उपक्रम के कर्मचारियों को ही जारी किये जायें अपितु नगरपालिका के सदस्यों, सभासदों तथा समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को पास देने का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाय क्योंकि इस सम्बन्ध में संवाददाताओं को अभी हाल कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ।

विद्युत् के संचित संभरण के सम्बन्ध में जो संशोधन रखा गया है उसके लिये माननीय मंत्री बधाई के पात्र हैं ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर): मैं श्री तगामणि के संशोधन का विरोध करता हू और मैं श्री बलराज मधोक की बात से भी सहमत नहीं हूं कि कलकत्ता में द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हैं । वस्तुतः कलकत्ता में सभी निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय हैं और हम वर्षों के अनुभव के बाद इस निष्कर्ष पर पहुचे हैं कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के मुकाबले अच्छे होते हैं । इस सम्बन्ध में प्रवर समिति की सिफारिश मानी जानी चाहिये ।

†**श्री बलराज मधोक** : मैं सशोधन सख्या ५ और ६ प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा ११९ का क्षेत्र न बढ़ाया जाय अपितु उसे बिल्कुल निकाल दिया जाय । सरकार को चाहिये कि वह अपनी सम्पत्ति पर से जो कि सरकारी कर्मचारियों को किराये पर दी गयी है और जिससे अब बहुत अधिक किराया आने लगा है निगम को कर देवे । यदि सरकारी सम्पत्ति पर कर नहीं लगाया जा सकता है तो विस्थापित व्यक्तियों की सम्पत्ति पर भी कर नहीं लगाया जाना चाहिये । मेरे विचार से यदि यह धारा निकाल दी जाती है तो पुनर्वास मंत्रालय ऐसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण शीघ्रता से कर सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बलराज मधोक]

मैं चाहता हूं कि साइकिलों को कर से मुक्त कर दिया जाय । निगम को इससे विशेष हानि नहीं होगी और लोग भी प्रसन्न हो जायेंगे । मेरा यह सुझाव है कि दूध देने वाले पशुओं को कर से मुक्त किया जाय ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं श्री बलराज मधोक के इस प्रस्ताव से सहमत हूं कि दिल्ली में साइकिलों को कर से छूट मिलनी चाहिये तथापि हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि दिल्ली में साइकिलों पर सख्ती भी की जानी चाहिये जिससे कि साइकिल मालिक अपनी साइकिलों को ठीक रखें अन्यथा वह अपने तथा पैदल चलने वालों के लिये एक खतरा उपस्थित कर देते हैं ।

†**श्री दातार** : जहां तक बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का सम्बन्ध है मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में २२ द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हैं और १२ त्रिसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हैं । द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों तथा अन्य जातियों के लिये भी संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हैं । संसद सामान्य निर्वाचनों के बारे में जो निश्चय कर चुकी है उसके अनुसार इन द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों ने समाप्त होना ही है । प्रश्न यह है कि क्या बारह त्रिसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को बना रहना चाहिये । मेरे विचार से इन त्रिसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के बने रहने पर भी प्रयोजन हल नहीं होगा । वस्तुतः देश में जहां कहीं भी द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका विभाजन किया जा रहा है । अतः यह संशोधन थोड़े से निर्वाचन क्षेत्रों में लागू होगा । मैं अनुरोध करता हूं कि वे इस पर आग्रह नहीं करें ।

जहां तक साइकिलों का प्रश्न है उनको किस प्रकार गलत तरीके से चलाया जाता है इस सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र बता चुके हैं । मुझे स्वयं इस विषय का दुखद अनुभव है ।

केवल दिल्ली नगर निगम के अधीन २ लाख साइकिलें हैं । हम उन से केवल १ रु० वार्षिक प्रति साइकिल के हिसाब से कर लेते हैं । मेरे विचार से यह कर नाममात्र को है । इस कर को छोड़ने से दिल्ली नगर निगम को दो लाख रुपयों से हाथ धोना पड़ेगा । मैं भैंसों के सम्बन्ध में पहिले से ही रियायत कर चुका हूं । इस कर से छूट देने का परिणाम यह होगा कि दशा और भी खराब हो जायेगी । अतः मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता हूं । श्री मधोक का धारा ११९ को हटाने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता है । मैं इस सम्बन्ध में यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं ।

पृष्ठ ३, पंक्ति ३५ से ३८ और पृष्ठ ४, पंक्ति १ से ३ के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

"(d) a cow or a she-buffalo kept for milking for domestic use if the cow or the she buffalo is the only cow or she-buffalo kept by the owner or the person having possession or control thereof for such milking and is registered in accordance with by-laws made in this behalf, so, however, that—

(i) where more cows or, as the case may be, more she-buffaloes than one are kept by several such owners or persons constituting a family, the tax under this section shall be levied in respect of all such cows or all such she-buffaloe,

(ii) where a cow and also a she-buffalo are kept by the owner or the person having the possession or control thereof or by several such owners or persons constituting a family, the tax under this section shall be levied in respect of the cow and the she-buffalo."

---

†मूल अंग्रेजी में

["(घ) एक गाय अथवा भैंस, जो कि घर के उपयोग के लिये दूध प्राप्त करने को रखी गई हो, यदि उस मालिक अथवा व्यक्ति, जिसका उस पर अधिकार है, के पास दुहने के लिये केवल वही गाय या भैंस हो, तथा तदनुसार वह इस प्रयोजन के लिये बनाई गई उपविधियों के अधीन पंजीयित हो, तथापि यदि

(१) जहां ऐसे मालिक अथवा ऐसे व्यक्तियों, जो कि एक परिवार में रहते हों, के पास एक से अधिक गाय या भैंस हों, तो इस धारा के अधीन कर इन सभी गायों अथवा भैंसों पर लगेगा ।

(२) जहां ऐसे मालिक अथवा ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो एक परिवार में रहते हों ऐसी गाय अथवा भैंस रखी जाती है तो इस धारा के अधीन कर उस गाय अथवा भैंस पर लगेगा ।"] (२५)

†**सभापति महोदय** : मैं संशोधन संख्या १२ और १३ को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२ और १३ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खंड ५, ६ और ७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

†**सभापति महोदय** : मैं संशोधन संख्या ५ को मतदान के लिये रखता हूं ।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।**

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ८ विधेयक का अंग बने ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खंड ९ से १३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति ३५ से ३८, और पृष्ठ ४, पंक्ति १ से ३ के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :—

"(d) a cow or a she-buffalo kept for milking for domestic use if the cow or the she-buffalo is the only cow or she-buffalo kept by the owner or the person having possession or control thereof for such milking and is registered in accordance with by-laws made in this behalf, so, however, that—

(i) where more cows or as the case may be, more she-buffaloes than one are kept by several such owners or persons constituting a family, the tax under this section fhall be levied in respect of all such cows or all such shebuffaloes,

(ii) where a cow and also a she-buffalo are kept by the owner or the ersonshaving the possession or control thereof or by several such owners or persons constituting a family, the tax under this section shall be levied in respect of the cow and the she-buffalo."

["(घ) एग गाय अथवा एक भैंस, जो कि घर के उपयोग के लिये दूध प्राप्त करने को रखी गई है, यदि उस मालिक अथवा व्यक्ति, जिसका उस पर अधिकार है, के पास दुहने के लिये केवल वही गाय या भैंस हो तथा तदनुसार वह इस प्रयोजन के लिये बनाई गई उपविधियों के अधीन पंजीयित हो, तथापि यदि

(१) जहां ऐसे मालिक अथवा ऐसे व्यक्तियों, जो कि एक परिवार में रहते हों के पास एक से अधिक गाय या भैंस हों, तो इस धारा के अधीन कर इन सभी गायों अथवा भैंसों पर लगेगा ।

(२) जहां ऐसे मालिक अथवा ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो एक परिवार में रहते हों, ऐसी गाय अथवा भैंस रखी जाती है तो इस धारा के अधीन कर उस गाय अथवा भैंस पर लगेगा ।"] (२५)

**संशोधन स्वीकृत हुआ**

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६, १६, १८ और १९ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड १४, संशोधित रूप में , विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २० मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १५ विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड १५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**खंड १६, १७ और १८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : मैं प्रस्तुत करता हूं :

कि पृष्ठ ६, पंक्ति २८ :—

"Section" ("धारा") शब्द के स्थान पर "Act" ("अधिनियम") शब्द रखा जाय । (११)

†**श्री दातार** : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ६, पंक्ति २८ में—

"Section" ("धारा") शब्द के स्थान पर "Act" ("अधिनियम") शब्द रख दिया जाय । (११)

**संशोधन स्वीकृत हुआ ।**

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड १६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**सभापति महोदय** : अब मैं खण्ड २० पर संशोधन संख्या २१ मतदान के लिये रखूंगा ।

**सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २१ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २० विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड २० विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

खंड २१, २२, २३, १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

# खनिज रियायत नियम, १९६० के बारे में प्रस्ताव

**सभापति महोदय** : सभा अब खनिज रियायत नियम, १९६० जो कि ७ अगस्त, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये थे, में रूपभेद करने के प्रस्तावों के बारे में विचार करेगी ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** (बलोदा बाजार) : मैं संशोधन संख्या १ से ३५ प्रस्तुत करता हूं ।

मेरा उद्देश्य इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से यह है कि खनिज रियायत नियमों को और अधिक प्रभावी और स्पष्ट बनाया जाय ।

इस सम्बन्ध में नियमों के होते हुए भी आवेदन करने वाले व्यक्तियों को खोज करने के लाइसेंस और खनन पट्टे देने में असाधारण विलम्ब होता है और इन नियमों के कारण सबसे अधिक कठिनाई छोटे खनन मालिकों को होती है नियमों में रूपभेद करने से सम्बन्धित प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य इस विलम्ब को यथासाध्य कम करना और राज्य सरकारों को आवेदनों को तेजी से निबटाने के लिये प्रोत्साहन देना है । मैंने जिन परिवर्तनों का सुझाव प्रस्तुत किया है उसका मुख्य उद्देश्य समय की बचत करना है । इससे राज्य सरकारों को भी यह लाभ होगा कि वे आवेदन पत्रों को शीघ्रता से निपटा सकेगी । मैंने यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि नियम ग्यारह के उपनियम (१) में शब्द "अस्वीकृत" के स्थान पर "प्रदत्त" शब्द रखा जाये । आवेदन करने के पश्चात् यदि राज्य सरकार ने नौ मास तक उसके सम्बन्ध में कोई आदेश न दिया हो तो सब से पहिले जिस व्यक्ति ने आवेदन किया हो उसका आवेदन अपने आप स्वीकृत हो जाना चाहिये । इस दिशा में यदि किसी को शिकायत हो तो वह केन्द्रीय सरकार के पास अपील कर सकता है । मेरा मत यह है कि यह नियम ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा । जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था वह उद्देश्य इससे पूरा नहीं हो रहा है ।

मेरा दूसरा संशोधन पहले के परिणाम स्वरूप है । अतः उसके बारे में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं । अपने तीसरे संशोधन में मैं ने यह सुझाव दिया है कि यदि किसी पट्टे का क्षेत्र घटा दिया जाये तो उसके कारण आवेदक को सूचित किये जायें । इसीलिये नियम ग्यारह के उपनियम तीन में संशोधन करना बड़ा आवश्यक है । परन्तु मैं इस पर विशेष जोर नहीं देता ।

**[श्री हेडा पीठासीन हुए]**

अपने पांचवे संशोधन में मैंने जो तबदीली करनी चाही है उस पर भी विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं । छोटे संशोधन पर भी मैं अधिक जोर नहीं देना चाहता । सातवें संशोधन में मैंने नियम पन्द्रह के उपनियम (१) में तबदीली का सुझाव दिया है ; यदि राज्य सरकार कार्यवाही न करे तो पट्टेदार को यह अधिकार होगा और यह सुविधा उपलब्ध रहेगी कि उसे पट्टा दिया गया समझा जायेगा । और उसे पट्टे के क्षेत्र में दाखिल होने का पूर्ण अधिकार होगा । इस संशोधन का उद्देश्य सुविधा प्रदान करना ही है । इसी प्रकार नौवें संशोधन में नियम २४ के उपनियम (३) में इस प्रकार तबदीली की जाये कि जो लोग साफ करने के संयंत्र लगायें चाहे वह यंत्र कितने ही छोटे क्यों न हों उन्हें प्राथमिकता दी जाये । अपने इस संशोधन पर मैं विशेष बल देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जायेगा ।

अपने संशोधन संख्या १० पर विशेष जोर न देता हुआ संशोधन संख्या ग्यारह की ओर आता हूं। उसमें २७ (१) के खण्ड (ग) में संशोधन करने को कहा गया है। इस संशोधन का अर्थ यह होगा कि खान मालिकों को उसी तारीख से उपर्युक्त स्थान का किराया देना होगा, जिस तारीख को नवीकरण आवेदन पर आदेश जारी किया गया है। मैं यह भी अनुभव करता हूं कि काम न करने वाले खान मालिकों को साफ करने के संयंत्र लगाने के लिये बाध्य करने और उन्हें घटिया किस्म के खनिज को नष्ट करने से रोकने के लिये नियमों में कोई उपबन्ध होना चाहिये। इस दृष्टि से मैंने अपने संशोधन संख्या १२ में सुझाव दिया है कि नियम २७(१) में खण्ड (ङ) जोड़ना आवश्यक है। मैं इस संशोधन को बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन मानता हूं।

संशोधन संख्या १३ में मैंने सुझाव दिया है कि नियम २७ के उपनियम (२) में परन्तुक जोड़ने के लिए प्रस्तावित संशोधन आवश्यक है ताकि नियम में किया गया उपबन्ध स्पष्ट हो जाये। इससे मध्यम वर्ग के खान मालिक काफी परेशानियों से बच जायेंगे। संशोधन संख्या १५ संशोधन संख्या ७ के अनुसार ही है अतः उसके सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। संशोधन संख्या १६ में नियम ३३ में संशोधन करने को कहा गया है। मेरा मत यह है कि नियम ३३ में किये गये उपबन्धों में यदि कोई कालावधि रख दी जाये तो वह खनिज विकास के लिए हितकर होगा। यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो पट्टे के हस्तान्तरण के लिए किये गये आवेदन पर विचार करने की अवधि घटा दी जायेगी। संशोधन संख्या १७ भी पट्टे के हस्तांतरण से सम्बन्ध रखता है। संशोधन संख्या १८ का सम्बन्ध हस्तांतरण सम्बन्धि आवेदन पत्रों से है। २० और २१ संख्या के संशोधनों पर मैं अधिक जोर नहीं देना चाहता। संशोधन संख्या २२ भी साधारण ही है। संशोधन संख्या २३ बहुत महत्व का संशोधन है। इसमें सुझाव दिया गया है कि प्रथम अनुसूचि के परपत्र (ख) में इस प्रकार संशोधन किया जाये कि भारतीय खान विभाग आवेदक द्वारा खर्च दिये जाने पर उसे भौगोलिक नकशा दे दे। ऐसे नक्शे के अभाव में आवेदन पर कोई निर्णय नहीं किया जाता। इस बात को देखते हुए यह व्यवस्था करनी बड़ी आवश्यक है कि ऐसे नक्शे प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कोई अवधि निश्चित की जाये। इसी प्रकार मैंने अपने संशोधन संख्या २५ से लेकर ३५ तक प्रस्तुत किये। प्रथम अनुसूची के प्रपत्र च के भाग २ में इस प्रकार संशोधन किया जाये कि लाइसेंसधारी के आवेदन को दो महीने के भीतर निपटा दिया जायेगा। अन्यथा उसका आवेदन स्वीकृत समझा जायेगा। प्रथम अनुसूची के प्रपत्र ट में इस प्रकार संशोधन किया जाये कि यदि दो महीने के भीतर जिला अधिकारी कोई आपत्ति न करे तो ऐसा समझा जायेगा कि पट्टेदार का अधिकार दे दिया गया है और वह अपने क्षेत्र में जाकर खनन कार्य शुरू कर सकेगा।

प्रथम अनुसूची के प्रपत्र ट के भाग ८ में प्रस्तावित संशोधन ३१ स्वीकर कर लिया जाये ताकि वर्तमान नियम स्पष्ट हो जायें। इस भाग में इस प्रकार संशोधन किया जाये कि जहां आवेदक ने भूमि की सतह पर कोई काम न किया हो वहां सरकार कोई प्रतिकर न मांग सकेगी। एक अग्रेतर संशोधन किया जाये जिस से यह उपबन्धित हो कि जहां पट्टे के नवीकरण की अनुमति दी जाय तो पट्टेदार को समयातीत किराये के पिछली तिथि से भुगतान करने के लिये न कहा जाये। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे इन प्रस्तुत संशोधनों पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार करेंगे।

†**सभापति महोदय** : यह सब संशोधन सदन के समक्ष हैं जोकि माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये हैं ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : आरम्भ में ही मैं सरकार को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि उसने बहुत ही अच्छे ढंग से खनन विकास के कार्य को किया है । इस दिशा में बहुत प्रशंसनीय कार्य किये गये हैं। यह बात तो है ही कि हमारे देश में बहुत बहुमूल्य सम्पत्ति धरती के नीचे पड़ी है । उसे निकालना और प्रयोग में लाना राष्ट्र हित में बहुत ही आवश्यक वस्तु है । इन भूमिगत साधनों का विकास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे हम अपना बहुत सा ऋण चुका सकेंगे । इन नियमों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इन्हें बहुत ही ईमानदारी और अच्छी नीयत से बनाया गया है । परन्तु इसके बावजूद भी इसमें त्रुटियां रह गयी हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए मैंने सरकार को निवेदन करना है कि प्रस्तुत संशोधनों की पूरी तरह जांच की जानी चाहिए और यदि किसी संशोधन में नियमों की त्रुटियों को दूर किया जाना सम्भव हो तो ऐसा कर दिया जाना चाहिए ।

इस दिशा में मैं अपने चुनाव क्षेत्र के चूना पत्थर के व्यापारियों का उल्लेख करना चाहता हूं। देहरादून के चूने के पत्थर की खानों के मालिकों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है कि राज्य सरकार चूने को एक खनिज पदार्थ घोषित करने का प्रयत्न कर रही है । यदि ऐसा किया गया तो राज्य सरकार 'रायल्टी' तथा खनन पर देय-शुल्क आदि बढ़ा सकेगी । मैं तो सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसे यह घोषित करना चाहिए कि विभिन्न उद्योगों को दिया गया चूना अमुख्य प्रकार का खनिज पदार्थ नहीं है और इसे अन्तिम रूप में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत रखा जायेगा ।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन प्रस्तुत करना चाहता था परन्तु अध्ययन करने पर पता चला कि मेरी बहुत सी बातें श्री शुल्क द्वारा प्रस्तुत संशोधनों में आ जाती हैं। अतः मैंने अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं किये परन्तु मैं उनकी कुछ बातों पर गौर अवश्य देना चाहता हूं ।

नियम संख्या ११(१), ११(२) तथा ११(३) में इस प्रकार का संशोधन किया जाये---जिससे किसी प्रार्थी को अपने प्रार्थनापत्र के परिणाम को जानने के लिए अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़े । वर्तमान उपबन्ध कि यदि उसे ९ मास तक कोई उत्तर प्राप्त न हो तो उसके प्रार्थना पत्र को रद्द समझा जाये, तर्क संगत नहीं है । मेरा मत इस दिशा में यह है कि दिये गये पट्टों को लागू करने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि पट्टे के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम को स्पष्ट किया जाये । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यदि कोई पट्टेदार धन न होने के कारण काम न कर सके तो पट्टे के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लागू किया जाना चाहिए । इसी प्रकार नियम ३०(३) के अन्तर्गत राज्यों को दी गयी शक्तियां वापिस ले लेनी चाहिए । 'मैग्नेसाइट' से वस्तुओं के बनाने का एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में चलाया जाना चाहिए । इससे इस दिशा में काफी प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्त में इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि खनन उद्योग में सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । इससे इस दिशा में कड़ा परिश्रम करने वाले श्रमिकों को काफी प्रोत्साहन प्राप्त होने की सम्भावना है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : आज हम खनन उद्योग के इतिहास में नहीं जाना चाहते । न ही नियम बनाते समय इस दिशा के सिद्धांतों पर ही कुछ चर्चा करने की आवश्यकता है । इस दिशा में नियम इसलिए बनाये जा रहे हैं कि इससे खनन उद्योग को लाभ हो और देश में वह उद्योग विधि पूर्ण ढंग से विकसित हो सके। नियमों पर विचार करते हुए हमें यह देखना होगा कि केन्द्रीय सरकार उन राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों में किस सीमा तक कमी कर सकती है जिनके क्षेत्र में खनन उद्योग आता है । हमें यह भी देखना होगा कि सुझाये गये नियमों अथवा परिवर्तनों से राज्यों के राजस्व में किसी प्रकार की कमी होती है या नहीं । और इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस देश में अधिकतर खनन हित विदेशियों के हैं ।

मुझे इस बात का हर्ष है कि मेरे माननीय मित्र श्री विद्याचरण शुक्ल ने इस विषय में काफी रुचि ली है और कुछ संशोधनों के सुझाव प्रस्तुत किये हैं ।

जिस प्रकार से नियम ११ (१) को संशोधित करने का सुझाव दिया गया है, वह आवश्यक नहीं है । इतना कहना काफी नहीं है कि प्रार्थनापत्रों पर फैसलों में विलम्ब नहीं होना चाहिये । इसके लिये छः मास की अवधि रखी जाये । प्रार्थना पत्रों पर फैसलों की सूचना पक्षों को देनी चाहिये ।

नियम ११ के उप-नियम (३) के बारे में भी जो आदेश हो, वह प्रार्थी को बताना चाहिये ।

इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन खानों के मालिकों को प्राथमिकता दी जाये जिनके पास साफ़ करने वाले संयन्त्र हैं, क्योंकि यह बहुत से छोटे खान मालिकों के हितों के प्रतिकूल होगा ।

नियम १३ के उपनियम (१) में जो परिवर्तन किया गया है, वह बहुत अच्छा है और इसे स्वीकार किया जा सकता है

नियम १५ के उपनियम (१) में प्रस्तावित संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

नियम २४ (३) के अन्तर्गत समय की अवधि निश्चित करनी चाहिये । यदि इस को बढ़ाया या घटाया जाये, तो इस के कारण पक्षों को बताने चाहियें ।

नवीकरण के प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में विलम्ब होने की अवस्था में खानों को समयातीत किराये के भुगतान सम्बन्धी उत्तरदायित्व से मुक्त न किया जाय ।

यह सुझाव गलत है कि सभी मामलों में पट्टे के हस्तान्तरण की अनुमति दी जाय; ऐसे किसी हस्तांतरण की अनुमति नहीं होनी चाहिये जो केवल मुनाफ़ाखोरी के लिये हो । इस लिये यह नहीं कहना चाहिये कि सरकार हर प्रकार के हस्तांतरण को अनुमति दे सकती है ।

विभिन्न पर्यवेक्षण संस्थाओं द्वारा किसी विशेष क्षेत्र के खनिज सामर्थ्य के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रविधिक मतभेद को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

जो परिवर्तन सुझाये गये हैं, उनमें बहुत सी त्रुटियां हैं। श्री शुक्ल ने जो सुझाव दिये हैं, उन में से कुछ मानने योग्य हैं। मैं आशा करता हूं कि नियमों को अधिक उपयोगी बनाया जायेगा, ताकि उद्योग की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : नियम ११ के उपनियम (१) और (२) में कहा गया है कि यदि किसी आवेदन पत्रों का उत्तर निश्चित समय के अन्दर प्राप्त नहीं होता, **तो** इसे अस्वीकृत समझना चाहिये। यह नकारात्मक प्रकार के हैं। मेरे अस्वीकृति की अवस्था में कारण अवश्य दिये जाने चाहिये। यह बात नियम २४ (३) पर भी लागू होती है। नियम ११ (३) के अधीन भी कारण अवश्य बताने चाहिये।

नियम २७ के उपनियम (१) और (२) के अन्तर्गत यह आशा की जाती है कि समयातीत किराये और रायल्टी की भुगतान व्यतीत तिथि से की जाये। यह न्यायपूर्ण नहीं है और इसको बदलना चाहिये।

नियम ३३ में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अनिश्चित प्रकार का है। यह स्पष्ट करना चाहिये कि सर्वेक्षण सरकार करेगी और व्यय भी वसूल करेगी। मुख्य अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत कहा गया है कि कुछ पट्टे राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से दिये जायेंगे, ऐसी मंजूरी लेने के लिये एक अवधि निश्चित करनी चाहिये ताकि प्रार्थी को बहुत प्रतीक्षा न करनी पड़े।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं श्री शुक्ल का आभारी हूं कि उन्होंने इन नियमों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और इनके महत्व पर ज़ोर दिया है।

खनिज अयस्क के निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने पर भी बहुत जोर देना चाहिये, जैसा कि श्री त्यागी ने कहा है। जैसा कि सदन को मालूम है, जहाँ तक राज्य व्यापार का सम्बन्ध है, इनका ८० प्रतिशत भाग खनिज अयस्क का है। केवल २० प्रतिशत व्यापार अन्य छोटी वस्तुओं का है। अतः इसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता। सरकार को अधिक से अधिक खानों को विकसित करना चाहिये।

जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं, उन में से सब से अधिक महत्वपूर्ण नियम ११ (१) और (२) के बारे में है, जिस में ९ मास की अवधि निश्चित की गई है। आवेदनपत्रों का निबटारा करने के लिये राज्य सरकारों को ९ मास की अवधि दी गई है, इसके बाद इन्हें रद्द समझा जायेगा।

मझे खेद है म इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इस विषय में मैं निम्नलिखित तर्क उपस्थितकरना चाहता हूं। खनिज अयस्क राज्य सरकारों के हैं। हम तो केवल एजेंट का काम करते हैंऔर इनके संरक्षण वैज्ञानिक तरीके से इन्हें निकालने और इन खानों के विकास में सहायता देते हैं।

दूसरी बात यह है कि ये अयस्क एक ऐसी चीज है जिसका मूल्य घटता जाता है। मैं सदन को यह याद दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकारों की सामान्यतया यही प्रथा रही है कि वह खनिज पदार्थों के आवेदन पत्रों को निपटाने में वर्षों लगा देते हैं। इसलिये यह प्रश्न नहीं है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

हम इस में बहुत समय लगा कर किसी आवेदन पत्र को अस्वीकार कर देते हैं या इसे स्वीकृत या अस्वीकृत समझ लेते हैं। बल्कि प्रश्न तो यह है कि राज्य सरकारें इस में बहुत समय लगाती थीं और यह उनका हक था। हम तो केवल उनकी मदद के लिये आये हैं। हम ने उन से यह कहा कि आप सारी जानकारी इकट्ठी करने के लिये मुनासिब समय लगायें और जो लोग उस काम को करना चाहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति और स्थिरता आदि के बारे में कुछ निश्चित समय में फैसला कर लें। पहले १८ से २० महीने तक लगते थे और उसके बाद लोग अपील कर सकते थे परन्तु हमने यह कर दिया है कि यदि कोई राज्य सरकार ६ महीने के अन्दर कोई आवेदनपत्र न निपटाये तो यह अपील के रूप में केन्द्रीय सरकार के पास अपने आप पहुंच जाता है। इस लिये राज्य सरकारों को केवल ६ महीने दिये गये हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुये हमें 'अस्वीकृति' शब्द पर विचार करना है। बस सिर्फ बात इतनी ही है कि राज्य सरकारों पर समय के बारे में कोई पाबन्दी लगानी चाहिये। हम इतना ही कर सकते हैं कि उन्हें लिख दें और उन्हे सभा की भावनाएं क्या हैं यह बता दें और उन्हें यह कह दें कि उन्हें यथा संभव कम से कम समय लगाना चाहिये। मेरे मित्र ने कहा कि कभी-कभी राज्य सरकारें किसी विशेष पक्ष के साथ उचित व्यवहार नहीं करतीं। हम केवल इस धारणा पर अपना नियम नहीं बना सकते कि सब राज्य सरकारें खराब हैं और वे परिवार पोषण या पक्षपात आदि का सहारा लेंगी। मुझे खेद है कि हम प्रस्ताव संख्या (१) और (२) स्वीकार नहीं कर सकते।

मैं नियम ११ के उपनियम (३) के बारे में प्रस्ताव संख्या (३) को स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं नियम १३ के उपनियम (१) के प्रस्ताव संख्या (५) को भी स्वीकार करता हूं। मेरे माननीय मित्र ने यह प्रस्ताव किया है कि जब किसी आवेदन कर्ता को खनिज निकालने का लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया जाये, तो उसे फीस लौटा दी जाये।

मैं प्रस्ताव संख्या (७) स्वीकार नहीं कर सकता? किन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकार समय-समय पर इन नियमों पर विचार कर के इन्हें संशोधित कर सकती है। अनुभव के अनुसार राज्य सरकारों को सलाह से हम इन नियमों में संशोधन करते रहेंगे।

नियम १५, के उपनियम (१) के बारे में प्रस्ताव संख्या (७) स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार द्वारा खनिज निकालने के लाइसेंस या पट्टे में देर किसी अन्य कारण से भी हो सकती है। राज्य सरकार को पट्टेदारों के बराबर नहीं रखा जा सकता, जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने कहा है। कभी-कभी ये राज्य सरकारों की ताकत से बाहर हो जाता है। कुछ भी हो, इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि कुछ समय गुजर जाने के कारण, लाइसेंस निष्पादित नहीं किया गया। तथापि मैं इस विषय की ओर राज्य सरकारों का ध्यान पुनः दिला सकता हूं। नियम २४ के उपनियम (३) के बारे में भी यही युक्तियां दी जा सकती हैं।

अब मैं नियम २४ के उपनियम (३) में उल्लिखित निम्न श्रेणी की अयस्क को साफ करने के प्रश्न को लेता हूं। माननीय सदस्य ने जो परिवर्तन दिया है, उसे स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि इससे सरकार को जो स्वविवेक के अनुसार कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, वह नहीं रहेगा और इस प्रकार अधिनियम की धारा ४ का उल्लंघन होगा।

नियम २५ का उपनियम (१) भी पिछले नियमों के परिणामस्वरूप ही है और इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

[श्री अजित सिंह सरहदी]

इसके बाद मैं नियम २७ के उपनियम (१) के खंड (ग) को लेता हूं। देर तो होती ही है और राज्य सरकारों पर कोई निर्णय थोप कर इस विलम्ब को कम करना कठिन है। नियम २४(२) में यह अपेक्षित है कि खनन पट्टे के नवीकरण का आवेदन पत्र इसकी प्राप्ति के ९० दिन के अन्दर निपटा दिया जायेगा। यदि पट्टे को नया करने का आदेश जारी करने की सूचना दिये बिना उसकी अवधि खत्म हो जाये तो निश्चय ही अनिश्चितता बनी रहती है। पट्टे को नया करने का आदेश बाद में देने से यह अनिश्चितता खतम नहीं हो सकती।

समयातीत किराये की छूट देने की बजाये, जैसा कि प्रस्तावक ने कहा है, इस स्थिति को सुलझाने और सरकार को वस्तुतः मुआवजा देने का सब से अच्छा तरीका यह है कि यदि पट्टे का नया करने का आवेदनपत्र उसकी समाप्ति के पहले न निपटाया जाये, तो पट्टे की अवधि आवेदनपत्र के निपटाये जाने तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। यह नियम २४ में तथा भाग ८ के काम 'के' में उपयुक्त उपबन्ध करके किया जा सकता है। फार्म में तदनुसार रूपभेद किया जा सकता है। मुझे आशा है कि प्रस्तावक को यह सुझाव मंजूर होगा। यदि न भी मंजूर हो, तो हम उन्हें संतुष्ट करने का कोई और तरीका निकालेंगे क्योंकि मैं यह मानता हूं कि यह विलम्ब स्वीकार किया जाना चाहिए।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल**: वह सुझाव स्वीकार्य है।

†**श्री के० दे० मालवीय**: यदि वह स्वीकार्य है तो हम इसे समाविष्ट कर लेंगे।

नियम २७ के उपनियम (१) के खण्ड (द) के सम्बन्ध में वह स्वीकार्य है। खण्ड (ध) और (न) में कहा गया है कि घटिया किस्म के अयस्क के लिये सुलभ बाजार न होने पर पट्टेदार उसे भविष्य में परिष्करण के लिये संचित कर लेगा और यदि राष्ट्रीय अयस्क परिष्करण प्रयोगशाला सिफारिश करे तो पट्टेदार को उपयुक्त आकार का परिष्करण कारखाना स्थापित करना पड़ेगा। इसे स्वीकार करने में कोई हानि नहीं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: यदि वह माननीय मंत्री को स्वीकार्य है तो उसे अभी तक समाविष्ट क्यों नहीं किया गया?

†**श्री के० दे० मालवीय**: लेकिन सरकार को उपनियम (न) का सुझाव स्वीकार्य नहीं है। हमें केवल उपनियम (ध) ही मान्य है।

उनका प्रस्ताव संख्या १३ नियम २७ के उपनियम (२) के खण्ड (ध) के पश्चात् यह परन्तुक जोड़ने के बारे में है कि खनन पट्टे के नवीकरण के सम्बन्ध में पट्टेदार को कोई भी प्रतिकर राज्य सरकार को अदा नहीं करना पड़ेगा। अभी हम इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। हां, बाद में इस पर विचार किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या १४ के द्वारा वह नियम २८ के उपनियम (५) में यह व्यवस्था चाहते हैं कि प्रार्थी को कारण बताये जायें। मैं यह मानता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्ताव संख्या १५ के द्वारा नियम ३१ के उपनियम (१) में यह परन्तुक जोड़ा जाना है कि यदि पट्टे के काम में राज्य सरकार के किसी दोष के कारण अड़चन पड़े, तो उस पट्टे का काम सम्पन्न हुआ माना जायेगा। इससे मैं सहमत नहीं । इसके कारण मैं पहले बता चुका हूं।

मैं प्रस्ताव संख्या १६ मानने के लिये तैयार हूं कि मंजूरी के एक महीने के भीतर राज्य सरकार पट्टेदार के खर्च पर उस क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध करेगी।

यदि सभा को प्रस्ताव संख्या १७ मान्य हो तो उसके सम्बन्ध में बाद में कुछ किया जा सकता है, क्योंकि हम भी महसूस करते हैं कि संशोधन की आवश्यकता है।

प्रस्ताव संख्या १८ मुझे स्वीकार्य नहीं। हो सकता है कि हम बाद में उपनियम (१) में कुछ संशोधन करें, इसलिये माननीय सदस्य को अभी थोड़ा रुकना चाहिये।

नियम ५४ के साथ जुड़ी व्याख्या आवश्यक है, इसलिये उसे हटाने का प्रस्ताव संख्या २० मुझे मान्य नहीं।

मैं मानता हूं कि भारत सर्वेक्षण द्वारा प्राकृतिक मानचित्र न मिलने के कारण प्रार्थियों को कभी-कभी कठिनाई पड़ती है। हम उसमें अधिक कुछ नहीं कर सकते। हां, हम यह मान सकते हैं कि यदि प्रार्थियों को भारत सर्वेक्षण से प्राकृतिक मानचित्र न मिल पायें, तो उसका एक प्रमाणपत्र प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न कर दिया जाये। बाद में हम देखेंगे कि मानचित्र कब तक सुलभ बनाये जा सकते हैं। यह प्रस्ताव संख्या २३ से सम्बन्धित है।

अयस्क के संचित स्टाक के बारे में जानकारी मिलना सरकार के लिये लाभदायक होगा, इसलिये मैं प्रस्ताव संख्या ३० को स्वीकार करता हूं।

वह कुछ प्रस्ताव वापस लेने के लिये तैयार हो गये हैं। इसलिये मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा। मैं प्रस्ताव संख्या ३२ स्वीकार करता हूं। उसमें कार्य के पर्यवेक्षण, सर्वेक्षण और अनुसंधान की व्यवस्था के बारे में कहा गया है। उसके दूसरे भाग में 'अनुसंधान' के बाद 'सर्वेक्षण' शब्द जोड़ने के लिये कहा गया है।

प्रस्ताव संख्या २९, ३० और ३१ मुझे स्वीकार्य नहीं। २क मैंने स्वीकार कर लिया है।

आशा है कि वह प्रस्ताव संख्या ३५ पर आग्रह नहीं करेंगे। उसके कारण मैं पहले बता चुका हूं। वह चलेगा नहीं।

श्री त्यागी ने चूना पत्थर का उल्लेख करते हुए बताया था कि उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है। वह चाहते हैं कि मैं उनकी सहायता करूं। लेकिन प्रश्न निर्वाचन क्षेत्रों का नहीं है। प्रश्न यह है कि चूना पत्थर को एक मुख्य खनिज पदार्थ माना जाये। औद्योगिक प्रयोजनों के लिये हमने उसे मुख्य खनिज मान भी लिया है। इस लिये यदि कोई चाहे कि राज्य सरकार उसे मुख्य खनिज न मानकर गौड़ माने, वह वांछनीय नहीं होगा। ऐसे मूल्यवान खनिजपदार्थ का हम कोई दुरुपयोग नहीं होने देंगे। उत्तराधिकार का झगड़ा तो हर क्षेत्र में रहता है। उत्तराधिकार-प्रमाणपत्र रहने से कोई झंझट नहीं रहती।

सभा को मालूम है सरकार की नीति उचित ढंग की सहकारी संस्थाओं के संगठन को प्रोत्साहन देने की है। हमारे पास खनन पट्टों और अनुसंधान पट्टों के लिये सहकारी संस्थाओं के कुछ प्रार्थनापत्र आये हैं। कठिनाई यह है कि मुझे भरोसा नहीं कि संस्थाओं के

[श्री के० दे० मालवीय]

सदस्य गम्भीरता से दिलचस्पी लेंगे। केवल कुछ रुपये इकट्ठे कर लेने से तो काम नहीं होगा। खनन का काम कुछ टेढ़ा होता है। लेकिन यदि किसी सहकारी संस्था के पास पूरी साज-सज्जा हो और धन भी हो, तो दूसरों के मुकाबले हम उसे वरीयता देंगे।

हाल में उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा क्षेत्र में एक मैगनेसाइट की खान मिली है। मैगनेसाइट हमारे इस्पात कारखानों में काम आयेगा। सरकार ने उसके सम्बन्ध में अपना एक कारखाना बनाने का निर्णय कर लिया है। वही मैगनेसाइट अयस्क का उत्पादन करेगा। यदि कोई ऐसा प्रस्ताव आये कि खान सरकारी नियंत्रण में रखते हुए कोई अयस्क उत्पादन करने के लिये कहे, तो उस पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई सहकारी संस्था इसके लिये आगे बढ़े, तो हम उसे वरीयता देंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल ने इन नियमों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करके एक बड़ा काम किया है। मैं उनको बता दूं कि हम जब भी चाहें इन नियमों का संशोधन कर सकते हैं। अधिक अनुभव प्राप्त करने पर, राज्य-सरकारों की सलाह से, खनन नियमों में उपयुक्त संशोधन किये जा सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि ये नियम राज्य-सरकारों से परामर्श करके बनाये गये हैं और इनमें संशोधन भी उनसे परामर्श करके ही किये जायेंगे। इसलिये कि राज्य सरकारें ही इन खानों की मालिक हैं। आशा है कि हम राज्य सरकारों के और अधिक अनुभवी निजी क्षेत्र के सहयोग से अपना खनन-कार्य काफी आगे बढ़ा सकेंगे।

†**श्री त्यागी** : मेरा सुझाव यह है कि इन संशोधनों पर मतदान कराने की बजाय, श्री विद्याचरण शुक्ल अपने सभी संशोधन वापस लें लें और माननीय मंत्री उनके सम्बन्ध में सभा में हुई चर्चा के आधार पर उन नियमों में संशोधन करने वाली एक अधिसूचना निकाल दें। माननीय मंत्री को इसका अधिकार है। यदि इन संशोधनों पर मतदान होगा, तो इनको राज्य-सभा में भी भेजना पड़ेगा और उसमें काफी समय लग जायेगा।

†**सभापति महोदय** : मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री ने भी यही आश्वासन दिया था।

†**श्री के० दे० मालवीय** : अधिसूचना जारी करना मेरे लिये ज्यादा आसान रहेगा। मैंने बता ही दिया है कि मैं किन संशोधनों को स्वीकार करता हूं और किन संशोधनों पर विचार करने के लिये तैयार हूं। उनके बारे में हमें परामर्श करना पड़ेगा।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैं उन्हीं संशोधनों पर आग्रह करना चाहता हूं, जिनको माननीय मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। यदि माननीय मंत्री राज्य सरकारों से परामर्श करने पर जोर देंगे, तो उनमें काफी समय लग जायेगा।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैंने जिन संशोधनों को स्वीकार कर लिया है उनके सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया जायेगा।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : श्री त्यागी का सोचना ठीक नहीं है। इनमें शीघ्रता करने का तरीका यही है कि इनको सरकार के स्वयं विवेक पर न छोड़ा जाये बल्कि सभा में स्वीकृत किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : यदि इनको यहां पारित करके, राज्य-सभा में भेजा जायेगा, तो उसमें काफी समय लग जायेगा। अच्छा यही रहेगा कि माननीय सदस्य मंत्री के आश्वासन पर ही संतोष कर लें।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैं चाहता हूं कि सरकार ने जिन संशोधनों को स्वीकार कर लिया है, उन पर मतदान हो जाये। शेष संशोधनों को मैं वापस ले लूंगा।

†**श्री त्यागी** : तब उनको राज्य-सभा में भी भेजना पड़ेगा।

†**श्री के० दे० मालवीय** : वह अगले सत्र में ही हो सकेगा।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री प्रस्ताव संख्या १३ पर विशेष ध्यान दें। जिन संशोधनों को स्वीकार किया जा चुका है, उन पर मतदान करा दिया जाये।

†**श्री के० दे० मालवीय** : तब उनको राज्य सभा में भेजना पड़ेगा।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य को याद होगा कि सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी एक समिति है, जो मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रतिवेदन तैयार करती है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैं प्रस्ताव संख्या १३ के सम्बन्ध में माननीय मंत्री के विचार सुनने के बाद ही कुछ कह सकूंगा।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है।

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा तो है कि कुछ संशोधनों के बारे में अन्तिम निर्णय करने से पहले वे माननीय सदस्य से परामर्श करेंगे।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैंने उन पर विचार करने का आश्वासन दिया है। उनको स्वीकार नहीं किया है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : यदि सभा की यही इच्छा है कि तो मैं अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करता।

†**सभापति महोदय** : क्या सभा माननीय सदस्य को उनके ३५ प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति देती है?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

**सभी प्रस्ताव, सभा की अनुमति से वापस लिये गये।**

---

## *भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†**सभापति महोदय** : अब सभा भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों से सम्बन्धित आधा घण्टे की चर्चा करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** ( गुड़गांव ) : सभापति महोदय, पीछे जब माननीय पंत जी गृह-मंत्री थे तो उस समय गत वर्ष में मैंने लोक सभा में एक प्रश्न पूछा था कि हमारे देश में पाकिस्तान से आये हुए कितने नागरिक निवास कर रहे हैं उसका उत्तर यह दिया गया था कि ५८९६३ पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं। इस के साथ ही मैंने यह भी जानना चाहा था कि ऐसे कितने पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं जिनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गयी है और गैर-कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं तो उस के उत्तर में, ५ मई, १९६१ को लोक सभा की टेबल पर सरकार की ओर से एक विवरण प्रस्तुत किया गया जिस में यह कहा गया था कि बिना पास पोर्ट के अवैध रूप से भारत में रहने वाले पाकिस्तानी मुसलमानों की संख्या १ सितम्बर, १९६० को ५, ६८७ थी। अभी पीछे १४ अगस्त को फिर इसी प्रकार का एक और प्रश्न मैं ने लोक सभा में पूछा था कि इस समय कितने पाकिस्तानी नागरिक भारतवर्ष में रह रहे हैं उसका उत्तर देते हुए गृह-कार्य मंत्री ने यह बताया था कि ३१ दिसम्बर, सन् १९६० को विभिन्न प्रान्तों में कुल मिलाकर के ८४८१३ पाकिस्तानी नागरिक भारतवर्ष के अन्दर निवास कर रहे हैं। मेरे इस प्रश्न को पूछने से पूर्व १६ अगस्त को राज्य सभा में इसी प्रकार का एक और प्रश्न पूछा गया था जिसका कि उत्तर देते हुए स्वराष्ट्र मंत्री महोदय ने यह बतलाया था कि १९६० और १९६१ के जन मास तक असम प्रदेश में अवैध रूप से जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने प्रवेश किया था उनकी संख्या ४०५४ थी। इन में से ३३९० पाकिस्तानियों को सजा भुगतने के बाद वापस भेज दिया गया। उन के अतिरिक्त जो शेष रह गये हैं उन के खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी लेकिन साथ ही साथ गृह-कार्य मंत्री ने राज्य सभा में यह भी कहा कि इन पाकिस्तानियों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और यह सत्य है कि असम में पाकिस्तानी नागरिकों ने भारी मात्रा में प्रवेश किया है।

इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न गुजरात के सम्बन्ध में भी पूछा गया। राज्य सभा में गृह-कार्य मंत्री ने बतलाया कि १ जुलाई, १९६१ को सारे सौराष्ट्र और कच्छ जिले में निर्धारित अवधि से अधिक रहने वाले पाकिस्तानियों की संख्या १,२६७ थी। लेकिन अभी ३० अगस्त को मैं ने लोक सभा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा कि अवैध रूप से कितने पाकिस्तानी नागरिक गुजरात की सीमाओं को लांघ कर गुजरात प्रदेश के अन्दर आये हैं तो उस के उत्तर में बताया गया कि १६१ पाकिस्तानी नागरिकों ने गुजरात की सीमा को लांघ कर के अवैध रूप से वहां पर प्रवेश किया है जब कि गुजरात के जो समाचार पत्र हैं और गुजरात के जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनकी रिपोर्ट इससे सर्वथा प्रथक है। गुजरात के जिम्मेदार पत्रों का कहना है कि लगभग ६००० पाकिस्तानी नागरिक बिना किसी प्रकार का परमिट आदि लिए भारतवर्ष में चले आये। इनमें से २००० केवल कच्छ जिले में हैं, २००० सौराष्ट्र में हैं और बाकी गुजरात के अन्य भागों में फैल गये हैं। विशेष बात जो चिन्ता की है वह यह है कि यह ६००० पाकिस्तानी नागरिक जिन्होंने कि गुजरात राज्य में प्रवेश किया है उन के सम्बन्ध में वहां के पत्रों ने लिखा है कि जो छेड़ वेहट क्षेत्र से विशेष रूप से दाखिल हुए हैं उससे गुजरात की भारत-पाकिस्तान और भारत-पुर्तगाल सीमा पर सुरक्षा की समस्या बहुत जटिल हो गयी है। गुजरात के पत्रों में तो यहां तक समाचार लिखा था कि सौराष्ट्र और जूनागढ़ जिले में रहने वाले पाकिस्तानी लोग पुर्तगाल के जासूस बन कर भी कार्य कर रहे हैं और तस्कर व्यापारियों को सहयोग भी दे रहे हैं।

पीछे राज्य सभा में ४ मई १९६१ को इसी प्रकार का एक मिलता हुआ और प्रश्न पूछा गया था जिस में यह जानना चाहा था कि हिन्दुस्तान में समय समय पर जो इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं

जैसे कहीं पर विध्वंस की कार्यवाही है अथवा बम विस्फोट की घटनाएं हैं या और भी इसी प्रकार की जो अराष्ट्रीय कार्यवाहियां हो रही हैं क्या उनमें पाकिस्तानी नागरिकों का हाथ है? गृह-मंत्री की ओर से उत्तर दिया गया था कि भारतवर्ष में इन सभी घटनाओं में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का हाथ था और इस प्रकार की लगभग १८८ घटनाएं भारत वर्ष के अन्दर हुई और उन में १० पाकिस्तानी नागरिक मारे भी गये थे। यह राज्य सभा में उत्तर दिया गया था।

अभी पीछे उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी इस प्रकार की चर्चा आई थी। दिल्ली में एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो कि ९ बमों के साथ गिरफ्तार हुआ था। उसका नाम अब्दुल हमीद था। इस अब्दुल हमीद नामक व्यक्ति के सुराग देने पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में विशेषकर खुर्जा, हापुड़, सहारनपुर, और बुलन्दशहर में कुछ इस प्रकार के छापे मारे गये थे जिसमें कि १५००० पौंड बारूद पकड़ा गया था। कुछ और इस प्रकार की विस्फोटक सामग्री वहां पर प्राप्त की गई।

काश्मीर के सम्बन्ध में भी हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा है कि पाकिस्तानी लोग अवैध रूप से वहां पर अपने व्यक्तियों को भेजते हैं और जो काश्मीर की सीमाओं में प्रवेश कर इस प्रकार का उपद्रव पैदा करते हैं जिनके परिणाम भयंकर हों। एक प्रकार से यह बहुत ही चिन्ता का विषय है।

अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के गृह-मंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपनी विधान सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए २१ अगस्त को यह भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रहते हुए कुछ पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गये हैं और उनके विरुद्ध हम कार्यवाही भी कर रहे हैं।

लेकिन एक विशेष जानकारी मैं आप को देना चाहता हूं। मेरे पास देवनन्द से दारुअबउलूम के कुछ मुसलमान विद्यार्थियों की ओर से छापा हुआ पत्रक आया है। सहारनपुर में एक स्थान है देवबन्द जहां कि अरबी का एक बहुत बड़ा मदरसा है और जहां पर तमाम हिन्दुस्तान से और विदेशों से भी बहुत से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। वहां के कुछ विद्यार्थी मेरे पास आये और यह छपा हुआ पत्रक अपने साथ में लाये और उन्होंने रो रो कर अपनी करुण कथा सुनाई कि किस तरीके से पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से भारतीय सीमाओं में प्रवेश कर जाते हैं और भारतवर्ष के विद्यालयों में उनको पढ़ने की भी सुविधा दी जाती है। जब हम शिकायत करते हैं तो वहां के जो अधिकारी हैं उलटे हम पर कार्यवाही करते हैं। यह सारा पत्रक मैं आप को समयाभाव के कारण पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता लेकिन उसकी कुछ पंक्तियां आपकी जानकारी के लिए सुनाना चाहता हूं ---उन विद्यार्थियों ने अपनी ओर से लिखा है :---

> "हम गरीब उलवतन इखराज शुदा तुल्लेबा आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह स नाजायज तौर से आने वाले पाकिस्तानियों का मदरसे में दाखिला किया जाता है और उन्हें सारी सहूलियतें दी जाती हैं और मुल्क के बफादार हिन्दुस्तानी तुल्लबा को इन पाकिस्तानियों की मुखालफत करने पर मदरसे से बाहर निकाल फेंका जाता है। हम लोग मदरसा दारुलअलूम देवबन्द में कई-कई साल से तालीम पा रहे थे और जिम्मेदारान मदरसा को पाकिस्तानियों की हिमायत करते हुए देख रहे थे, जमीर ने गवाही न दी कि मादरेवतन सरजमींने हिंद के इस पाक मदरसे को पाकिस्तानियों का अड्डा बनते देख करखामोश

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

रहें । इसलिए हम लोगों ने मदरसे के जिम्मेदारों को इस बात की इत्तला दी कि मदरसे में लातादाद पाकिस्तानियों को दाखिल कर के इसकी अहमियत को न घटाया जाये । इस पर इन हजरात ने कोई गौर नहीं किया । इसके बाद हमने मजबूर होकर पाकिस्तानियों के खिलाफ तुकूमत में आवाज उठाई जिस के नतीजे पर बहुत से पाकिस्तानी यहां गिरफ्तार किये गये और कुछ को सजायें भी हुईं । नतीजे के तौर पर हम मुल्क व मदरसे के वफादार तुल्लबा को मबर्रखा ४-७-६१ को मदरसे से बेदर्दी के साथ निकाल दिया । हमें अपने सामान को हिफाजत के साथ उठाने का मौका तक नहीं दिया गया । बल्कि हमारे दो एक साथियों को पिटवाया भी गया । अब हम लोगों को लावारिसों की तरह मुल्क की वफादारी करने पर मजहबी तालीम से भी हटा दिया गया ।"

इस प्रकार का यह पोस्टर है । आप को जानकर आश्चर्य होगा कि जिन विद्यार्थियों ने सरकार को यह सूचना दी थी कि यह गैर-कानूनी तरीके से वहां पर आये हुये पाकिस्तानी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनमें से जिनको हटाया गया जिन में दो पाकिस्तानी विद्यार्थी भी थे । अब सभापति महोदय, आप जानना चाहेंगे कि जब पाकिस्तानियों के विपरीत शिकायत की थी तो पाकिस्तानी विद्यार्थियों को क्यों हटाया गया था । इसकी वजह यह है कि यह वह पाकिस्तानी विद्यार्थी थे जो कि पार-पत्र लेकर भारतवर्ष में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आये थे और अवैध रूप से जो छात्र वहां थे उनके कारण समय-समय पर इनकी भी तलाशी और जानकारी ली जाती थी । उन्होंने बचने के लिए यह गवाही दी लेकिन उन छात्रों को भी इस आधार पर वहां से निकाला गया । मैं आपको यह सूचना के तौर पर बतला रहा हूं कि हिन्दुस्तान में और भी बहुत सी इसी प्रकार के मजहबी विद्यालय हैं ।

एक अन्तिम बात जिसको कि मैं कह कर इस छोटी सी चर्चा को समाप्त करना चाहता हूं वह चिन्तनीय स्थिति असम की है । असम में लाखों की संख्या में कुछ पाकिस्तानी नागरिकों ने प्रवेश किया और पिछली सन् ६१ की जनगणना में उन्होंने वहां मतदाता बनने का भी प्रयत्न किया । इन आवेदनकर्ताओं में अधिकांश पाकिस्तानी मुसलमान कामरूप, दारंग और नैगांव जिले में आकर अधिक मात्रा में बसे हैं । अन्य जिलों से भी इस प्रकार के आवेदन पत्र आये हैं । यह हजारों आवेदन-पत्र जो आये हैं उनमें से २०,००० नवगांव से हैं, १५,००० के कामरूप के बारपेटा सब-डिवीजन से आये हैं और १० हजार दारंग जिले के डलगांव निर्वाचन-क्षेत्र से आये हैं । उन्होंने यह प्रयत्न किया है कि कुछ विशेष क्षेत्रों को इस प्रकार प्रभावित किया जाय जहां का कि निर्वाचन का परिणाम भी हमारे हाथों में आये । १९५७ के आम चुनावों के समय मतदाताओं की कुल संख्या ५३ लाख ६८ हजार १३१ थी और १९५१ की जन-गणना के अनुसार उस समय वहां की आबादी ९० लाख ४३ हजार ७०७ थी । अब जो १९६१ की जनगणना हुई है उसके अनुसार असम की जनसंख्या १ करोड़ १८ लाख ५९ है । इसका यह अर्थ हुआ कि असम की जनसंख्या में दस साल में २८ लाख की वृद्धि हुई अर्थात् ३५ फीसदी की वृद्धि हुई है । देश के किसी भी भाग में इतनी मात्रा में वृद्धि नहीं हुई । पूर्वी पाकिस्तान के १ लाख २० हजार शरणार्थियों को लेकर केवल २० लाख की वृद्धि हो सकती थी लेकिन यह वृद्धि हुई है २८ लाख की । इससे साफ प्रतीत होता है कि ८ लाख व्यक्ति अवैध रूप से पाकिस्तान से असम में प्रवेश कर गये हैं ।

मैं ऐसी बात इसलिए यहां कर रहा हूं कि भारतीय सीमाओं पर जब चारों ओर से सुरक्षा के लिए बड़ा भारी खतरा खड़ा हो गया है और विशेष रूप से जबकि पाकिस्तान के साथ हमारा सम्बन्ध अच्छा नहीं चल रहा है तो यह जितने भी अवैध रूप से पाकिस्तानी नागरिक प्रवेश कर रहे हैं, या जो यहां पर वैध रूप से पारपत्र लेकर भारी मात्रा में रह रहे हैं और जिनकी संख्या आपने पीछे बताई थी कि ८४ हजार ८१३ है। अब आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे सामने कैसी भयावह स्थिति है। अगर इस बात को मैं मोटी सी भाषा में कहूं तो यही कह सकता हूं कि एक विभीषण अगर एक लंका में रह कर किसी समय भी उसके लिए खतरा बन सकता था तो फिर इतनी भारी मात्रा में, ८ लाख के लगभग पाकिस्तानी नागरिकों का केवल एक प्रदेश के अन्दर निवास करना किसी समय भी देश की सुरक्षा के लिये संकट का कारण बन सकता है। यों भी जितनी भी घटनायें हो रही हैं यूं ही अचानक नहीं हो रही हैं बल्कि मेरा अपना निश्चित रूप से विश्वास है कि यह जितने भी पाकिस्तानी नागरिक यहां पर आ रहे हैं यह योजनाबद्ध सारा का सारा कार्य किया जा रहा है।

आपने जो भी प्रश्नों के उत्तर दिये हैं उनसे पता लगता है कि हिन्दुस्तान में अराष्ट्रीय कार्यवाही करते हुए भी पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गये हैं। यह लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेते हुए पकड़े गये हैं। उनमें १८८ इस प्रकार की भयंकर विस्फोटक घटनाएं हुईं और जिनमें कि पाकिस्तानी नागरिकों का हाथ था और जबकि भारत सरकार इन सारी बातों को जानती है और इन सारी बातों को जानने के बाद भी जो इस प्रश्न को इतना साधारण समझ कर छोड़ा जा रहा है, मैं समझता हूं कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी खतरे की घंटी है और इस पर गंभीरता से ही कोई निर्णय लेना चाहिये।

†**सभापति महोदय** : जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहें, पूछ सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : आसाम में विदेशियों के इतनी बड़ी संख्या में आने से बड़ी चिन्तनीय स्थिति पैदा हो गई है। यदि आप इतिहास देखें .....

†**श्री सभापति महोदय** : आधा घंटे की चर्चा के दौरान केवल वही सदस्य भाषण कर सकते हैं जिन्होंने चर्चा शुरू कराई हो।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : आसाम में विदेशियों के प्रव्रजन की समस्या काफी गम्भीर है। सरकार उसके बारे में क्या करने की सोच रही है ?

क्या सरकार को यह मालूम है कि पाकिस्तान सरकार अपने अधिकारियों को आसाम में हमारे युद्ध महत्व के स्थानों में भेज रहे हैं। सीमा की सुरक्षा के लिये क्या किया जा रहा है ?

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतेहपुर) : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तानी राष्ट्रजन आसाम में एक बड़ी संख्या में आते जा रहे हैं ? उसे रोकने के लिये क्या किया जा रहा है ?

**सेठ अचल सिंह** (आगरा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि आसाम और पाकिस्तान का जो बार्डर है क्या वहां पर चैक पोस्ट्स (सुरक्षा चौकियां) नहीं हैं ? वहां पर क्या व्यवस्था है ?

†**श्री हेम बरुआ** : कुछ मुसलमानों ने जल्दी में पाकिस्तान जाने के लिये सहमति दे दी थी। अब वे भारत वापस आना चाहते हैं। सरकार उनके लिये क्या सोच रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० क० ब० मेनन** (बडागरा) : ऐसे कितने मुसलमान हैं ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट) : उत्तर के साथ संलग्न विवरण से यह पता नहीं चलता कि ८४,८३० पाकिस्तानी राष्ट्रजनों में से कितने अवैध रूप से आये हुए प्रव्रजक हैं। कितने के पास पारपत्र हैं और कितने ऐसे हैं जो कलकत्ता की गोदियों में काम कर रहे हैं। यह स्पष्ट किया जाना चाहिये।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** (जोरहाट) : श्रीमती पालचौधरी ने कहा है कि पाकिस्तानी अधिकारी भारत के युद्ध-महत्व के स्थानों में आ रहे हैं। उन्हें यह सूचना कहां से मिली ?

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : यह हमेशा नहीं बताया जाता।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : कठिनाई यह है कि माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े तो हमारे दिये हुए स्वीकार कर लिये हैं और कुछ दूसरे आंकड़े समाचार पत्रों से लिये हैं। उदाहरण के लिये उन्होंने अभी-अभी कहा कि भारत में ६,००० के करीब पाकिस्तानी राष्ट्रजन अवैध रूप से घुस आये हैं, जब कि हम ने बताया था कि उनकी संख्या २०० से भी कम है।

हम ने अपने आंकड़ों के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर ली है और उन का सत्यापन कर लिया है। माननीय सदस्यों ने कुछ बड़ी अतिरंजित खबरों को आधार बनाया है। माननीय सदस्य ने चार बातें कहीं हैं। पहली यह कि भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का प्रव्रजन हो रहा है। दूसरी यह कि पाकिस्तानी राष्ट्रजन एक बड़ी संख्या में अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। तीसरी यह कि भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियां कर रहे हैं। चौथी यह कि उनके कारण भारत की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

आसाम के सम्बन्ध में मैं बता दूं कि आसाम में जनसंख्या की असाधारण वृद्धि हुई है। जनसंख्या की वृद्धि ३४.३० प्रतिशत तक हुई है। भारत सरकार इस की जांच कर रही है कि इतनी असाधारण वृद्धि कैसे हुई। इसके सम्बन्ध में जनगणना के पंजीयन अधिकारी को लिखा है ठीक-ठीक आंकड़े भेजे। आसाम में मुसलमानों की आबादी के १९५१ और १९६१ के आंकड़े देखने से पता चल जायेगा उन की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। यदि प्रव्रजन एक बड़े पैमाने पर हुआ होगा, तो पता चल जायेगा। चूंकि इसकी जांच हो रही है, इसलिये मैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकूंगा।। आसाम में जनसंख्या की वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। चाय बागान, तेल क्षेत्रों, सड़कों और रेलवे तथा नेफा प्रशासन के विस्तार के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है। यह भी हो सकता है कि आसाम में बाहर से आने वाले सभी लोग पाकिस्तानी राष्ट्रजन न हों। अभी इस अवस्था पर मैं निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता।

लेकिन सौभाग्यवश हमारी संसद् ने १९५७ में विदेशी व्यक्ति विधियों में जो संशोधन किये थे, उनके अन्तर्गत हम पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त शक्तियां हैं। इसलिये कि अब सरकार ने १९५७ के संशोधनों द्वारा काफी सस्त कार्यवाही की व्यवस्था कर दी है। भारत में अवैध रूप से ठहरने वाले किसी भी विदेशी को तुरन्त गिरफ्तार किया जा सकता है। और उन को जेल भेजा जा सकता है। उन को भारत से बाहर निकाला जा सकता है।

इसलिये प्रस्तावक महोदय को चिन्तित होने का कोई कारण नहीं। सरकार इस सम्बन्ध में सतर्क है और उस ने बड़े सख्त अनुदेश जारी भी कर रखे हैं। सरकार विदेशियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है। उनके पार-पत्रों की जांच होती रहती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सम्बन्ध में हमें मध्य सितम्बर तक पूरे आंकड़े मिल पायेंगे। आंकड़े मिलते ही हम सभा को बता देंगे कि पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के प्रव्रजन की ठीक-ठीक स्थिति क्या है। आसाम से हाल में प्राप्त सूचना के अनुसार १ जनवरी, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक केवल २,८६० व्यक्ति अवैध रूप से आसाम में आये और उन पर मुकदमें चलाये गये थें। उन के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण भी उस में दिया गया है। आसाम सरकार इसके सम्बन्ध में अत्यधिक सतर्क है।

हम इसके सम्बन्ध में जो कुछ भी कर रहे हैं, वह सब तो नहीं बताया जा सकता। मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार इसका महत्व समझती है और पूरी तौर से सतर्क है। हम सीमा चौकियों और चौकसी-चौकियों की संख्या बढ़ा रहे हैं और उन में अधिक लोग रख रहे हैं।

सीमा के निकट सड़कों के बनाये जाने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमारी सीमा बड़ी लम्बी चौड़ी है। हजारों मीलों का मामला है। उत्तर, पूर्व और पश्चिम में। अतः जो कुछ भी राज्य सरकारों के सहयोग और समन्वय से सम्भव है किया जा रहा है। परन्तु मैं इतना बता देना चाहता हूं कि हम इस दिशा में पूर्णरूप से सचेत हैं। यह ठीक है कि मामूली घुसपैठ तो होती ही रहती है और लोग विभिन्न कारणों से आते जाते रहते हैं परन्तु हम उन के व्यवहार और गतिविधियों पर पूरी तरह दृष्टि रखते हैं।

जहां तक पाकिस्तानी लोगों का अवैध रूप में भारत में ठहरना का प्रश्न है। इस दिशा में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ३१ मई १९६१ को भारत में ७२८३ अवैध पाकिस्तानी विद्यमान थे। यह आंकड़े मुझे विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं और उनके आधार पर ही हम ऐसा कह रहे हैं। इस में घुसपैठ से आये ४५६३ लोगों को भी मिला लिया जाये तो यह आंकड़ा ११,८४६ हो जाता है। इस में से १९३६ लोग वापिस चले गये हैं और ८९ को हम ने यहां स्थायी रूप में रहने की अनुमति दे दी है। इसी तरह के ३४ व्यक्ति और हैं। बाकी ९७८७ लोग बचते हैं, उन में से ३५९९ को वापिस जाने को कहा जा रहा है। इन में से कुछ ऐसे हैं जो सजा याफता है। वे अपनी सजा काट कर अथवा जुर्माना देकर ही वापिस जा सकते हैं। २६३१ मामले ऐसे हैं जो राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं।

अब प्रश्न यह है कि जो पाकिस्तानी भारत में आते हैं, वे साम्प्रदायिक गतिविधियों में भाग लेते देखे गये हैं। जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी कार्य किये उनकी संख्या केवल ३३ है। इन ३३ व्यक्तियों को पाकिस्तान भेजने वालों की संख्या में सम्मिलित नहीं किया गया है। इन लोगों की गतिविधियों पर विवरण में प्रकाश डाला गया है। परन्तु उन से कोई तुरन्त खतरे की बात मेरी समझ में नहीं आती। यह बात नहीं कि हम यह सब आत्म-तुष्टि की भावना से कह रहे हैं हम इस दिशा में काफी सचेत हैं और साधारण सन्देह होने पर भी पूरी कार्यवाही करने के सरकार को अधिकार प्राप्त है। अतः इस समस्या के प्रति उदासीन नहीं हैं।

जिन ३३ लोगों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पकड़ा गया है उन में से १३ तो सजा काट रहे हैं, ६ को पाकिस्तान भेज दिया गया है और १४ पर मुकदमा चल रहा है। अतः मेरा कहना है कि इस दिशा में संख्या इतनी अधिक नहीं कि देश की सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा को कोई खतरा पैदा हो जाता। परन्तु कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई तो तुरन्त कार्यवाही की जायेगी। जहां तक देवबन्द का संबंध है सरकार पूरी कार्यवाही करेगी और देवबन्द के मदरसे के सम्बन्ध में जो आरोप लगाये गये हैं उन की जांच की जायेगी। उसके पश्चात् ही इस दिशा में कुछ कार्यवाही करना सम्भव होगा।

**इसके पश्चात् लोक-सभा ७ सितम्बर, १९६१ / भाद्र,१६, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई**

---

बुधवार, ६ सितम्बर, १९६१
१५ भाद्र, १८८३ (शक)


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | | ३५७१—९४ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| १२४३ | स्नातकोत्तर चिकित्सा अध्ययन | ३५७१—७३ |
| १२४५ | अखिल भारतीय डाक तथा तार सेवा आयोग | ३५७३—७४ |
| १२४६ | दिल्ली में गैर-सरकारी बस सेवा | २५७५—७६ |
| १२४७ | चाय का निर्यात | ३५७७—७८ |
| १२४९ | दक्षिण पूर्व रेलवे पर तांबे के तारों की चोरी | ३५७८—८१ |
| १२५० | समुद्री डाक | ३५८१ |
| १२५१ | गाड़ी परीक्षकों (ट्रेन एग्जामिनर्स) की वरिष्ठता | ३५८१—८४ |
| १२५२ | भाखड़ा बान्ध | ३५८३—८६ |
| १२५३ | खतरे की जंजीरें निकालना | ३५८६—८८ |
| १२५४ | पंचायत राज | ३५८८—९० |
| १२५५ | सर्वेक्षण पोत "हल्दिया" | २५९०—९१ |
| १२५७ | अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था | ३५९१—९२ |
| १२५८ | कल्यान में रेलवे का नया अस्पताल | ३५९२—९२ |
| १२६१ | अमीनगांव स्टेशन पर युवती की लाश | ३५९३—९४ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | | ३५९५—३६८ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| १२४१ | उड्डयन क्लब | ३५९५ |
| १२४२ | अन्तर्देशीय प्रयोग के लिये "सुपर कांस्ट्लेशन विमान" | ३५९५ |
| १२४४ | केरल में रेल डिब्बा बनाने का कारखाना | ३५९५ |
| १२४८ | वैगन तोड़ने वालों और रेलवे संरक्षण पुलिस में मुठभेड़ | ३५९६ |
| १२५६ | कोयले के स्थान पर मिट्टी के तेल का प्रयोग | ३५९६ |

पृष्ठ

विषय

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२५९ कोयले की कमी के कारण रेलगाड़ियों का चलाना बन्द किया जाना ३५९६
१२६० इन्डोनेशिया को असैनिक विमान चालक ३५९७
१२६२ कोनार बांध ३५९७
१२६३ अमरीका में पर्यटन प्रचार ३५९७–९८
१२६४ सौराष्ट्र मेल की दुर्घटना ३५९८
१२६५ राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३७ पर पुल ३५९८
१२६६ भारत में औसत आयु ३५९८–९९
१२६७ अमरीका से आयात किये गये गेहूं का टर्की भेजा जाना ३५९९
१२६८ विमान चालकों की नियुक्ति ३५९९–३६००
१२६९ भारत में हृदय रोग ३६००
१२७० दूसरा जहाज कारखाना बनाने का प्रस्ताव ३६००

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३४६४ पंजाब में चीनी के कारखाने ३६०१
३४६५ राज्यों में दूध बोर्ड ३६०१
३४६६ दिल्ली में अनर्ह चिकित्सक ३६०२
३४६७ फीरोजाबाद और मखनपुर स्टेशनों के बीच चलती रेलगाड़ी से फेंके गये यात्री ३६०२
३४६८ नौवहन के लिये विदेशी मुद्रा ३६०२
३४६९ फलों व सब्जियों के लिये गोदाम ३६०३
३४७० महाराष्ट्र को नियत किया गया लोहा और इस्पात ३६०३
३४७१ महाराष्ट्र को चावल का संभरण ३६०३
३४७२ मत्स्य पालन का विकास ३६०३–०४
३४७३ महाराष्ट्र में १९६०–६१ में खोले गये परिवार नियोजन केन्द्र ३६०४
३४७४ महाराष्ट्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ३६०४
३४७५ आयुर्वेद सम्बन्धी प्राचीन पाण्डुलिपियां ३६०४
३४७६ गोबिन्द शुगर मिल्स ३६०५
३४७७ गन्ने और चीनी के मूल्य सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग ३६०५
३४७८ उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें ३६०५–०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः


| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| ३४७९ | घटिया किस्म के बीज | ३६०६ |
| ३४८० | कटक का माल गोदाम | ३६०६–०७ |
| ३४८१ | उड़ीसा में चीनी के नये कारखाने | ३६०७ |
| ३४८२ | रेलवे में स्टेनोग्राफर | ३६०७–०८ |
| ३४८३ | सहकारी कृषि | ३६०८ |
| ३४८४ | नई लाइन डालने के लिये पटरियों की आवश्यकता | ३६०८–०९ |
| ३४८५ | राष्ट्रीय राजपथ | ३६०९ |
| ३४८६ | चितरंजन का इंजन निर्माण कारखाना | ३६०९ |
| ३४८७ | पंजाब में राष्ट्रीय राजपथों पर पुल | ३६१० |
| ३४८८ | फार्मों का फालतू जमीनों का वितरण | ३६१० |
| ३४८९ | आंध्र प्रदेश में सहकारी समितियां | ३६१० |
| ३४९० | दिल्ली का चिड़ियाघर | ३६११ |
| ३४९१ | लुधियाना और खन्ना के बीच रेलगाड़ी में डकैती | ३६११ |
| ३४९२ | डाक तार कार्यालय | ३६११ |
| ३४९३ | दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजपथ | ३६१२ |
| ३४९४ | राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज | ३६१२ |
| ३४९५ | राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन | ३६१२ |
| ३४९६ | राजस्थान में पशुपालन योजनायें | ३६१३ |
| ३४९७ | खड़गपुर रेलवे वर्कशाप में आकस्मिक श्रमिक | ३६१३–१४ |
| ३४९८ | दिल्ली में गेहूं और चावल की कीमतें | ३६१४ |
| ३४९९ | फलों की खपत | ३६१४ |
| ३५०० | अमृतसर में पंजीकृत भारिक | ३६१४ |
| ३५०१ | परिवहन निगम की स्थापना | ३६१५ |
| ३५०२ | देश में चरागाह-क्षेत्र | ३६१५ |
| ३५०३ | नयी दिल्ली पर छोटी लाइन (मीटर गेज) का स्टेशन | ३६१५–१६ |
| ३५०४ | दिल्ली में मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए अस्पताल | ३६१६ |
| ३५०५ | औषधियों का निर्माण | ३६१६ |
| ३५०६ | राष्ट्रीय राजपथ विस्तार योजना | ३६१६ |
| ३५०७ | नवादा रेलवे स्टेशन के निकट स्लीपरों का जलना | ३६१६–१७ |

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः


| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| ३५०८ | नदी बोर्ड | ३६१७ |
| ३५०९ | रेलवे में संग्रहालय | ३६१७–१८ |
| ३५१० | दूसरे देशों में भारतीय पर्यटकों को सुविधाएं | ३६१८ |
| ३५११ | दिल्ली में डीलक्स भोजन गाड़ी कर्मचारी | ३६१८ |
| ३५१२ | गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली | ३६१९ |
| ३५१३ | गहरे समुद्र में मछली पकड़ना | ३६१९ |
| ३५१४ | भरतगढ़ स्टेशन के निकट एक दम्पत्ति की मृत्यु | ३६१९–२० |
| ३५१५ | चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की तीसरी श्रेणी में पदोन्नति | ३६२० |
| ३५१६ | काश्मीर से इमारती लकड़ी | ३६२० |
| ३५१७ | दूसरी योजना में गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य | ३०२१ |
| ३५१८ | केरल में दूसरी योजना के दौरान समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने की योजनायें | ३६२१ |
| ३५१९ | केरल में राष्ट्रीय राजपथ | ३६२२ |
| ३५२० | रेलवे में भर्ती | ३६२२ |
| ३५२१ | तापीय विद्युत् जनन संयंत्र | ३६२२ |
| ३५२२ | हावड़ा दिल्ली एक्सप्रेस में सोने के लिये डिब्बे | ३६२३ |
| ३५२३ | गाड़ियों का देर से चलना | ३६२३ |
| ३५२४ | मृदा विज्ञान संस्था | ३६२३–२४ |
| ३५२५ | रेलवे पर तेल का यातायात | ३६२४ |
| ३५२६ | चलती हुई रेलगाड़ियों से डकैतियां | ३६२४–२५ |
| ३५२७ | उत्तर प्रदेश को चीनी मिलें | ३६२६ |
| ३५२८ | मणिपुर में खाद्यान्न नियंत्रण आदेश | ३६२६ |
| ३५२९ | विनिमय व्यवसाय के सम्बन्ध में जांच | ३६२७ |
| ३५३० | पत्थर ले जाने वाले माल-डिब्बों की तुलाई में कथित भ्रष्टाचार | ३६२७–२८ |
| ३५३१ | कांगड़ा घाटी रेलवे | २६२८ |
| ३५३२ | पंजाब में प्रादेशिक बागवानी अनुसंधान केन्द्र | ३६२८–२९ |
| ३५३३ | चरखी दादरी और झारली के बीच नया रेलवे हाल्ट स्टेशन | २६२९ |
| ३५३४ | पौधा संरक्षण केन्द्र | ३६२९–३० |
| ३५३५ | दिल्ली के अस्पतालों में असाध्य रोगी | ३६३० |

प्रश्नों के लिखित उत्तर---क्रमशः


| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| ३५३६ | अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था | ३६३०–३१ |
| ३५३७ | उर्वरक | २६३१ |
| ३५३८ | उर्वरक वितरण जांच समिति | ३६३१–३२ |
| ३५३९ | पूर्वोत्तर रेलवे में लम्बित मामलों का निपटारा | ३६३२ |
| ३५४० | सहकारिता आन्दोलन | ३६३२–३३ |
| ३५४१ | पूना के लिये विमान सेवा | ३६३३ |
| ३५४२ | विद्युत तथा सिंचाई परियोजनाओं से आय | ३६३३ |
| ३५४३ | हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में कृषि | ३६३३–३४ |
| ३५४४ | कटक में नीचे का पुल | ३६३४ |
| ३५४५ | आदिम जाति के झूमिया | ३६३४ |
| ३५४६ | केरल में पर्यटकों को सुविधाएं | ३६३४ |
| ३५४७ | एरणाकुलम स्टेशन | ३६३५ |
| ३५४८ | उड़ीसा में डाक घर | ३६३५ |
| ३५४९ | नारियल के पौधों के लिये उर्वरक | ३६३६ |
| ३५५० | आयुर्वेदिक और यूनानी तिबिया कालेज, दिल्ली | ३६३६–३७ |
| ३५५१ | ग्राम्य जल संभरण तथा सफाई योजना | ३६३७ |
| ३५५२ | रेल के डिब्बे | ३६३७–३८ |
| ३५५३ | दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड | ३६३८ |
| ३५५४ | ट्रेन एग्जामिनरों को स्थायी बनाना | ३६३८–३९ |
| ३५५५ | प्रविधिक सहयोग मिशन सहायता उपकरण | ३६३९ |
| ३५५६ | गोदामों में गेहूं | ३६३९ |
| ३५५७ | खाद्यान्नों का परिवहन | ३६३९–४० |
| ३५५८ | कोयना परियोजना के लिए केन्द्रीय ऋण | ३६४० |
| ३५५९ | नीलगिरि जिले में आलू | ३६४०–४१ |
| ३५६० | फल पेय उत्पादन संयंत्र | ३६४१ |
| ३५६१ | माधोपुर स्टेशन पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ | ३६४१–४२ |
| ३५६२ | गन्ने के मूल्य की बकाया रकम | ३६४२ |
| ३५६३ | रेलगाड़ियों में प्रकाश | ३६४२ |
| ३५६४ | मद्रास में तपेदिक अनुसंधान केन्द्र | ३६४२ |

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः


| तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| ३५६५ | मैंगनीज़ तथा लौह अयस्क का निर्यात यातायात | ३६४२–४३ |
| ३५६६ | लोको, कैरेज और वैगन वर्कशाप | ३६४३ |
| ३५६७ | रेलगाड़ियों में बर्थों का आवंटन | ३६४३–४४ |
| ३५६८ | स्थानापन्न रेलवे कर्मचारी | ३६४४ |
| ३५६९ | उत्तर रेलवे के भांडार सत्यापक | ३६४४ |
| ३५७० | उत्तम बीज का उत्पादन तथा उसका विवरण . . | ३६४५ |
| ३५७१ | भारत में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिये वृत्तिकाएं | ३६४५ |
| ३५७२ | उड़ीसा में वाहुदा नदी पर बांध . | ३६४५–४६ |
| ३५७३ | पालघाट रेलवे स्टेशन | ३६४६ |
| ३५७४ | बीमाशुदा पार्सल का गुम हो जाना | ३६४६ |
| ३५७५ | इम्फाल में भंगी बस्ती | ३६४६–४७ |
| ३५७६ | घग्गर नदी में बाढ़ . | ४६४७ |
| ३५७७ | भटिण्डा के लिए सीधा डिब्बा लगाना . | ३६४७ |
| ३५७८ | वायु अनुकूलित गाड़ियों में सोने के लिये डिब्बे | ३६४७ |
| ३५७९ | भुवनेश्वर डाकखाने में डाक का बांटा जाना | ३६४८ |
| ३५८० | वनस्पति में रंग मिलाया जाना | ३६४८–४९ |
| ३५८१ | कर्मचारियों को स्थायी करना . . | ३६४९ |
| ३५८२ | अमृतसर टेलीग्राफ सब डिविजन में बिजली के समान की हानि | ३६४९ |
| ३५८३ | दिल्ली की डाक तार बस्तियों में बाल उद्यान | ३६४९–५० |
| ३५८४ | रामावरम् में नया स्टेशन | ३६५० |
| ३५८५ | खम्मम जिले में सड़क पुल का पुनर्निर्माण | ३६५० |
| ३५८६ | पत्थर और मिट्टी की कटाई की दरें . | ३६५०–५१ |
| ३५८७ | राबर्ट्सगंज गढ़वा रोड परियोजना में अनियमिततायें | ३६५१ |
| ३५८८ | बेचूपुर स्टेशन (उत्तर रेलवे) से माल भेजने पर प्रतिबन्ध | ३६५१–५२ |
| ३५८९ | रेलवे कर्मचारी . . . | ३६५२ |
| ३५९० | खडगपुर रेलवे बस्ती में पानी की कमी | ३६५२–५३ |
| ३५९१ | आकस्मिक श्रमिकों के लिये केन्द्रीय व्यवस्था . . . | ३६५३ |
| ३५९२ | पश्चिम रेलवे वर्कशाप में रेल कर्मचारियों को छुट्टी मंजूर करने से इंकार . . . . | ३६५४ |
| ३५९३ | पश्चिम रेलवे में आकस्मिक मजदूर . . | ३६५४–५५ |

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३५९४ लाइसेन्सशुदा भारिक . ३६५५
३५९६ दिल्ली दुग्ध योजना . ३६५५
३५९७ जहाजों की खरीद . . ३६५६
३५९९ पूना की बाढ़ में डाक घरों को हुई हानि . ३६५६–५७
३६०० चीनी के कारखाने . . . ३६५७
३६०१ रेलवे के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पैन्शनें ३६५७–५८
३६०२ मदुरै में रेलवे डाक सेवा विभाग ३६५८
३६०३ मालगाड़ी की दुर्घटना . . . ३६५८
३६०४ बीकानेर और रिवाड़ी के बीच अतिरिक्त एक्सप्रेस . ३६५९
३६०५ कावेरी को दक्षिण पेन्नार नदी से मिलाना . ३६५९
३६०६ रेलवे में राज्य सरकारों के राशनिंग और असैनिक सम्भरण विभाग के भूतपूर्व कर्मचारी ३६५९
३६०७ दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डाक्टर ३६६०
३६०८ केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में डाक्टर . ३६६०
३६०९ महाराष्ट्र में चक्रवात के कारण जहाजों को क्षति . ३६६०–६१
३६१० नबीनगर स्टेशन पर प्लेटफार्म . ३६६१
३६११ दिल्ली के जमुना पुल पर यातायात . ३६६१–६२
३६१२ मुअत्तल डाक-तार कर्मचारी ३६६२–६३
३६१३ राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के लिये दान ३६६३
३६१४ औरंगाबाद स्टेशन पर टिकट घर . ३६६३
३६१५ सोन बांध योजना . . ३६६३–६४
३६१६ औद्योगिक बिजली के लिये आवेदन पत्र . ३६६४
३६१७ दिल्ली में स्कूटर रिक्शा . . . . ३६६४–६५
३६१८ गढ़मुक्तेश्वर में पुल . . . . ३६६५–६६
३६१९-क इटावा स्टेशन के असिस्टेंट मास्टर की गिरफ्तारी ३६६६
३६१९-ख दिल्ली की सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों से उचित मूल्य की दुकानें . . . . . ३६६६–६७
३६१९-ग नई दिल्ली की सड़कों के चौराहों पर बिजली के सिगनल ३६६७
३६१९-घ हिमाचल प्रदेश का सिरमूर बैंक . . . ३६६७
३६१९-ङ अतुलग्रोव चमरीयां, नई दिल्ली ३६६७–६८

विषय सूची पृष्ठ

**स्थगन प्रस्ताव** . . . . . ३६६९

अध्यक्ष महोदय के नजफगढ़ झील और नाली नं० ६ और ८ के पानी के ऊपर से बह निकलने के बारे में, जिसके फलस्वरूप दिल्ली के कई गांव पानी से घिर गये थे, एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री बलराज मधोक द्वारा दी गयी थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी ।

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** . . ३६६९–७०

श्रीमती इला पालचौधरी ने कलकत्ते के हवाई अड्डे पर २६ अगस्त, १९६१ को हुई डकोटा विमान की दुर्घटना की ओर परिवहन तथा संचार मन्त्री का ध्यान दिलाया ।

परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

**सभा-पटल पर रखे गये पत्र** . . . . . ३६७०

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २५ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०६२ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियन्त्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(दो) दिनांक २५ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०६३ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियन्त्रण (दसवां संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(तीन) दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५७ में प्रकाशित चीनी (यातायात नियंत्रण) (चौथा संशोधन) आदेश, १९६१ ।

(२) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा १५ की उपधारा (४) के अन्तर्गत एयर इण्डिया इंटर नेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक लेखे और तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

**राज्य सभा से सन्देश** . . . . . ३६७१

सचिव ने राज्य सभा से एक सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी कि राज्य सभा को, विनियोग (संख्या ४) विधेयक के बारे में लोकसभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

**गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित** . . . . . ३६७१

नवासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

**लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित** . . ३६७१

चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

पृष्ठ

## विषय सूची

**सदस्य का त्याग पत्र** . . . . . ३६७१

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को यह बताया कि श्री अजित प्रसाद जैन ने ५ सितम्बर, १९६१ से लोक-सभा में अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है।

**विधेयक पारित** . . . . . ३६७१–९६

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

**खनिज रियायत नियम, १९६० में रूपभेद के बारे में प्रस्ताव** . . ३६९८—३७०७

श्री विद्याचरण शुक्ल ने खनिज रियायत नियम, १९६० में रूपभेद के लिये पतीस प्रस्ताव प्रस्तुत किये। वाद-विवाद के पश्चात् सभी प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

**आधे घंटे की चर्चा** . . . . . ३७०७—१३

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ४८० के १४ अगस्त, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

**गुरुवार, ७ सितम्बर, १९६१ / १६ भाद्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि**

जमा धन बीमा निगम विधेयक पर अग्रेतर विचार और उसका पारित किया जाना तथा कोयले के उत्पादन और सम्भरण के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा।

---

GIPND—LS III—1219(Ai)LSD—16-10-61—125